CGDH010010912025

Presented on : 04-11-2025
Registered on : 04-11-2025
Decided on : 12-08-2026
Duration : 9 months 8 days

FORM- D

<table>
<tr><td colspan="2"><u>न्या.: प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)</u>
(पीठासीन अधिकारी–मोहन सिंह कोर्राम)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(निर्णय दिनांक–12/08/2026)
(सत्र प्रकरण क्र.–66/2025)
(थाना–अर्जुनी का अपराध क्रमांक 117/2025)</td></tr>
<tr><td>अभियोजक</td><td>छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा–थाना प्रभारी, थाना अर्जुनी,
जिला–धमतरी(छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>प्रतिनिधित्वकर्ता</td><td>श्री गीतेश प्रजापति, लोक अभियोजक।</td></tr>
<tr><td>आरोपीगण</td><td>1. गोपी दीवान पिता प्यारी दीवान, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी (छ.ग.)
2. कुलेश्वर नेताम पिता चुरामन लाल नेताम, उम्र 25 वर्ष, निवासी–ग्राम कोर्रा, थाना भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.)
3. रणवीर साहू पिता रामगोपाल साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम इर्रा, थाना भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.)
4. कमलेश कुमार ध्रुव पिता राजेन्द्र ध्रुव, उम्र 19 वर्ष, निवासी अम्बा चौक आमापारा धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)
5. गौतम दीवान पिता लक्ष्मण दीवान, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी(छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>प्रतिनिधित्वकर्ता</td><td>श्री धनंजय तिवारी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल।</td></tr>
</table>

FORM- E

अपराध दिनांक	11/08/2025
प्रथम सूचना पत्र दिनांक	12/08/2025
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	22/09/2025
आरोप विरचित दिनांक	25/11/2025
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	24/12/2025
निर्णय हेतु नियत दिनांक	31/07/2026
निर्णय दिनांक	12/08/2026
दंडादेश दिनांक, यदि हो तो	12/08/2026

Accused Details:

क्र.	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहाई दिनांक	धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	सजा अवधि	धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मुजरा अवधि
1.	**गोपी दीवान**	12.08.25	–	भा.न्या.सं. की धारा 296, 191(2), 191(3), 115(2), 103(1), सहपठित 190 एवं धारा 25(1–ख)(ख)ए 27 आयुध अधि.	**दोषसिद्ध** भा.न्या.सं. की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 103(1), सहपठित 190 एवं धारा 25(1–ख)(ख) आयुध अधि.	कंडिका **98** अनुसार	**365**
2.	**कुलेश्वर नेताम**	12.08.25	–				**365**
3.	**रणवीर साहू**	12.08.25	–				**365**
4.	**कमलेश कुमार ध्रुव**	12.08.25	–				**365**
5.	**गौतम दीवान**	12.08.25	–				**365**

FORM- F
INDEX

सरल क्रमांक	विवरण	पेज नंबर
1.	निर्णय का शीर्षक	3
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	4
3.	आरोप	11
4.	स्वीकृत तथ्य	–
5.	अभियोजन कहानी	6–11
6.	––	–
7.	––	–
8.	कारण और निष्कर्ष	28–163
9.	सजा	164–167
10.	हिरासत और मुजरा की अवधि	167
11.	संपत्ति का निराकरण	167–172
12.	प्रतिकर का आदेश	172
13.	धारा 468 भा.ना.सु.सं. का प्रमाण पत्र	173
14.	कैद की सजा होने पर जेल भेजने का वारंट (कारावास या अर्थदंड)	167
15.	निर्णय की प्रति	172–173

सही/-
(मोहन सिंह कोर्राम)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

<u>न्याया.: प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला धमतरी(छ.ग.)</u>

<u>(पीठासीन अधिकारी–मोहन सिंह कोर्राम)</u>

<u>सत्र प्रकरण क्रमांक–66/2025</u>

<u>संस्थित तिथि–04/11/2025</u>

छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा–थाना प्रभारी, थाना अर्जुनी,

जिला–धमतरी (छ.ग.) ....**अभियोजक**

प्रति

1. **गोपी दीवान** पिता प्यारी दीवान,
   उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह,
   थाना अर्जुनी, जिला धमतरी(छ.ग.)

2. **कुलेश्वर नेताम** पिता चुरामन लाल नेताम,
   उम्र 25 वर्ष, निवासी–ग्राम कोर्रा,
   थाना भखारा, जिला धमतरी(छ.ग.)

3. **रणवीर साहू** पिता रामगोपाल साहू,
   उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम इर्रा,
   थाना भखारा, जिला धमतरी(छ.ग.)

4. **कमलेश कुमार ध्रुव** पिता राजेन्द्र ध्रुव,
   उम्र 19 वर्ष, निवासी अम्बा चौक आमापारा धमतरी,
   थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

5. **गौतम दीवान** पिता लक्ष्मण दीवान,
   उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह,
   थाना अर्जुनी, जिला धमतरी(छ.ग.) ....**आरोपीगण**

राज्य की ओर से श्री गीतेश प्रजापति, लोक अभियोजक।
आरोपीगण की ओर से श्री धनंजय तिवारी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल।

निर्णय

(दिनांक 12/08/2026 को परिदत्त)

1. सभी आरोपीगण का विचारण **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (जिसे आगे भा.न्या.सं., 2023 संबोधित किया गया है) की धारा 296, 191(2), 191(3), 115(2) सहपठित धारा 190(चार बार), 103 सहपठित धारा 190(तीन बार)** के तहत इन आरोपों के लिए किया गया है कि उन्होंने दिनांक 11/08/2025 को समय लगभग 23:20 बजे स्थान ग्राम भोयना अन्नपूर्णा ढाबा के पास, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी छ.ग. में, जो कि लोकस्थान है या उसके निकट है, में आहत राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव,नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को अश्लील गालियां देकर उन्हें एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सभी आरोपीगण एवं विधि से संघर्षरत बालकगण ने विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए बल या हिंसा का प्रयोग

कर बलवा कारित किया, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए धारदार साधन चाकू, जिसका आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, से सज्जित होकर बलवा कारित किया, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए हाथ–मुक्के से राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल की हत्या कारित करने के आशय से हाथ–मुक्के व धारदार साधन चाकू से मारकर उनकी हत्या कारित किया तथा आरोपीगण गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम एवं रणवीर साहू का विचारण **धारा 25(1–ख)(ख), 27 आयुध अधिनियम के** तहत इस आरोप के लिए भी किया गया है कि गोपी दीवान ने धारदार चाकू जिसकी कुल लंबाई–32.5 से.मी. फल की लंबाई–20.2 से.मी., चाकू के फल का मध्य भाग 4 से.मी. चौड़ा, मूठ की लंबाई 12.5 से.मी., कुलेश्वर नेताम ने धारदार बटनची स्प्रिंगदार चाकू की कुल लंबाई 23 से.मी. फल की लंबाई 10 से.मी., मूठ की लंबाई 14 से.मी. एवं फल की चौड़ाई 2.5 से.मी. एवं आरोपी रणवीर साहू ने स्टील जैसे धातु से बना धान–चावल निकालने का बम्बू जिसकी कुल लंबाई 26 से.मी., मूठ की

लंबाई 11 से.मी., फल की लंबाई 15 से.मी. एवं मूठ की गोलाई 6 से.मी. को सार्वजनिक स्थान पर राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312–6552(2)(b)(1) दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में अपने अवैध आधिपत्य में रखा और उसका उपयोग आहत नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर एवं सुरेश हियाल को उपहति कारित करने के लिए किया।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रकरण में वर्तमान आरोपीगण के अलावा तीन विधि से संघर्षरत बालकों की भी संलिप्तता दर्शित की गई है। निर्णय में उनकी पहचान गोपनीय रखने के लिए क्रमशः X, Y, Z से संबोधित किया गया है, जिनके संबंध में पृथक से विवरण अभिलेख के साथ बंद लिफाफा में संलग्न किया गया है।

3. अभियोजन के मामले के अनुसार दिनांक 11/08/2025 की रात्रि थाना प्रभारी, थाना अर्जुनी, निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को पुलिस कंट्रोल रूम धमतरी से सूचना मिलने पर वह हमराह स्टाफ के साथ धमतरी–नगरी रोड स्थित ग्राम भोयना में संचालित अन्नपूर्णा ढ़ाबा के पास गया जहां सूचनाकर्ता/प्रार्थी राहुल कुमार साहू निवासी ग्राम सोरम थाना रूद्री द्वारा इस आशय की मौखिक रिपोर्ट/सूचना दर्ज करायी गयी कि दिनांक 11.08.2025 को उसका दोस्त आलोक सिंह ठाकुर निवासी रायपुर अपने अन्य दोस्त मनहरण उर्फ सोनू यादव, नितिन तांडी, सुरेश

हियाल, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ के साथ स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक सी.जी. 13/BB/1062 से उससे मिलने आया था उन्हीं के साथ वह मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 05/N/2264 एवं उपरोक्त स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक सी.जी. 13/BB/1062 से ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा होटल एवं फैमिली रेस्टोरेंट (ढाबा) रात्रि करीब 11:20 बजे खाना खाने पहुंचा था। उक्त ढाबा के सामने 08 व्यक्ति आपस में विवाद गाली–गलौच हो रहे थे जो ढाबा में उनके पहुँचते ही उन्हें भी गाली–गलौच करने लगे, जिसे मना करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा उन्हें हाथ–मुक्के से मारपीट करने लगे। इसी बीच एक सफेद रंग का लाईनिंग शर्ट पहने लड़के के द्वारा नितिन तांडी एवं आलोक सिंह ठाकुर को ढाबा के सामने रोड़ किनारे चाकू से प्राणघातक वार किया जिससे उनकी मौके पर ही फौत हो गयी। उक्त व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को मारने के लिए दौड़ाये तथा सुरेश हियाल को दौड़ाते हुये मथुराडीह मोड़ के पास स्थित सखाराम जानकी फ्युल्स के सामने यादव ढाबा के पास ले गये और वहीं पर सफेद नीला लाईनिंग शर्ट पहना हुआ लड़का अपने पास रखे चाकू से प्राणघातक वार किया जिससे सुरेश हियाल लड़खड़ाते हुये नियाज टायर दुकान अंदर गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गयी। सूचनाकर्ता/प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट/सूचना के आधार पर तीन बिना नम्बरी मर्ग क्र.

0/2025 धारा 194 बी.एन.एस. तथा बिना नंबरी देहाती नालिशी अपराध क्र. 0/2025 धारा 103 (1), 190, 191 (1) (3) बी.एन.एस. **प्रदर्श पी.4** दर्ज कर थाना अर्जुनी में नंबरी मर्ग इंटीमेशन क्र. 70/2025, 71/2025, 72/2025 धारा 194 बी.एन.एस. क्रमशः **प्रदर्श पी.1, 2, 3** दर्ज किया गया तथा नंबरी अपराध क्र. 117/2025 अंतर्गत धारा धारा 103 (1), 190, 191 (1) (3) बी.एन.एस. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

4. विवेचना के दौरान गवाहों के समक्ष घटनास्थल का नजरीनक्शा **प्रदर्श पी.5** तैयार किया गया। हल्का पटवारी द्वारा भी घटनास्थल का नजरीनक्शा **प्रदर्श पी.14** तैयार किया गया। मृतकगण सुरेश हियाल, नितिन तांडी एवं आलोक सिंह ठाकुर की मृत्यु जांच के लिए साक्षी–नोटिस क्रमशः **प्रदर्श पी.6, 7, 8** तैयार कर साक्षियों को आहूत कर नक्शा पंचायतनामा **प्रदर्श पी.10, 11, 12** तैयार किया गया। मृतकगण आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल एवं नितिन तांडी, के शव का परीक्षण कराया जाकर शव परीक्षण प्रतिवेदन क्रमशः **प्रदर्श पी.69, 70, 71** प्राप्त किया गया। जांच के दौरान घटनास्थल से मृतक नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर एवं सुरेश हियाल के शव के पास से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 34, 35, 36** के

अनुसार जप्त किया गया। घटनास्थल से मारूति स्विफ्ट डिजायर कार क्र. सी.जी.13/बी बी/1062, 6 नग प्लास्टिक टूटी–क्षतिग्रस्त कुर्सियां, मोटर सायकल क्र. सी.जी.05/एन/2264 जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.37, 38, 12** के अनुसार जप्त किया गया। आरोपीगण एवं विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालकों द्वारा एक राय होकर घटना दिनांक को मृतकगण की हत्या कारित किया जाना बताये जाने पर आरोपीगण गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम, रणवीर साहू, कमलेश कुमार ध्रुव, गौतम दीवान का **धारा 23 साक्ष्य अधिनियम** के तहत पृथक–पृथक मेमोरेंडम कथन क्रमशः **प्रदर्श पी.16, 21, 26, 30 एवं 32** तैयार किया गया तथा आरोपीगण के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त आरोपी गोपी दीवान से जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.17** के अनुसार एक नग लोहे जैसे धातु से बना हुआ चाकू, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.18** के अनुसार एक नग मोटर सायकल, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.19** के अनुसार एक नग फूल बांह वाला शर्ट, एक नग ट्राउजर, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.20** के अनुसार एक नग आई–टेल कंपनी का एन्ड्राईड मोबाईल मॉडल ए–25 जप्त किया गया। आरोपी कुलेश्वर नेताम से जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.22** के अनुसार एक धारदार बटनची स्प्रिंगदार चाकू, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.23** के अनुसार एक नग कत्थे रंग का टी–शर्ट, एक नग जींस फूलपेंट, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.24** के अनुसार

एक नग एन्ड्राईड मोबाईल वीवो कंपनी का T3X एवं जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.25** के अनुसार पुरानी इस्तेमाली मोटर सायकल क्र. सी.जी.07/एफ/2047 जप्त किया गया। आरोपी रणवीर साहू से जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.27** के अनुसार एक नग फूल बांह शर्ट, एक नग हॉफ बनियान, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.28** के अनुसार एक नग एन्ड्राईड मोबाईल ओप्पो कंपनी का, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.29** के अनुसार एक स्टील जैसे धातु का बना धान–चांवल सैंपल निकालने का बंबू जप्त किया गया। आरोपी कमलेश कुमार ध्रुव से जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.31** के अनुसार एक नग फूल बांह शर्ट, एक नग लोवर एवं आरोपी गौतम दीवान से जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.33** के अनुसार एक नग फूल बांह शर्ट, एक नग जींस फूल पेंट जप्त किया गया। आरोपीगण गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम, रणवीर साहू, कमलेश कुमार ध्रुव, गौतम दीवान के द्वारा अपराध कारित करना पाये जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः **प्रदर्श पी.42, 43, 44, 45 एवं 46** तैयार किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुओं को पुलिस अधीक्षक धमतरी के पत्र के माध्यम से एफ.एस.एल. रायपुर भेज कर एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं विवेचना के शेष महत्पूर्ण चरण पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी छ.ग. के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी छ.ग. ने प्रकरण को आपराधिक प्रकरण क्रमांक–**3461/2025** के रूप में पंजीबद्ध किया तथा प्रकरण अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से, **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 232** के प्रावधान के अनुरूप दिनांक **27/10/2025** को प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय धमतरी को उपार्पित किया जो दिनांक **04/11/2025** को प्राप्त हुआ, जहां प्रकरण को **सत्र प्रकरण क्रमांक 66/2025** के रूप में पंजीबद्ध कर प्रकरण का विचारण प्रारंभ किया गया तथा विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

6. **दिनांक 25/11/2025** को मेरे द्वारा सभी आरोपीगण के विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 296, 191(2), 191(3), 115(2), 103(1), 190 एवं आरोपीगण गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम एवं रणवीर साहू के विरूद्ध उपरोक्त आरोपों के अतिरिक्त धारा 25(1–ख)(ख)ए 27 आयुध अधिनियम** के तहत दंडनीय अपराध का भी आरोप विरचित किये जाने पर उन्होंने आरोप अस्वीकार किया एवं विचारण किये जाने का दावा किया तथा **भा.ना.सु.सं. की धारा 351** के तहत अपने परीक्षण के दौरान स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा अपने बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

7. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के नाम :–

अभि.साक्षी क्र.	साक्षी का नाम	विवरण
1	राहुल साहू	प्रार्थी/आहत/प्रत्यक्षदर्शी
2	मिमांशु यादव	मेमोरेंडम, जप्ती/प्रत्यक्षदर्शी
3	बबलू बाघ	मेमोरेंडम, जप्ती/प्रत्यक्षदर्शी/ आहत
4	रामकरण यादव	सी.सी.टी.वी अवलोकन, जप्ती/प्रत्यक्षदर्शी
5	राजा नामदेव	जप्ती/प्रत्यक्षदर्शी
6	चन्द्रप्रकाश बचेकर	प्रत्यक्षदर्शी गवाह
7	सिद्धार्थ नामदेव	प्रत्यक्षदर्शी गवाह
8	दुष्यंत घोरपड़े	गवाह/सी.सी.टी.वी कैमरा/डी.वी.आर जप्ती
9	भूषण साहू	गवाह
10	ईश्वर प्रसाद	पहचान संबंधी गवाह
11	गजेन्द्र पाल	पहचान संबंधी गवाह
12	मनहरण नेताम	मोटर सायकल जप्ती/गवाह
13	गिरधर साहू	गवाह
14	छत्रपाल साहू	सी.सी.टी.वी. फुटेज अवलोकन पंचनामा
15	योगेन्द्र साहू	पटवारी/नजरीनक्शा
16	दानेश्वर प्रसाद नागवंशी	गवाह
17	प्रकाश मरकाम	सी.सी.टी.वी. फुटेज अवलोकन पंचनामा
18	आदित्य सिन्हा	डी.एन.ए. परीक्षण हेतु ब्लड सैंपल गवाह
19	डॉ. आर.के. सोनी	पी.एम. कर्ता/चिकित्सक
20	अमित कुमार पटेल	घटनास्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन गवाह
21	लुकेश ठाकुर	मृतकों के कपड़ों की जप्ती गवाह
22	प्रशांत पाण्डेय	शव को पी.एम. कराने ले जाने का साक्षी
23	तरूण कोकिला	मृतकों के कपड़ों की जप्ती गवाह
24	प्रधान आरक्षक भुनेश्वर साहू	सी.सी.टी.वी कैमरा का फुटेज एवं मोबाईल से वीडियो क्लिप गवाह

25	सूरज बंछोर	शिनाख्ती कार्यवाही गवाह
26	आनंदी ठाकुर	माल मोहर्रिर
27	निरीक्षक चंद्रकांत	विवेचनाधिकारी
28	सिद्धू बाघ	आहत/प्रत्यक्षदर्शी गवाह

8. प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची :–

प्रदर्श क्र०	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित
1	देहाती मर्ग इंटीमेशन	अ.सा.1
2	देहाती मर्ग इंटीमेशन	अ.सा.1
3	देहाती मर्ग इंटीमेशन	अ.सा.1
4	देहाती नालिशी	अ.सा.1
5	अपराध विवरण फार्म	अ.सा.1
6	पंचायतनामा (मृत्यु जांच)	अ.सा.1
7	पंचायतनामा (मृत्यु जांच)	अ.सा.1
8	पंचायतनामा (मृत्यु जांच)	अ.सा.1
9	नक्शा पंचायतनामा	अ.सा.1
10	नक्शा पंचायतनामा	अ.सा.1
11	नक्शा पंचायतनामा	अ.सा.1
12	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.1
13	शिनाख्ती पंचनामा	अ.सा.1
14	नजरीनक्शा	अ.सा.2
15	पंचनामा	अ.सा.2
16	मेमोरेंडम कथन	अ.सा.2
17	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
18	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
19	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
20	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
21	मेमोरेंडम कथन	अ.सा.2
22	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
23	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
24	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
25	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
26	मेमोरेंडम कथन	अ.सा.2
27	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
28	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2

29	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
30	मेमोरेंडम कथन	अ.सा.2
31	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
32	मेमोरेंडम कथन	अ.सा.2
33	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
34	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
35	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
36	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
37	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
38	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
39	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
40	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
41	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.2
42	गिरफ्तारी पत्रक	अ.सा.2
43	गिरफ्तारी पत्रक	अ.सा.2
44	गिरफ्तारी पत्रक	अ.सा.2
45	गिरफ्तारी पत्रक	अ.सा.2
46	गिरफ्तारी पत्रक	अ.सा.2
47	सीसीटीवी फुटेज अवलोकन पंचनामा	अ.सा.2
48	शिनाख्ती पंचनामा	अ.सा.2
49	धारा 94 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.2
50	धारा 179 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.2
51	धारा 179 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.3
52	शिनाख्ती पंचनामा	अ.सा.3
53	धारा 179 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.3
54	धारा 179 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.3
55	धारा 179 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.4
56	धारा 94 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.8
57	धारा 179 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.8
58	शिनाख्ती पंचनामा	अ.सा.10
59	धारा 94 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.13
60	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.14

61	सीसीटीवी फुटेज अवलोकन पंचनामा	अ.सा.14
62	नजरीनक्शा बाबत लिखित पत्र	अ.सा.15
63	धारा 94 बी.एन.एस.एस. नोटिस	अ.सा.16
64	सीसीटीवी फुटेज अवलोकन पंचनामा	अ.सा.17
65	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.17
65 ए	डी.एन.ए. यूनिट रिपोर्ट	अ.सा.18
66	डी.एन.ए. यूनिट रिपोर्ट	अ.सा.18
67	डी.एन.ए. यूनिट रिपोर्ट	अ.सा.18
68	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.18
69	शव परीक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट)	अ.सा.19
70	शव परीक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट)	अ.सा.19
70 ए	धारा 63(4)(**C**) बी.एस.ए. के तहत प्रमाण पत्र	अ.सा.20
71	शव परीक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट)	अ.सा.19
71 ए	एफ.एस.एल. सैंपल रिपोर्ट	अ.सा.20
72	थाना द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (**scene of crime unit ,Dhamtari**)को लिखित पत्र	अ.सा.20
73	क्यूरी रिपोर्ट	अ.सा.19
73 ए	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.21
74	क्यूरी रिपोर्ट	अ.सा.19
74 ए	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.21
75	क्यूरी रिपोर्ट	अ.सा.19
75 ए	संपत्ति जप्ती पत्रक	अ.सा.21
76	क्यूरी रिपोर्ट	अ.सा.19
76 ए	धारा 63(4)(**c**) बी.एस.ए. के तहत प्रमाण पत्र	अ.सा.24
77	क्यूरी रिपोर्ट	अ.सा.19
77 ए	धारा 63(4)(**c**) बी.एस.ए. के तहत प्रमाण पत्र	अ.सा.24
78	क्यूरी रिपोर्ट	अ.सा.19
78 ए	धारा 63(4)(**c**) बी.एस.ए. के तहत प्रमाण पत्र	अ.सा.24
79	क्यूरी रिपोर्ट	अ.सा.19
79 ए	अंकसूची	अ.सा.24

80	क्यूरी रिपोर्ट	अ.सा.19
80 ए	धारा 63(4)(**c**) बी.एस.ए. के तहत प्रमाण पत्र	अ.सा.24
81	ज्ञापन	अ.सा.25
82**C**	जप्तमाल रजिस्टर सत्यप्रति	अ.सा.26
83	शव परीक्षण के लिए आवेदन	अ.सा.27
84	शव परीक्षण के लिए आवेदन	अ.सा.27
85	शव परीक्षण के लिए आवेदन	अ.सा.27
86	कर्तव्य प्रमाण पत्र	अ.सा.27
87	अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना	अ.सा.27
88	अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना	अ.सा.27
89	अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना	अ.सा.27
90	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अ.सा.27
91	घटनास्थल –फोटो (**Google Map**)	अ.सा.27
92	पटवारी नक्शा हेतु लिखित पत्र	अ.सा.27
93	धारा 47 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
94	धारा 47 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
95	धारा 47 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
96	धारा 47 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
97	धारा 47 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
98	धारा 48 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
99	धारा 48 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
100	धारा 48 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
101	धारा 48 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
102	धारा 48 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
103	**PART A** (**Sec**. 63(4)(**c**) **B.S.A**. 2023) प्रमाण पत्र	अ.सा.27
104	**PART A** (**Sec**. 63(4)(**c**) **B.S.A**. 2023)प्रमाण पत्र	अ.सा.27
105	**PART A** (**Sec**. 63(4)(**c**) **B.S.A**.	अ.सा.27

	2023)प्रमाण पत्र	
106	डी.एन.ए. परीक्षण हेतु ब्लड सैंपल हेतु डॉक्टर टीम गठित किये जाने बाबत लिखित पत्र	अ.सा.27
107	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
108	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
109	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
110	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
111	ब्लड सैंपल हेतु सहमति	अ.सा.27
112	ब्लड सैंपल हेतु सहमति	अ.सा.27
113	ब्लड सैंपल हेतु सहमति	अ.सा.27
114	आरोपीगण की पहचान कार्यवाही हेतु अनुमति बाबत पत्र	अ.सा.27
115	आरोपीगण की पहचान कार्यवाही हेतु अनुमति बाबत पत्र	अ.सा.27
116	आरोपीगण की पहचान कार्यवाही हेतु अनुमति बाबत पत्र	अ.सा.27
117	नोटशीट कॉल डिटेल के संबंध में	अ.सा.27
118	नोटशीट कॉल डिटेल के संबंध में	अ.सा.27
119	नोटशीट कॉल डिटेल के संबंध में	अ.सा.27
120	नोटिस धारा 35(3)बी.एन.एस.एस.	अ.सा.27
121	नोटिस धारा 35(3)बी.एन.एस.एस.	अ.सा.27
122	नोटिस धारा 35(3)बी.एन.एस.एस.	अ.सा.27
123	नोटिस धारा 35(3)बी.एन.एस.एस.	अ.सा.27
124	नोटिस धारा 35(3)बी.एन.एस.एस.	अ.सा.27
125	चैन आफ कस्टडी फार्म	अ.सा.27
126	जप्तशुदा वाहन की जानकारी बाबत लिखित पत्र	अ.सा.27
127	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
128	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
129	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
130	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
132	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
133	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
134	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27

135	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
136	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
137	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
138	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
139	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
140	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
141	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
142	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
143	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
144	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
145	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
146	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
147	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
148	धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस	अ.सा.27
149	जप्तशुदा वस्तुओं का रासायनिक परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदाय करने बाबत एफ.एस.एल. रायपुर को लिखित पत्र	अ.सा.27
150	एफ.एस.एल. रायपुर की पावती	अ.सा.27
151	जप्त वस्तुओं का डी.एन.ए. परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदाय करने बाबत एफ.एस.एल. रायपुर को लिखित पत्र	अ.सा.27
152	एफ.एस.एल. रायपुर की पावती	अ.सा.27
153	एफ.एस.एल. परीक्षण रिपोर्ट	अ.सा.27
154	एफ.एस.एल. परीक्षण रिपोर्ट	अ.सा.27
155	प्रदर्श वापसी रसीद	अ.सा.27

9. भौतिक वस्तुओं/मुद्दामाल का विवरण

भौतिक वस्तु (**M.O.**) क्र.	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित
आर्टिकल 1	मोबाईल डाटा पेनड्राईव	अ.सा.2
आर्टिकल 2	सी.सी.टी.वी. फुटेज पेनड्राईव	अ.सा.2

आर्टिकल 3 से 12	फोटोग्राफ्स	अ.सा.20
4	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक नितिन तांडी के शव के पास का खून आलूदा मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	अ.सा.27
5	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक नितिन तांडी के शव के पास का सादी मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	अ.सा.27
6	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक आलोक सिंह ठाकुर के शव के पास का खून आलूदा मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	अ.सा.27
7	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक आलोक सिंह ठाकुर के शव के पास का सादी मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	अ.सा.27
8	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक सुरेश हियाल के शव के पास का खून आलूदा मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	अ.सा.27
9	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक सुरेश हियाल के शव के पास का सादी मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	अ.सा.27
10	एक कार सफेद रंग का मारूति सुजुकी स्विप्ट डिजायर क्र. सी.जी.13/बी बी/1062	अ.सा.27
11	हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर मोटर सायकल क्र. सी.जी.05/एन/2264	अ.सा.27
12	06 नग भूरा कलर का प्लास्टिक कुर्सी शिवनाथ कंपनी का	अ.सा.27
13	एक नग लोहे जैसे धातु का चाकू मूठ भाग काला एवं पीला रंग का एक भाग धादार नुकीला उपर भाग में छेद बना हुआ कुल लंबाई 32.5 सेमी. फल की लंबाई 20.2 सेमी., फल की चौड़ाई मध्य भाग 4 सेमी. जिसमें खून जैसा दाग लगा हुआ	अ.सा.27
14	एक नग बटनची स्प्रींगदार चाकू जिसकी कुल लं. 23 सेमी. फल की लं. 10 सेमी., मूठ की लं. 13 सेमी., फल की चौ. 2.5 सेमी.	अ.सा.27
15	एक नग स्टील जैसे धातु का बना बम्बू जिसकी कुल लं. 26 सेमी., मूठ की लं. 11 सेमी., फल की लं. 15 सेमी., मूठ की गोलाई 6 सेमी.	अ.सा.27
16	एक नग बजाज डिस्कवर मोटरसायकल जिसका चेचिस नं. **MP**20**SPAZZUPD**01366	अ.सा.27
17	हीरो होण्डा स्प्लेण्डर मोटर सायकल क्र. सी.जी.07/ए एफ/2047	अ.सा.27
18	एक नग शर्ट फूल बांह वाला सफेद नीला लायनिंग वाला **WIEW GORDEN** कंपनी का "**L**" साईज का जिसमें जगह–जगह खून जैसे दाग धब्बे लगा हुआ आरोपी गोपी दीवान का	अ.सा.27
19	एक नग टाउजर काला रंग का 30 नंबर साईज का जिसके बांये जांघ भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी	अ.सा.27

	गोपी दीवान का।	
20	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल जिसमें जियो कंपनी का सिम नं. 9691556146 लगा हुआ	अ.सा.27
21	एक नग टी–शर्ट कत्था रंग का हाफ बांह वाला **OK FASHION** कंपनी का "**M**" साईज का जिसके सामने बांये भाग में खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी कुलेश्वर नेताम का।	अ.सा.27
22	एक नग जीन्स फूलपेंट काला रंग का 30 नंबर का जिसके बांये जांघ के पास 2**Y is Right** जिसके घुटना के पास दोनों भाग में फटा हुआ जिसके आगे पीदे मिट्टी लगा हुआ आरोपी कुलेश्वर नेताम का।	अ.सा.27
23	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल वीवो कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का सिम मोबाईल नं. 9244392033 लगा हुआ।	अ.सा.27
24	एक नग शर्ट फूल बांह का सफेद रंग का 38 नंबर साईज का जिसमें जगह–जगह खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी रणवीर साहू का।	अ.सा.27
25	एक नग हाफ बनियान सफेद रंग का **BlACK** लिखा हुआ जिसके सामने भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी रणवीर सिंह का।	अ.सा.27
26	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल ओप्पो कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का मोबाईल नं. 8305304711	अ.सा.27
27	एक नग फूल बांह का संतरा सफेद रंग चेकदार जिसमें **Mark box** साईज "**L**" जिसके सामने नीचे दाहिने भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी कमलेश कुमार ध्रुव का ।	अ.सा.27
28	एक नग लोवर गाढ़ा हरा रंग का नाड़ा लगा हुआ अरोपी कमलेश ध्रुव का।	अ.सा.27
29	एक नग शर्ट फूल बांह का काला सफेद छिटदार **Dashing Shirt** "**L**" साईज जिसके दाहिने कंधा एवं बांये भुजा भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी गौतम दीवान का।	अ.सा.27
30	एक नग जीन्स फूलपेंट नीला रं का 28 नंबर का **Super dry** कंपनी का जिसमें मिट्टी लगा हुआ आरोपी गौतम दीवान का।	अ.सा.27
31	एक नग प्रगति पत्रक शासकीय माध्यमिक शाला मथुराडीह का **X** का।	अ.सा.27
32	एक नग प्रगति पत्रक शासकीय माध्यमिक शाला मथुराडीह का **Y** का।	अ.सा.27
33	एक नग प्रगति पत्रक शासकीय माध्यमिक शाला मथुराडीह का **Z** का।	अ.सा.27
34	एक नग शर्ट फूल बांह का काला लाल सफेद रंग का	अ.सा.27

	छिंटदार **BINDAS** कंपनी का "**L**" साईज का जिसके सामने भाग दाहिने जेब के नीचे तथा पीठ भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **X** का।	
35	एक नग लोवर काला रंग का जिसके नीचे भाग में मिट्टी लगा हुआ जे के दाहिने भाग में गुलाबी रंग का चैन लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **X** का।	अ.सा.27
36	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल पोको कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का मोबाईल सिम नंबर 8770304826 लगा हुआ।	अ.सा.27
37	एक नग हाफ टी–शर्ट "**L**" साईज का हल्का हरा रंग का जिसके समाने भाग में 2 काला पट्टी लगा हुआ, पीछे भाग में लिखा हुआ घड़ी वाला कार्टून बना हुआ जिसके सामने पीछे भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **Y** का।	अ.सा.27
38	एक नग काले रंग का टाउजर जिसके आगे पीछे मिट्टी लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **Y** का।	अ.सा.27
39	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल ओप्पो कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का सिम मोबाईल नंबर 9244268722 लगा हुआ।	अ.सा.27
40	एक नग टीशर्ट हाफ बांह वाला भूरा रंग का जिसके सामने भाग में **The awakening** लिखा हुआ डैकी डक कार्टून बना हुआ जिसका साईज "**S**" सामने भाग में खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **Z** का।	अ.सा.27
41	एक नग फूलपेंट काला रंग का **FASHION** कंपनी का "**M**" साईज का पुराना इस्तेमाली विधि से संघर्षरत बालक **Z** का।	अ.सा.27
42	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल मोटोरोला कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का सिम मोबाईल नंबर 9244573473 लगा हुआ।	अ.सा.27
43	एक नग मृतक नितिन तांडी का काला नीला रंग का चेकदार शर्ट	अ.सा.27
44	एक नग मृतक नितिन तांडी का काला रंग का जीन्स पेंट	अ.सा.27
45	एक नग मृतक नितिन तांडी का नीला रंग का अंडरवियर	अ.सा.27
46	एक नग मृतक आलोक सिंह ठाकुर का **Yellow** कलर का टीशर्ट	अ.सा.27
47	एक नग मृतक आलोक सिंह ठाकुर का **Black** कलर का जीन्स पेंट	अ.सा.27
48	एक नग मृतक आलोक सिंह ठाकुर का **Blue** कलर का अंडरवियर	अ.सा.27
49	एक नग मृतक सुरेश हियाल का **Orange** कलर का **Torn** टीशर्ट	अ.सा.27
50	एक नग मृतक सुरेश हियाल का **Black** कलर का जीन्स पेंट	अ.सा.27

51	एक नग मृतक सुरेश हियाल का **Black** कलर का बनियान	अ.सा.27
52 **Article A**–2	एक नग मृतक सुरेश हियाल का **Black** कलर का अंडरवियर	अ.सा.27
53	एक नग पेन ड्राईव **Sandisk** कंपनी का जिसमें अन्नपूर्णा होटल एवं फैमली रेस्टोरेंट (ढाबा) का दिनांक 11.08.25 का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज संग्रहित है	अ.सा.27
54	एक नग सीपी प्लस कंपनी का डीवीआर अन्नपूर्णा होटल एवं फैमली रेस्टोरेंट (ढाबा) का।	अ.सा.27
55 **Article A**–13	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल वीवो कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का सिम मोबाईल नंबर 7723914862 लगा हुआ।	अ.सा.27
56 **Article A**–14	एक नग पेनड्राईव **Sandisk** कंपनी का जिसमें सखा राम जानकी फ्यूल्स का दिनांक 11.08.25 का 23:30 से 23:59 तक का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज संग्रहित।	अ.सा.27
57	एक नग पेनड्राईव **Sandisk** कंपनी का जिसमे कुंजाम प्रिंटर एंव मोबाईल दुकान का दिनांक 11.08.25 से 12.08.25 तक का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज संग्रहित है।	अ.सा.27
58	शासकीय प्राथमिक शाला मथुराडीह का एक नग स्कूल दाखिल खारिज रजिस्टर	अ.सा.27
59	शासकीय प्राथमिक शाला मथुराडीह का एक नग हलफनामा रजिस्टर	अ.सा.27
60	एक नग **EDTA VIAL** में 3**ml** मृतक नितिन तांडी की मां श्रीमती नीरी तांडी का ब्लड।	अ.सा.27
61	एक नग **EDTA VIAL** में 3**ml** मृतक आलोक सिंह ठाकुर की मां श्रीमती करूणा सिंह ठाकुर का ब्लड।	अ.सा.27
62	एक नग **EDTA VIAL** में 3**ml** मृतक सुरेश हियाल की मां श्रीमती आशा हियाल का ब्लड।	अ.सा.27
Article A–15	ई–साक्ष्य (**pen drive**) ,**Hash value certificate** (**u/s** 63 (4)(**c**) **B.S.A**. 2023)	अ.सा.27

10. इस प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं:–

(1) ''क्या आरोपीगण ने दिनांक 11/08/2025 को समय लगभग 23:20 बजे, स्थान ग्राम भोयना अन्नपूर्णा ढ़ाबा के पास, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी छ.ग. में जो कि लोकस्थान है या उसके निकट है, में आहत राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, नितिन तांडी, आलोक

सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को अश्लील गालियां देकर उन्हें तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?''

(2) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण अन्य विधि से संघर्षरत बालकगण के साथ विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?''

(3) ''क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण व अन्य विधि से संघर्षरत बालकगण ने विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में धारदार साधन चाकू, जिसका आक्रामक आयुध के रूप् में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, से सज्जित होकर बलवा कारित किया ?''

(4) ''क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने विधि से संघर्षरत बालकगण के साथ विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में हाथ–मुक्के से राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?''

(5) ''क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने विधि से संघर्षरत बालकगण के साथ विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में हाथ–मुक्के एवं धारदान साधन

चाकू से नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर एवं सुरेश हियाल को मारपीट कर उनकी हत्या कारित किया ?''

(6) ''क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी गोपी दीवान ने धारदार साधन चाकू जिसकी कुल लंबाई 32.5 से.मी., फल की लंबाई 20.2 से.मी., फल के मध्य भाग की चौड़ाई 4 से.मी. एवं मूठ की लंबाई 12.5 से.मी. को सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में रखा ?''

(7) ''क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी कुलेश्वर नेताम धारदार साधन बटनची स्प्रिंगदार चाकू जिसकी कुल लंबाई 23 से.मी., फल की लंबाई 10 से.मी., मूठ की लंबाई 13 से.मी. एवं फल की चौड़ाई $2^{1/2}$ (ढ़ाई) से.मी. को सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में रखा ?''

(8) ''क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी रणवीर साहू ने धारदार/नुकीला साधन स्टील जैसे धातु से बना धान–चांवल सैंपल निकालने का बंबू जिसकी कुल लंबाई 26 से.मी., मूठ की लंबाई 11 से.मी., फल की लंबाई 15 से.मी., मूठ की गोलाई 6 से.मी.को सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में रखा ?''

(9) ''क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम एवं रणवीर साहू ने धारदार चाकू का उपयोग मृतक नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर एवं सुरेश हियाल की उपहति/मृत्यु कारित करने के लिए किया ?''

(10) ''यदि हां तो परिणाम ?''

11. लोक अभियोजक ने तर्क किये हैं कि आरोपीगण द्वारा मामूली सी बात पर से विवाद करते हुए ग्राम भोयना अन्नपूर्णा ढ़ाबा के पास, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी छ.ग. में जो कि लोकस्थान है या उसके निकट है, आहत राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को अश्लील गालियां देकर उन्हें तथा उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा आहतगण राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की और तो और मृतकगण नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर एवं सुरेश हियाल की धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी गयी। आरोपीगण द्वारा कारित कृत्य/अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है जिसे अभियोजन द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। राहुल साहू (अ.सा.1) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, मिमांशु यादव (अ.सा.2) भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। दोनों साक्षीगण् ने अभियोजन के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। मिमांशु यादव (अ.सा.2) ने आरोपीगण को पहचान कार्यवाही के दौरान नहीं पहचाना है। आरोपीगण चाकू तथा गेहूं, चावल चेक करने का बम्बू जिसमें लोहे का धारदार भाग लगा हुआ था, पूर्व से अपने पास रखे हुए थे। आरोपीगण ने मृतकगण की मृत्यु कारित करने के आशय से घटना को

अंजाम दिया है। बैम्बू चाकू से मृतकगण के शरीर के मार्मिक भागों पर प्रहार किया है। आरोपीगण का कृत्य अत्यंत गंभीर है और विरलतम है। अभियोजन ने अपना प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः आरोपीगण कठोरतम दंड के पात्र हैं।

12. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि घटना रात्रि लगभग 11:00 बजे की है, सभी गवाहों ने आरोपी गोपी दीवान के द्वारा ही वार करने का कथन किया है। घटनास्थल पर स्ट्रीट लाईट नहीं थी, यह गवाहों ने बताया है। आरोपीगण, मृतकगण तथा अन्य साक्षीगण के पूर्व परीचित नहीं थे। घटना के लगभग एक माह बाद पहचान कार्यवाही की गयी है, उसके पूर्व आरोपीगण का चेहरा, फोटो सोशल मीडिया, समाचार पत्र व टी.व्ही. पर दिखाया जा चुका था, इसलिए पहचान कार्यवाही दूषित है। मृतकगण एवं आरोपीगण का कोई पूर्व रंजिश प्रकरण में दर्शित नहीं है। घटना क्षणिक आवेश में घटी है, आपसी वाद–विवाद के कारण घटना घटी है। प्रकरण में ***हेतुक*** (motive)का अभाव है। सभी साक्षीगण ने अभियोजन के अनुसार कथित रूप से तीन विधि के विरूद्ध संघर्षरत किशोरों के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। साक्षी **राहुल साहू (अ.सा.1)** ने पुलिस को आरोपीगण का नाम नहीं बताना प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 मे बताया है। **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** ने

प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 में बताया है कि आर्टिकल–1, आर्टिकल–2 किस साफ्टवेयर से तैयार किया गया है, उसे नहीं मालूम है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 24 में स्वीकार किया है कि घटना देखकर वह भाग गया था। प्रकरण में **बबलू बाघ (अ.सा.3)** ने कार के अंदर होने के कारण घटना नहीं देखना बताया है। प्रकरण में **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** पर विचार करें तो अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी स्थापित नहीं है। संपत्ति की जप्ती पुलिस थाने में की गयी है। **रामकरण यादव (अ.सा.4)** ने स्वीकार किया है कि घटना के बाद वह भाग गया था। और पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साक्षी **राजा नामदेव (अ.सा.5)** ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहले से नहीं जानता था। साक्षी **सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7)** ने बताया है कि घटना शुरू होते ही वह भाग गया था। साक्षी **दुष्यंत घोरपड़े (अ.सा.8)** ने बताया है कि DVR Memory की कॉपी कैसे की गयी वह नहीं जानता। साक्षी **सिद्धू बाघ (अ.सा.28)** ने कथन किया है कि शिनाख्तीकर्ता और आरोपी का नाम वह नहीं जानता है। तहसीलदार के कहने पर उसने पहचान कार्यवाही के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। यह साक्षी जेल में निरूद्ध है, आपराधिक प्रकरण में संलिप्त है, उसके

साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में ब्लड ग्रुप से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं है। चिकित्सक साक्षी ने चाकू धारदार जैसे साधन से चोटें आने का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया है, परंतु अन्य दो साधन जिन्हें प्रकरण में जप्त किया जाना बताया है, से चोटें आने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन का मामला केवल संभावनाओं पर आधारित है। संभावनाओं और संदेह के आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। **प्र.पी.71** घटनास्थल पर तैयार नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन अपना मामला संदेह से परे स्थापित करने में सफल नहीं रहा है। अतः आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 पर सकारण निष्कर्ष

13. आरोपीगण के द्वारा आहत राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को अश्लील गालियां कर उन्हें तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने के संदर्भ में विचार करें तो घटनास्थल लोक स्थान या उसके समीप है, इस तथ्य को बचाव पक्ष द्वारा विवादित नहीं किया गया है। **राहुल साहू (अ.सा.1)** का कथन है कि ढाबा में आरोपीगण

तोड़फोड़ व विवाद कर रहे थे, जैसे ही नितिन तांडी कार से उतरा तो गोपी दीवान व उसके साथी मां–बहन की अश्लील गाली–गलौच करने लगे, उनके मना करने पर उनके साथ गाली–गलौच किया। **बबलू बाघ (अ.सा.3)** ने यह कथन किया है कि जैसे ही वे लोग ढाबा के सामने कार से उतरे तो गोपी दीवान व उसका एक साथ उनके साथ गाली–गलौच करने लगे। **सिद्धू बाघ (अ.सा.28)** का कथन है कि उनकी कार जैसे ही ढाबे के सामने रूकी आरोपीगण उनके साथ गाली–गलौच करने लगे। उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण के द्वारा गाली–गलौच करना तो बताया है, परंतु किन अश्लील शब्दों का प्रयोग आरोपीगण ने किया, इस संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किया है तथा शेष अन्य साक्षीगण ने गाली–गलौच किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण द्वारा अश्लील गाली–गलौच कर राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 से 9 पर सकारण निष्कर्ष</u>

14. प्रकरण में सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या मृतकगण नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल की मृत्यु की प्रकृति

आपराधिक मानव वध है ? इस संबंध में **राहुल साहू (अ.सा.1), मिमांशु यादव (अ.सा.2), बबलू बाघ (अ.सा.3), रामकरण यादव(अ.सा.4), राजा नामेदव (अ.सा.5), चन्द्रप्रकाश बचेकर (अ.सा.6), सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7), सिद्धू बाघ (अ.सा.28), विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू (अ.सा.27)** के कथन एवं दस्तावेजों से यह दर्शित होता है कि नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल की मृत्यु हो चुकी है और बचाव पक्ष ने इस तथ्य को विवादित भी नहीं किया है।

15. **राहुल साहू (अ.सा.1)** जो कि प्रकरण में प्रार्थी/सूचनाकर्ता है, का साक्ष्य है कि आरोपीगण ने उन लोगों को मारो कहकर गाली गलौच कर अपने साथ रखे चाकू को निकाल लिये और आरोपी गोपी दीवान अपने हाथ में रखे चाकू से नितिन ताण्डी के सीना, पेट आदि में दो तीन जगह वार किया था जिससे नितिन ताण्डी जमीन में गिर गया। नितिन को बचाने के लिए आलोक सिंह गया था तब गोपी दीवान के साथी लोग आलोक सिंह को भी पकड़ लिये तब गोपी दीवान ने अपने हाथ में रखे चाकू से आलोक सिंह के गर्दन में वार किया जिससे आलोक सिंह भी जमीन में गिर गया। मृतक सुरेश हियाल अपनी जान बचाते हुए पेट्रोल पंप की ओर भागते हुए आया तब तीन आरोपीगण सुरेश हियाल को पेट्रोल पंप के पास पकड़ लिये और चाकू से उसकी छाती पर

वार किया उसके बाद सुरेश हियाल भागते–भागते टायर पंचर दुकान के अंदर गिर गया। **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** जो कि प्रत्यक्षदर्शी है, घटना के समय घटनास्थल अन्नपूर्णा ढाबा में मैनेजर के रूप में कार्यरत था, का साक्ष्य है कि आरोपीगण रोड में चल रहे हाईवा, ट्रक आदि को रोकने की कोशिश कर रहे थे और गाडियों को पत्थर से मार रहे थे, उसी समय राहुल साहू अपने दो अन्य साथी के साथ बाईक में उनके ढाबा में पहुंचे, उनके पीछे एक सफेद रंग की कार में चार लोग ढाबा आए और कार से उतर रहे थे तभी आरोपीगण कार के साईड में बैठे एक व्यक्ति को पकड़ लिये और उससे हाथापाई करने लगे, इसी बीच आरोपी गोपी दीवान अपने पास रखे चाकू से उस व्यक्ति के गले के पास वार किया जिससे वह व्यक्ति जमीन में गिर गया। उसके बाद आरोपीगण कार को ड्राइव कर उतरे व्यक्ति की ओर गये और उसे पकड़कर मारपीट करने लगे।

16. **बबलू बाघ (अ.सा.3)** का साक्ष्य है कि गाड़ी से उतरते ही नितिन तांडी के साथ गोपी दीवान एवं उनके साथीगण मारपीट करने लगे।गोपी दीवान अपने पास रखे चाकू से नितिन तांडी के पेट में वार किया और उसके बाद आलोक सिंह को रणवीर साहू पकड़कर खींचा तब कुलेश्वर नेताम, कमलेश, गौतम दीवान आलोक सिंह को पकड़ लिये तब आरोपी गोपी दीवान उसके गर्दन पर चाकू से मारा। सुरेश कार का

दरवाजा खोलकर दाहिने तरफ भागने लगा तब आरोपीगण तीन–चार लड़के उसे दौड़ाए और पेट्रोल पंप के पास मेन रोड में चाकू से उसके सीने पर वार किये, थोड़ी दूर आगे जाकर पंचर दुकान के पास सुरेश गिर गया। मृतक सुरेश के सीने में चोंट आयी थी। **रामकरण यादव (अ.सा.4)** जो कि ढाबा में वेटर है, का साक्ष्य है कि घटना दिनांक को रात्रि लगभग 11:00 बजे उनके ढाबे के सामने रूकी जिसमें चार–पांच लोग सवार थे एवं दो लोग बाईक से आये जैसे ही कार से वे लोग उतरे आरोपीगण उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे, गोपी दीवान एक व्यक्ति को चाकू से सीने मे मारा जिससे वह व्यक्ति वहीं जमीन में गिर गया, फिर दूसरा व्यक्ति के भागने के दौरान आरोपी गोपी दीवान ने चाकू से मारा था जिससे वह व्यक्ति वहीं रोड किनारे जमीन में गिर गया, तीसरा व्यक्ति भागते हुए पेट्रोल पंप की ओर गया था जिसे आरोपीगण दौड़ाए और उसे भी चाकू मार दिये।

17. **राजा नामदेव (अ.सा.5)** जो कि ढाबा में रसोईया है, का साक्ष्य है कि आरोपीगण ढाबा के पिछले हिस्से में बैठकर खाना खा रहे थे और आपस में वाद–विवाद लड़ाई झगडा हो रहे थे तब उनके मना करने पर आरोपीगण ढाबा से बाहर निकलकर ढाबा के सामने रखे खाट में बैठ गये और कुछ देर बाद आने–जाने वाले ट्रक, कार, हाईवा आदि को

रोककर गाली–गलौच कर रहे थे। साक्षी ने आगे कथन किया है कि कुछ देर बाद लगभग 10.30–11.00 बजे कुछ लोग कार व बाईक से उनके ढाबा पहुंचे जिसमें से राहुल साहू उनके पास आये और खाना के संबंध में पूछने लगा तो आरोपीगण कार से उतरे लोगों के साथ वाद–विवाद करने लगे और एक व्यक्ति कार से निकलकर ढाबे के तरफ आ रहे थे तब गोपी दीवान ने उस व्यक्ति को ढाबे के सामने ही चाकू से मार दिया जिससे वह व्यक्ति वहीं जमीन पर गिर गया। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को भी आरोपीगण ने चाकू से मार दिया, उसके बाद तीसरा व्यक्ति भाग रहा था उसे दौड़ाकर पेट्रोल पंप के पास चाकू से मार दिया। **चन्द्रप्रकाश बचेकर (अ.सा.6)** जो कि ढाबा संचालक है, का साक्ष्य है कि घटनास्थल के पास उसका मुसाफिर ढ़ाबा है जिसका वह संचालक है। घटना की रात्रि उसके ढाबा बगल में स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के सामने 7–8 लड़के लोग हाईवा तथा आने जाने वाले वाहन को ईंट पत्थर से मार रहे थे। उसी समय एक हाईवा रूकी उसके ड्राइवर को मारने के लिए आरोपीगण अन्नपूर्णा ढाबा तरफ से चाकू लेकर आया था, उसके बाद हाईवा ड्राइवर डरकर अपना हाईवा लेकर भाग गया। उसी समय धमतरी की ओर से एक मोटरसायकल और एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार आकर ढाबा के सामने रूकी तब महरुन कलर का शर्ट पहने लड़के को दौड़ाते हुए उसके

ढाबा तरफ दो लड़के आए। उसके बाद महरुन कलर शर्ट पहना लड़का उसके ढाबा से मुड़कर पेट्राल पंप की ओर भागा उसके पीछे उक्त दोनों लड़के भी भागे। जब वह अपने ढाबा से निकलकर बाहर देखा तो दो लड़कों का शव सड़क किनारे पड़ा था। उसके बाद वह अपने ढाबा अंदर आया तब एक लड़का दौड़ते हुए उसके ढाबा के अंदर बचाओ–बचाओ कहते हुए आया उसके पीछे–पीछे आरोपी रणवीर, कुलेश्वर, एक अन्य आरोपी आया जिसने चाकू पकड़ा था। उसके बाद वह डर के कारण अपने ढाबे के पीछे वाले रास्ते से भाग गया।

18. **सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7)** का साक्ष्य है कि वह मुसाफिर ढाबा में रसोईया है। घटना के समय महरून कलर की शर्ट पहना लड़का उसके ढ़ाबा तरफ आया जिसके पीछे–पीछे दो लड़के भी आये उसके बाद महरुन कलर शर्ट पहना लड़का उसके ढाबा से मुड़कर पेट्रोल पंप की ओर भागा उसके पीछे उक्त दोनों लड़के भी भागे। वह ढाबा अंदर किचन में था तब एक लड़का दौड़ते हुए ढाबा के अंदर बचाओ–बचाओ कहते हुए आया जिसे उन्होंने छत में छिप जाओ कहा था। उसके पीछे–पीछे तीन व्यक्ति आये जिसमें से एक के हाथ में चाकू था जो ढाबा संचालक चंद्रप्रकाश बचेकर के साथ बहस करने लगे । उसके बाद वह डर के कारण अपने ढाबे के पीछे रास्ते से भाग गया। पुलिस के आने के

बाद वह दोनों शव के पास जाकर देखा था। उसके बाद उसे पता चला कि एक व्यक्ति का शव मथुराडीह मोड़ टायर दुकान के पास पड़ा है। **दुष्यंत घोरपड़े (अ.सा.8)** जो कि घटनास्थल अन्नपूर्णा ढाबा का संचालक है, का साक्ष्य है कि मिमांशु यादव ने उसे फोन करके बताया था कि ढाबा के पास बाईक एवं कार से जो आये हुए हैं उनसे मथुराडीह के युवक मारपीट कर रहे हैं। बाद में उसे मिमांशु यादव ने फोन कर बताया कि दो युवकों का काफी ब्लड निकल रहा है और एक युवक को पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ाते ले गये हैं। ढाबा के सामने आलोक ठाकुर, नितिन तांडी मृत अवस्था में पड़े हुए थे। फिर आगे जाकर देखा तो पेट्रोल पंप के पास पंचर दुकान के सामने तीसरा युवक भी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था जिन्हें आरोपीगण ने दौड़ाकर मारा था। **सिद्धू बाघ (अ.सा.28)** का साक्ष्य है कि घटना दिनांक को घटनास्थल के पास नितिन जैसे ही कार से नीचे उतरा तो आरोपीगण में से गोपी दीवान ने अपने पास रखे चाकू से उसके पेट में मार दिया जिससे नितिन तांडी गिर गया और आलोक सिंह बीच–बचाव करने पहुंचा तब दो–तीन लड़क उसे पकड़ लिये तब गोपी दीवान ने उसके गले में वार किया तभी आलोक सिंह अपने गले को पकड़ हुए कार के पास आया और कार का दरवाजा खोलते समय जमीन में नीचे

गिर पड़ा। आरोपीगण को सुरेश को दौड़ाने लगे तब सुरेश मुसाफिर ढाबा तरफ भागा तो आरोपीगण उसके पीछे–पीछे भागे।

19. **चिकित्सक साक्षी डॉ. आर.के. सोनी (अ.सा.19)** का साक्ष्य है कि थाना अर्जुनी के अपराध क्रमांक 117/25 धारा 103(1), 190, 191(1)(3) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट के मृतक आलोक सिंह ठाकुर पिता संतोष सिंह ठाकुर उम्र लगभग 30 वर्ष का शव आरक्षक क्र. 665 प्रशांत पाण्डेय द्वारा दिनांक 12.08.2025 को सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम हेतु लाया गया जिसकी पहचान शैलेन्द्र सिंह, विजय श्रीवास्तव एवं शोभित सिंह द्वारा की गयी। उसने शव के बाहरी परीक्षण में पाया कि शव एक सामान्य कद काठी पुरुष था, जो कि सीधा लेटा हुआ था एवं खून से सना हुआ पीले रंग का फुल टीशर्ट खून से सना हुआ काले रंग का जीन्स एवं नीले रंग का चड्डी पहना हुआ था। सिर बाई ओर घूमा हुआ था, चेहरा पीला पड़ चुका था, दोनों आंखे बंद थी एवं आंखों की पुतलियां फैली हुई थी मुंह बंद था। वीर्य का स्त्राव हो गया था एवं पूरे शरीर पर अकडन था। **मृतक के शरीर पर निम्न चोंटे थी**–मृतक के गर्दन के बांई तरफ स्टेब वुण्ड (stab wound)था जो कि 2 सेमी. लंबा, 1 सेमी चौड़ा और 12 सेमी तक का गहरा था। चोंट के डीसेक्शन करने पर बांए साईड के गर्दन की मांसपेशियां कटी हुई थी एवं गर्दन के खून की

नली कैरोटिड आर्टरी एवं सब क्लेवियन, वेन कट गई थी। उसने आंतरिक परीक्षण में पाया कि दोनों फेफडों पर खून नहीं था, हृदय के सभी चेम्बर खाली थे, अमाशय में बिना पचा हुआ खाना था, छोटी आंत में पचा हुआ खाना एवं बडी आंत में मल भरा था, लीवर स्पिलिन एवं किडनी में खून नहीं था, पेशाब की थैली खाली थी। मृतक को आई उक्त चोटें किसी धारदार एवं नुकीले कड़े वस्तु से आना संभव है जो मृत्यु के पूर्व की है। उसके **अभिमतानुसार**–मृतक आलोक सिंह ठाकुर की मृत्यु गर्दन के बांई ओर आई चोंट जिससे गर्दन की बांई ओर की खून की नली के कट जाने से अत्यधिक रक्त स्त्राव होने से हाईपोवाल्यूमिक शॉक (hypovolemic shock) में जाने से हुई थी, जिसकी मृत्यु पोस्टमार्टम के 10–18 घंटा पूर्व की प्रतीत होती है तथा मृत्यु की प्रकृति **हत्यात्मक** थी। उक्त संबंध में उसके द्वारा दिया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श पी 69** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

20. **चिकित्सक साक्षी डॉ. आर.के. सोनी (अ.सा.19)** का आगे यह भी साक्ष्य है कि उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा मृतक सुरेश हियाल पिता बिशेख हियाल उम्र लगभग 32 वर्ष का शव पोस्टमार्टम हेतु लाया गया था जिसकी शिनाख्ती तीरथ हियाल, सुशांत सोनी एवं नारायण हियाल के द्वारा की गई थी। उसने उक्त शव के बाहरी परीक्षण पर

पाया कि शव एक सामान्य कद काठी का व्यक्ति का जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष था जो कि सीधा लेटा हुआ था एवं खून और धूल से सना हुआ एवं संतरा रंग का फटा हुआ टीशर्ट, खून से सना हुआ काले रंग का बनियान एवं खून से और धूल से सना हुआ काले रंग का जीन्स, खून से सना हुआ काले रंग का चड्डी एवं सफेद रंग का शूज पहना हुआ था। सिर सीधा था, चेहरा पीला पड़ चुका था, दोनों आंखे बंद थी, पुतलियां फैली हुई थी, मुंह बंद था, वीर्य का स्त्राव हो चुका था, पूरे शरीर में अकड़न था। मृतक के शरीर पर निम्न चोंटे पाई गई थी–1. सिर के पिछले हिस्से के मध्य भाग पर 2 सेमीX 0.5 सेमी X 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव(incised wound) था, 2. छाती के दांई तरफ स्टेब वुण्ड (stab wound)जो कि 5 सेमी लंबा, 1 सेमी चौड़ा एवं 20 सेमी का गहरा था, डीसेक्शन करने पर दांए साईड का फेफडा निचले हिस्से से फट गया था एवं फेफडा के बाहरी झिल्ली फटी हुई थी, लीवर कट गया था, फेफडा के चारो तरफ लगभग 1 ली० खून एवं पेट में लगभग 1.5 ली० का खून भरा हुआ था। उसने शव के आंतरिक परीक्षण में पाया कि फेफडों के अंदर खून नहीं था, हृदय के चारो चेम्बर खाली थे, पेट में बिना पचा हुआ खाना भरा था, छोटी आंत में पचा हुआ खाना एवं बडी आंत में मल भरा हुआ था । लीवर स्पिलिन एवं किडनी के अंदर खून

नहीं था । मृतक को आई सभी चोंटें किसी कड़े धारदार और नुकीले वस्तु से आना संभव था जो मृत्यु के पूर्व की थी। उसके **अभिमतानुसार –** मृतक सुरेश हियाल की मृत्यु छाती के दांई ओर आई हुई चोट के कारण, दांए फेफडा के फट जाने से, लीवर के फट जाने से, अत्यधिक रक्त स्त्राव होने के कारण हाइपोवैल्यूमिक शॉक (hypovolemic shock) में जाने के कारण हुई थी। मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम के 10–18 घंटा पूर्व की प्रतीत होती थी तथा मृतक के मृत्यु की प्रकृति **हत्यात्मक** थी। उक्त संबंध में उसके द्वारा दिया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श पी 70** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

21. **चिकित्सक साक्षी डॉ. आर.के. सोनी (अ.सा.19)** का आगे यह भी साक्ष्य है कि उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा मृतक नितिन तांडी पिता गोपी तांडी उम्र लगभग 32 वर्ष का शव पोस्टमार्टम हेतु लाया गया था जिसकी शिनाख्ती नारायण हियाल, तीरथ हियाल, सुशामा सोनी के द्वारा की गयी। उसने शव के बाहरी परीक्षण पर पाया कि शव एक सामान्य कद काठी का पुरुष जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष जो कि सीधा लेटा हुआ था जो कि खून से सना हुआ, नीले एवं काले रंग का फुल शर्ट, खून से सना हुआ काले रंग का जीन्स, खून से सना हुआ काले रंग का चड्डी एवं खून से सना हुआ सफेद रंग के जूते पहना हुआ

था। मृतक का सिर सीधा था, चेहरा पीला पड़ चुका था, दोनों आंखे बंद थी, पुतलियां फैली हुई थी, मुंह बंद था, वीर्य का स्त्राव हो चुका था, पूरे शरीर में अकड़न था। **<u>मृतक के शरीर पर निम्न चोंटे पाई गई थी– 1.</u>** गर्दन के बांई तरफ ऊपरी हिस्से पर स्टेब वुण्ड (stab wound) जो कि 2 सेमी लंबा, 1 सेमी चौडा एवं 10 सेमी गहरा था। चोट के डिसेक्शन पर गर्दन की बांए साईड की मांसपेशियां कट गई थी एवं गर्दन की बांई तरफ की खून की नली कैरोटिड आर्टरी(carotid artery) कट गई थी । **2.** मृतक के बांए हाथ के कोहनी के ऊपर के हिस्से के मध्य भाग पर स्टेब वुण्ड (stab wound)जो कि 5 सेमी लंबा, 2 सेमी चौडा एवं 10 सेमी का गहरा था एवं बांए हाथ के खून की नली कट गई थी। **3.** पेट के दांई तरफ ऊपरी हिस्से पर स्टेब वुण्ड (stab wound)जिसकी लंबाई 3 सेमी, चौडाई 2 सेमी एवं गहराई 12 सेमी था । चोट के डिसेक्शन पर लीवर फट गया था एवं पेट में लगभग 1 ली० का खून भरा हुआ था । **4.** मृतक के पेट के बांई तरफ निचले हिस्से पर स्टेब वुण्ड(stab wound) जिसकी 3 सेमी लंबाई, 2 सेमी चौडाई एवं 12 सेमी की गहराई थी । चोट के डिसेक्शन पर मृतक के छोटी आंत बांई तरफ से कट गया था एवं छोटी आंत का पचा हुआ खाना, चोट के चारो तरफ फैला हुआ था। उसने शव के आंतरिक परीक्षण पर पाया कि

फेफडों के अंदर खून नहीं था, हृदय के चारों चेम्बर खाली थे, पेट में बिना पचा हुआ खाना भरा था, छोटी आंत में पचा हुआ खाना एवं बडी आंत में मल भरा हुआ था। लीवर स्पिलिन एवं किडनी के अंदर खून नहीं था। मृतक को आई सभी चोंटें किसी कड़े धारदार और नुकीले वस्तु से आना संभव था जो मृत्यु के पूर्व की थी । **उसके अभिमतानुसार** – मृतक नितिन तांडी की मृत्यु मृतक के गर्दन के बांई तरफ आई चोंट में खून की नली कट जाने से एवं लीवर के फट जाने से, अत्यधिक रक्त स्त्राव होने के कारण हाइपोवैल्यूमिक शॉक (hypovolemic shock) में जाने से हुई थी। मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम के 10–18 घंटा पूर्व की प्रतीत होती थी तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी। उक्त संबंध में उसके द्वारा दिया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 71 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

22. **चिकित्सक साक्षी डॉ. आर.के. सोनी (अ.सा.19)** ने उसके द्वारा दिया गया शव परीक्षण रिपोर्ट **प्र.पी.69, 70 एवं 71** के अ से अ भागों पर अपने हस्ताक्षर होना विधिवत प्रमाणित किया है। अतः उक्तानुसार चिकित्सक साक्षी द्वारा दिये गये स्पष्ट अभिमत के प्रकाश में **मृतकगण नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल की मृत्यु की प्रकृति आपराधिक मानव वध होना प्रमाणित है।**

23. अब यह देखा जाना है कि क्या नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल की मृत्यु आरोपीगण के द्वारा ही उनके शरीर पर हाथ–मुक्के, चाकू, बम्बू जैसे धारदार साधन से मारकर कारित की गई?

24. प्रकरण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह रहा है कि घटना रात्रि लगभग 12:00 बजे की है, घटनास्थल के पास स्ट्रीट लाईट नहीं है। आरोपीगण, मृतकगण, आहतगण/साक्षीगण के पूर्व परिचित नहीं थे। घटनास्थल पर आरोपीगण को पहचाने जाने का तथ्य स्थापित नहीं है। घटना के लगभग एक माह पश्चात पहचान कार्यवाही करायी गयी है। पहचान कार्यवाही के समय पुलिस की उपस्थिति थी। गवाहों ने पहचान कार्यवाही के पूर्व आरोपीगण का फोटो, वीडियो, नाम आदि सोशल मीडिया, टी.व्ही. समाचार पत्र आदि में देख लिया था, इस प्रकार पहचान कार्यवाही दूषित है।

25. अभियोजन के तथ्यों के आलोक में उपरोक्त तर्कों को विचार में लेते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करें तो **राहुल साहू (अ.सा.1)** ने आरोपीगण को घटना तारीख से जानना एवं पहचानना बताया है। साक्षी **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** ने भी आरोपीगण को जानना व्यक्त किया है। इस साक्षी ने कथन किया है कि सभी

आरोपीगण को आते–जाते रास्ते में देखता था इसलिए वह उन्हें घटना दिनांक के पूर्व से पहचानता है। **बबलू बाघ (अ.सा.3)** ने आरोपी गोपी दीवान को पहचानना तथा शेष आरोपीगण को चेहरे से पहचानना, नाम भूल जाना व्यक्त किया है। **रामकरण यादव (अ.सा.4)** ने भी आरोपी गोपी दीवान को नाम सहित तथा आरोपीगणको घटना दिनांक से चेहरे से पहचानना व्यक्त किया है। **राजा नामदेव (अ.सा.5)** ने आरोपीगण को पहचानना व्यक्त किया है तथा तीन अन्य लोगों को भी शामिल होने का कथन इस साक्षी ने बताया है। साक्षी का यह कथन है कि आरोपीगण उसके ढ़ाबे में आते–जाते रहते थे इसलिए वह उन्हें पूर्व से पहचानता है। आरोपीगण को वह नाम से नहीं जानता लेकिन आरोपीगण एक–दूसरे को गोपी, X, Y, Z के नाम से पुकारते थे। **चन्द्रप्रकाश बचेकर (अ.सा.6), दुष्यंत घोरपड़े (अ.सा.8)** ने भी आरोपी गोपी दीवान को नाम से पहचानना तथा शेष आरोपीगण को चेहरे से पहचानना व्यक्त किया है। **सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7)** ने आरोपी गोपी दीवान को पहचानना तथा शेष को नहीं पहचानना व्यक्त किया है। **भूषण साहू (अ.सा.9)** का साक्ष्य है कि आरोपी गोपी दीवान को जानता है तथा शेष आरोपीगण को नहीं जानता है। **ईश्वर प्रसाद (अ.सा.10)** ने आरोपीगण को पहचानना व्यक्त किया है। **छत्रपाल साहू (अ.सा.14)** ने आरोपी गोपी दीवान को पहचानना

तथा शेष आरोपीगण को नहीं पहचानना व्यक्त किया है। **प्रकाश मरकाम (अ.सा.17)** ने आरोपी गोपी दीवान को जानना तथा शेष आरोपीगण को नहीं पहचानना व्यक्त किया है।

26. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से पहचान कार्यवाही, आरोपीगण की पहचान के आधार पर अभियोजन के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहचान कार्यवाही **(TIP-TEST IDENTIFICATION PARADE)** के संबंध में **Dana Yadav VS State of Bihar, 2002 SCC (Cri) 1698** में निम्नानुसार मानदंड तय किये गये हैंः–

> **(a)** If an accused is well known to the prosecution witnesses from before, no test identification parade is called for and it would be meaningless and sheer waste of public time to hold the same.
>
> **(b)** In cases where according to the prosecution the accused is known to the prosecution witnesses from before, but the said fact is denied by him and he challenges his identity by the prosecution witnesses by filing a petition for holding test identification parade, a court while dealing with such a prayer, should consider without holding a mini inquiry as to whether the denial is bona fide or a mere pretence and/or made with an ulterior motive to delay the investigation. In case court comes to the conclusion that the denial is bona fide, it may accede to the prayer, but if, however, it is of the view that the same is a mere pretence and/or made with an ulterior motive to delay the investigation, question for grant of such a prayer would not arise. Unjustified grant or refusal of such a prayer would not necessarily enure to the benefit of either party nor the same would be detrimental to their interest. In case prayer is granted and test identification parade is held in which a witness fails to identify the accused, his so-called claim that the accused was known to him from before and the evidence of identification in

court should not be accepted. But in case either prayer is not granted or granted but no test Identification parade held, the same ipso facto can not be a ground for throwing out evidence of identification of an accused in court when evidence of the witness, on the question of identity of the accused from before, is found to be credible. The main thrust should be on answer to the question as to whether evidence of a witness in court to the identity of the accused from before is trustworthy or not. In case the answer is in the affirmative, the fact that prayer for holding test identification parade was rejected or although granted, but no such parade was held, would not in any manner affect the evidence adduced in court in relation to identity of the accused. But if, however, such an evidence is not free from doubt, the same may be a relevant material while appreciating the evidence of identification adduced in court.

(c) Evidence of identification of an accused in court by a witness is substantive evidence whereas that of identification in test identification parade is, though a primary evidence but not substantive one, and the same can be used only to corroborate identification of accused by a witness in court.

(d) Identification parades are held during the course of investigation ordinarily at the instance of investigating agencies and should be held with reasonable despatch for the purpose of enabling the witnesses to identify either the properties which are subject matter of alleged offence or the accused persons involved in the offence so as to provide it with materials to assure itself if the investigation is proceeding on right lines and the persons whom it suspects to have committed the offence were the real culprits.

(e) Failure to hold test identification parade does not make the evidence of identification in court inadmissible rather the same is very much admissible in law, but ordinarily identification of an accused by a witness for the first time in court should not form basis of conviction, the same being from its very nature inherently of a weak character unless it is corroborated by his previous identification in the test identification parade or any other evidence. The previous identification in the test identification parade is a check valve to the evidence of identification in court of an accused by a witness and the same is a rule of prudence and not law.

> **(f)** In exceptional circumstances only, as discussed above, evidence of identification for the first time in court, without the same being corroborated by previous identification in the test identification parade or any other evidence, can form the basis of conviction.
>
> **(g)** Ordinarily, if an accused is not named in the first Information report, his identification by witnesses in court, should not be relied upon, especially when they did not disclose name of the accused before the police, but to this general rule there may be exceptions as enumerated above.

27. **तहसीलदार सूरज बंछोर (अ.सा.25)** का साक्ष्य है कि दिनांक 09/09/2025 को थाना प्रभारी अर्जुनी के द्वारा अपराध क्रमांक 117/2025 धारा 103(1), 190, 191(1)(3)बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट में आरोपियों एवं विधि से संघर्षरत बालकों की पहचान कार्यवाही करने हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करने बाबत् अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी को दो पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के संदर्भ में अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने उसे आरोपियों एवं विधि से संघर्षरत बालकों की पहचान कार्यवाही करने हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करने बाबत् पत्र अग्रेषित किया था। अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी के आदेश दिनांक 10/09/2025 को उसे उक्त अपराध क्रमांक 117/2025 में कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त ज्ञापन **प्रदर्श पी 81** है जिसके अ से अ भाग पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी के हस्ताक्षर है जिन्हें उनके

अधीनस्त होने से पहचानता है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी के आदेशानुसार दिनांक 10/09/2025 को जिला जेल धमतरी पहुंचकर आरोपी गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम, रणवीर साहू, कमलेश कुमार एवं गौतम दीवान की पहचान कार्यवाही कार्यवाही प्रारंभ किया था जिसमे उक्त आरोपीगण के साथ में विक्रम बघेल, सत्यम कुमार नागरची, लकेश ध्रुव, कोमल लहरे, विजय जोशी, राजा नेताम, जोहत कमार एवं पिन्टु बिसेन को लाया गया था। आरोपीगण का शिनाख्त मिमांशु यादव, राहुल कुमार साहू, बबलू बाघ एवं सिद्धु बाघ,ने गवाह ईश्वर प्रसाद एवं गजेन्द्र पाल के समक्ष किया था। पहचानकर्ता ने सभी पाँचों आरोपियों का सही पहचान उनके सर पर हाथ रखकर किया था। आरोपीगण व मिलाये गए व्यक्तियों का क्रम व स्थान बार बार बदला गया था, आरोपीगण के साथ मिलाये गए व्यक्ति लगभग समान कद– काठी ,उम्र के थे। आरोपीगण व मिलाये गए व्यक्तियों को गले से नीचे तक कंबल से ढका गया था। पहचान कार्यवाही वाले कमरे में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था थी, शिनाख्ती के दौरान पुलिस व जेल स्टाफ कमरे में उपस्थित नहीं थे। उसके द्वारा तैयार शिनाख्ती पत्रक क्रमशः **प्रदर्श पी 48, प्रदर्श पी 13 एवं प्रदर्श पी 52** हैं, जिनके द से द भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं, शिनाख्ती पत्रक **प्रदर्श पी 58** के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

28. **ईश्वर प्रसाद साहू (अ.सा.10)** का साक्ष्य है कि दिनांक 10/09/2025 को उसे तहसीलदार धमतरी के साथ आरोपीगण की पहचान कार्यवाही के लिए जिला जेल धमतरी गया था। जिला जेल धमतरी में आरोपीगण की पहचान कार्यवाही की गई थी। आरोपीगण के साथ अन्य चार–पांच लोगों को मिलाया गया था जिसे पहचानकर्ता ने पहचान कर आरोपीगण के सिर पर हाथ रखकर शिनाख्त किया था। उसने शिनाख्ती पत्रक **प्रदर्श पी 48, 13, 52** में गवाह के रुप में ब से ब भागों पर तथा शिनाख्ती पत्रक **प्रदर्श पी 58** में गवाह के रूप में अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर किया था।

29. **गजेन्द्र पाल (अ.सा.11)** का साक्ष्य है कि उसके न्यायालयीन परीक्षण दिनांक 24/02/2026 से लगभग तीन माह पूर्व वह टी .आई. चंद्रकांत साहू के कहने पर जिला जेल धमतरी गया था। जिला जेल धमतरी में तहसीलदार धमतरी उपस्थित होकर आरोपीगण की पहचान कार्यवाही किये थे जिसमें आरोपीगण के अलावा दो–तीन अन्य लोगों को मिलाकर पहचान कार्यवाही उसके समक्ष कराया गया था। पहचानकर्ता ने आरोपीगण की पहचान सिर पर हाथ रखकर किया था। उसने शिनाख्ती पत्रक **प्रदर्श पी 48, प्रदर्श पी 13 एवं प्रदर्श पी 52** में

गवाह के रुप में स से स भागों पर तथा शिनाख्ती पत्रक **प्रदर्श पी 52** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर किया था।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त पहचान कार्यवाही के संबंध में उपरोक्त मानदंड के आलोक में प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने से यह दर्शित है कि **राहुल साहू (अ.सा.1), मिमांशु यादव (अ.सा.2), बबलू बाघ (अ.सा.3), रामकरण यादव (अ.सा.4), राजा नामेदव (अ.सा.5), चन्द्रप्रकाश बचेकर (अ.सा.6), सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7), सिद्धू बाघ (अ.सा.28)** ने आरोपीगण को न्यायालय में पहचाना है। वैसे भी सुस्थापित सिद्धांत है कि शिनाख्त कार्यवाही का करवाया जाना प्रज्ञा का नियम है, यह तात्विक साक्ष्य नहीं है, संपोषक साक्ष्य है। न्यायदृष्टांत **लातेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2018 (2)म०प्र०लॉ ज. (क्रिमि) 64** में यह अवधारित किया गया है कि–''शिनाख्त परेड को सारवान साक्ष्य अंश की श्रेणी में होना नहीं कहा जा सकता है। शिनाख्त परेड आयोजित किया जाना प्रज्ञा का नियम माना गया । ''

31. यहाँ तक विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह भी है कि–''पहचान कार्यवाही न भी करवाया जाये और अन्य तथ्यों से अभियोजन के तथ्य स्थापित होते हों तो यह अभियोजन के लिए घातक

नहीं है। ''न्यायदृष्टांत **जसविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009)7 SCC 792** में यह अवधारित किया गया है कि-''आरोपी की पहचान परेड आयोजित नहीं की गई, परंतु साक्षी द्वारा उसे न्यायालय में पहचाना गया। परेड आयोजित न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है।''

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत अमरनाथ बनाम झा बनाम नंदकिशोर सिंह, 2019 (2)MPLJ (Cri) 222 SC में यह अवधारित किया गया है कि-''यदि शनाख्त परेड आयोजित न की गयी हो तो यह तथ्य अपने आप में अभियोजन के लिए घातक नहीं होगा। परंतु ऐसा न किए जाने का अभियोजन के मामले पर क्या प्रभाव हुआ है, इसका अवधारण न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्य व परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकेगा। ''

32. पहचान कार्यवाही में आरोपीगण को **राहुल साहू (अ.सा.1) एवं मिमांशु यादव (अ.सा.2)** ने पहचाना है। दोनों साक्षी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। **राहुल साहू (अ.सा.1)** मृतकगण के साथ घटनास्थल पर आया था, मृतकगण का दोस्त है। **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** घटनास्थल ढाबा का मैनेजर है। घटनास्थल पर घटना के प्रारंभ से अंत तक दोनों की स्वाभाविक उपस्थिति थी। साक्षी **राहुल साहू (अ.सा.1)** ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 9 में यह व्यक्त किया है कि पुलिस वाले उसे

आरोपीगण को पहचान कराने के लिए तहसीलदार धमतरी के साथ जिला जेल धमतरी लेकर गये थे। पहचान कार्यवाही के समय तहसीलदार ने आरोपीगण के साथ अन्य 8–10 लोगों को मिलाकर उससे आरोपीगण की पहचान करवाया था। उसने जेल परिसर में आरोपीगण की पहचान किया था। शिनाख्ती पंचनामा **प्रदर्श पी 13** है जो दो पन्नों में है, जिसके दोनों पन्नों में अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 16 में यह व्यक्त किया है कि पुलिस ने तहसीलदार के माध्यम से आरोपी गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम, रणवीर साहू, कमलेश ध्रुव तथा गौतम दीवान का पहचान कार्यवाही जिला जेल धमतरी में किया था। जिसका शिनाख्तगी पंचनामा **प्रदर्श पी 48** है, जो दो पन्नों में है, जिसके दोनों पन्नों में अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

33. **साक्षी राहुल साहू (अ.सा.1)** ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह किसी भी आरोपी को नाम व चेहरे से नहीं जानता था और यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल से भागने के बाद वह पेट्रोल पंप से मोटर सायकल में पप्पू बाघ के साथ धमतरी की ओर चला गया था, परंतु घटना के दौरान या उसके पश्चात भी यह साक्षी आरोपीगण को नहीं पहचान पाया था, यह

बचाव पक्ष का सुझाव नहीं है। साक्षी **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 28 में यह स्वीकार किया है कि उसने अनुमान के आधार पर आरोपीगण को पहचानाा है तथा साक्षी **रामकरण यादव (अ.सा.4)** ने लड़ाई–झगड़ा के समय घटनास्थल से भाग जाने का कथन प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में किया है। **राजा नामेदव (अ.सा.5)** ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि घटना चालू होने पर वह घबरा गया था और किचन में छूप गया था। **सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7)** ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण को वह नाम व चेहरे से पहले से नहीं जानता था। **सिद्धू बाघ (अ.सा.28)** ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह स्वीकार किया है कि घटना शुरू होने पर बाड़ी के अंदर छूप गया था, परंतु उक्त सभी साक्षीगण ने आरोपीगण को घटना के समय देखे जाने के संबंध अखंडित कथन किया है। **राहुल साहू (अ.सा.1)** ने घटना के दिन से आरोपीगण को जानना बताया है, जबकि **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** ने आरोपीगण को पूर्व से रास्ते में आते–जाते देखने और पूर्व से जानना–पहचानना बताया है। अभियोजन के तथ्य अनुसार घटनास्थल पर लगभग एक घंटा आरोपीगण उपस्थित रहे थे। **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** जो कि घटनास्थल ढाबा में मैनेजर है,**रामकरण यादव (अ.सा.3)** ढाबे में वेटर है

तथा **राजा नामदेव (अ.सा.5)** रसोईया है, जिसने आरोपीगण को पूर्व से जानना बताया है। **सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7)** भी ढाबे में रसोईया है, इन सभी साक्षियों के पास लगभग एक घंटे का अवसर था कि वे आरोपीगण को देखें। प्रकरण में जिस तरह घटना कारित की गयी है, प्रकरण में प्रश्नगत घटना के पूर्व भी आरोपीगण के द्वारा आपस में लड़ना–झगड़ना, आने–जाने वाले लोगों को धमकाने–चमकाने का तथ्य प्रकट हुआ है, घटनास्थल पर स्थित ढाबे की कुर्सी एवं अन्य संपत्तियों को तोड़–फोड़ कर रहे थे, ऐसी स्थिति में देखने वाले निश्चित रूप से आरोपीगण या अन्य किसी व्यक्ति को याद रखेगा। प्रकरण में घटनास्थल पर आहतगण एवं मृतकगण के आने के पूर्व से ही आरोपीगण ढाबे में तोड़फोड़ कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। आरोपीगण का आचरण सामान्य रूप से देखा जाये तो अस्वाभाविक था जिसे ढाबा में काम करने वाले, ढाबा के आधिपत्यधारी एवं ढाबा में उपस्थित अन्य साक्षी स्वाभाविक रूप से याद रखे हुए थे।

34. इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में अवधारित सिद्धांतों के आलोक में और चूंकि साक्षीगण **राहुल साहू (अ.सा.1), मिमांशु यादव (अ.सा.2), बबलू बाघ (अ.सा.3), रामकरण यादव (अ.सा.4), राजा नामेदव (अ.सा.5), चन्द्रप्रकाश बचेकर (अ.सा.6), सिद्धार्थ नामदेव**

(अ.सा.7), सिद्धू बाघ (अ.सा.28) ने आरोपीगण को न्यायालय में पहचान लिया है, विशेष रूप से **राहुल साहू (अ.सा.1) एवं मिमांशु यादव (अ.सा.2)** जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं ने पचाहन कार्यवाही में तथा न्यायालय में भी आरोपीगण को पहचान लिया है तब प्रकरण में आरोपीगण के पहचान की कार्यवाही दूषित नहीं होना दर्शित है। प्रकरण में घटना के समय आरोपीगण की उपस्थिति एवं पहचान अखंडित रूप से स्थापित है।

35. **अब प्रकरण में घटना आरोपीगण के द्वारा ही** कारित किये जाने के संबंध में विचार करें तो, **राहुल साहू (अ.सा.1)** का साक्ष्य है कि वह आरोपीगण को घटना के दिन से जानता और पहचानता है। वह पहले बोरियाखुर्द रायपुर में रहता था, उस दौरान आलोक सिंह ठाकुर से उसकी जान पहचान व दोस्ती हुई थी। मृतक आलोक सिंह का उसके घर आना जाना था। आलोक सिंह के माध्यम से मृतक सुरेश और नितिन से भी परिचय व दोस्ती चार–पांच साल पूर्व से हुई थी। इस कारण मृतकों का उसके घर आना जाना होता था। आरोपीगण का नाम घटना के बाद में पता चला। घटना में गोपी दीवान के साथ उनके दोस्त गौतम दीवान, X, Y, Z व उनके तीन अन्य साथी शामिल थे। दिनांक 11.08.2025 को मृतक आलोक सिंह ने उसे फोन लगाकर बोला कि वह मिलने के लिए

धमतरी आ रहा है, उसके पश्चात रात्रि 8 बजे मृतक आलोक सिंह वाहन स्विफ्ट डिजायर से अपने दोस्त सुरेश, नितिन, सिद्धू और बबलू बाघ के साथ भटगांव पुल के पास पहुंचा। भटगांव पुल के पास वह और उसका दोस्त मरहरण यादव के साथ तथा मृतक आलोक सिंह के दोस्तों सहित लगभग दो–ढाई घंटा बैठकर बातचीत किये। उसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए अन्नपूर्णा ढाबा ग्राम भोयना गये थे। भोयना वह, मनहरण और आलोक सिंह उसकी बाईक स्प्लेण्डर प्रो में बैठकर ढाबा पहुंचे थे बाकी लोग वाहन स्विफ्ट डिजायर में पहुंचे थे। उन लोग रात्रि लगभग 11.20 के आसपास ढाबा पहुंचे थे तथा जैसे ही वह बाईक से अन्नपूर्णा ढाबा पहुंचा उसके तुरंत बाद बाकी साथी लोग वाहन स्विफ्ट डिजायर से ढाबा पहुंचे। ढाबा में आरोपीगण तोड़–फोड़ व वाद विवाद कर रहे थे तथा जैसे ही नितिन ताण्डी कार से उतरा तो गोपी दीवान एवं उनके साथी लोग मां बहन की अश्लील गाली गलौच करने लगे तो उन लोग आरोपीगण को गाली गलौच करने से मना किये। उसके बाद आरोपीगण उन सभी लोगों को मारो कहकर मां बहन की गाली गलौच कर अपने साथ रखे चाकू को निकाल लिये और आरोपी गोपी दीवान जो घटना दिनांक को सफेद रंग में नीले रंग का लाइनिंग वाला शर्ट पहना हुआ था, अपने हाथ में चाकू रखा था, से नितिन ताण्डी के सीना, पेट आदि में दो

तीन जगह वार किया था जिससे नितिन ताण्डी जमीन में गिर गया। आलोक सिंह नितिन को बचाने के लिए गया तब गोपी दीवान के साथी लोग आलोक सिंह को भी पकड़ लिये थे और आरोपी गोपी दीवान ने अपने हाथ में रखे हुए चाकू से आलोक सिंह के गर्दन में वार किया जिससे आलोक सिंह भी जमीन में गिर गया। वह पेट्रोल पंप के पास छिपकर अन्नपूर्णा ढाबा के मालिक दुष्यंत घोरपड़े को घटना के संबंध में जानकारी दिया था। उसके बाद दुष्यंत घोरपडे ने पुलिस थाना अर्जुनी में फोन किया था। जब घटना स्थल पर पुलिस व एम्बुलेंस पहुंची तब वह छिपे हुए स्थान से बाहर निकला था। उनका साथी बबलू बाघ नेक्सॉन कार में छिपकर बैठा था। वह भी पुलिस आने के बाद बाहर आया था। वह और बबलू बाघ अपने साथी सुरेश हियाल को देखने गये और उन लोग दूसरे राहगीर से लिफ्ट लेकर शासकीय जिला अस्पताल धमतरी गये थे। जिला अस्पताल के पुलिस सहायता केन्द्र के पुलिस वाले उन दोनों को वहीं बैठने के लिए बोले तब वे लोग वहीं बैठ गये थे। उसके कुछ समय बाद पुलिस गाडी आई और उन दोनों को पुनः घटना स्थल लेकर गये। घटना स्थल पर पुलिस वाले उपस्थित थे। उन्होंने घटना के संबंध में उससे जानकारी लिये थे और कार्यवाही की थी। पुलिस ने उसके बताए अनुसार देहाती मर्ग इंटीमेशन **प्रदर्श पी 01, प्रदर्श पी 02** एवं **प्रदर्श पी**

03 दर्ज किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताए अनुसार देहाती नालसी दर्ज किया था जो **प्रदर्श पी 04** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 05 तैयार किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे मृतकों के शव का पंचनामा करने के संबंध में नोटिस दिया था नोटिस क्रमशः **प्रदर्श पी 06, प्रदर्श पी 07 एवं प्रदर्श पी 08** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उसके समक्ष मृतकों के शव का पंचनामा किया था, पंचनामा क्रमशः **प्रदर्श पी 09, प्रदर्श पी 10 एवं प्रदर्श पी 11** हैं, जिनके अ से अ भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

36. **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** का साक्ष्य है कि वह आरोपी गोपी दीवान एवं अन्य चार आरोपीगण को जानता और पहचानता है। वह सभी आरोपी को आते–जाते रास्ते में देखता था इसलिए उन्हें घटना के पूर्व से पहचानता है। वह मृतक आलोक सिंह, नितिन ताण्डी और सुरेश हियाल को पहली बार घटना दिनांक को अन्नपूर्णा ढाबा में देखा था। वह अन्नपूर्णा ढाबा में मैनेजर का काम करता है। दिनांक 11.08.2025 को रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास वह और उसके साथी कर्मचारी रामकरण एवं राजा नामदेव ढाबा में काम कर रहे थे उसी समय तीन लोग

आरोपी गौतम दीवान के साथ दो लोग ढाबा में आए थे और ढाबा में बीस रोटी और एक हॉफ चिकन का ऑर्डर दिये थे। उसके बाद आरोपी गोपी के साथ स्क्रीन में दिख रहे अन्य आरोपी के साथ मोटर सायकल से ढाबा में आए और ढाबा में गाली–गलौच करते हुए अपने हाथ में रखे हुए स्टील के पाईप से कुर्सी तथा ढाबा में रखा हुआ खाट आदि को पीटने लगे जिससे कुर्सी आदि टूट गये थे। उसके बाद आरोपी गौतम दीवान ढाबा के पीछे के बैठने के स्थान पर खाना लगाने के लिए बोला फिर वह और उसका साथी रामकरण दोनों खाना लगाए। आरोपीगण आपस में ढाबा के अंदर बैठकर आपस में वाद विवाद हो रहे थे और कुर्सी को तोडफोड कर रहे थे। उसके बाद वह जहां आरोपीगण बैठे थे वहां जाकर देखा तब वहां कुर्सी और प्लेट आदि टूटा हुआ था तब वह ढाबा संचालक दुष्यंत घोरपड़े को फोन कर घटना की सूचना दिया था, तब ढाबा संचालक ने उसे कहा कि आरोपीगण द्वारा किये गये कृत्य का वीडियो बनाकर भेजो। उसके बाद आरोपीगण आपस में वाद–विवाद करते हुए ढाबा से बाहर निकल रहे थे तब उसने आरोपीगण से खाने का बिल का पैसा मांग किया तब आरोपी गोपी दीवान ने उसे चाकू दिखाया जिससे वह डरकर पैसा नहीं मांग पाया। उसके बाद आरोपीगण रोड में चल रहे हाईवा, ट्रक आदि को रोकने की कोशिश कर रहे थे और गाडियों को पत्थर से मार रहे थे। उसी

समय राहुल साहू अपने दो अन्य साथी के साथ बाईक में ढाबा में पहुंचा। फिर उसके पीछे एक सफेद रंग की कार में चार लोग ढाबा आए और कार से उतरे ही थे कि कार के साईड में बैठे हुए व्यक्ति को पकड़ लिये और आरोपीगण उसे हाथापाई करने लगे। इसी बीच आरोपी गोपी दीवान अपने पास रखे हुए चाकू से उस व्यक्ति के गले के पास वार कर दिया इससे वह व्यक्ति जमीन में गिर गया। उसके बाद आरोपीगण कार को ड्राइव कर उतरे व्यक्ति की ओर गये और उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। वह उस समय अपने ढाबे में किचन के पास था इस कारण कार के पीछे की घटना होने के कारण स्पष्ट नहीं देख पाया था कि वह व्यक्ति कैसे घायल होकर जमीन में गिर पड़ा, साक्षी का कहना है कि आरोपी गोपी दीवान उस समय चाकू पकड़ा हुआ था। आरोपीगण द्वारा इस तरह की मारपीट करते देख बाकी लोग इधर–उधर भागने लगे तब आरोपीगण मुसाफिर ढाबा की ओर भाग रहे व्यक्ति के पीछे दौड़े वह व्यक्ति मथुराडीह चौक की ओर भागने लगा उसके पीछे आरोपीगण भी भाग रहे थे । वह पूरी घटना का विडियो अपने मोबाइल से बना रहा था और ढाबा संचालक को ढाबा के पास में हत्या होने की सूचना दिया। ढाबा संचालक दुष्यंत घोरपड़े द्वारा ढाबा में तोड़फोड करने के संबंध में थाना अर्जुनी शिकायत किया था। उपरोक्त मारपीट की घटना होने के पश्चात पुलिस

घटना स्थल आई थी उसके बाद ढाबा संचालक दुष्यंत घोरपडे घटना स्थल पहुंचा था। पुलिस वाले घटना के संबंध में उन लोगों से पूछताछ किये थे तब उन लोगों ने घटना की मौखिक जानकारी दिया था, तब पुलिस वाले आरोपीगण की खोजबीन करना शुरु किये तब आरोपी गोपी दीवान और दो अन्य आरोपी को सुबह पुलिस ने पकड़ा था। उक्त घटना को उसके अलावा यादव ढाबा तथा सामने स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी लोग भी देखे सुने थे। पुलिस ने घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्रदर्श पी 05** उसके समक्ष तैयार किया था जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पटवारी ने घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्रदर्श पी 14** उसके समक्ष तैयार किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा पंचनामा **प्रदर्श पी 15** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उसे शवों के पंचनामा के लिए नोटिस दिया था, नोटिस क्रमशः **प्रदर्श पी 06,प्रदर्श पी 07 एवं प्रदर्श पी 08** हैं, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उसके समक्ष शवों का पंचनामा किया था, पंचनामा क्रमशः **प्रदर्श पी 09,प्रदर्श पी 10 एवं प्रदर्श पी 11** है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

37. **बबलू बाघ (अ.सा.3)** का साक्ष्य है कि वह आरोपी गोपी दीवान को पहचानता है तथा अन्य आरोपीगण को चेहरे से पहचानता है।

वह फारेस्ट विभाग में खाना बनाने का काम करता है। मृतक आलोक सिंह, नितिन और सुरेश तीनों उसके दोस्त थे। दिनांक 11.08.2025 को उन लोग कार में बैठकर रायपुर से अपने दोस्त राहुल साहू के गांव आये थे वहां से धमतरी आये थे और रात्रि में खाना खाने के लिये 11.15 बजे अन्नपूर्णा ढाबा नगरी रोड गये थे। जैसे ही ढाबा के सामने कार से उतरे तो उसी वक्त गोपी दीवान और उसका एक साथी उन लोगों को गाली गलौच करना शुरु कर दिये। उसके बाद गोपी दीवान ने अन्य साथीगण भी घटना स्थल पर आये और गाली गलौच कर उन लोगों पर हमला कर दिया । नितिन को गाड़ी से उतरते ही आरोपी गोपी दीवान एवं उनके साथीगण मारपीट करने लगे। गोपी दीवान अपने पास रखे चाकू को निकालकर मृतक नितिन के पेट में चाकू से वार किया। उसके बाद आलोक सिंह को वी.सी.के माध्यम से मॉनिटर पर दिख रहे आरोपी सबसे पीछे खड़ा है**(टीप–न्यायालय का अवलोकन है कि उक्त आरोपी रणवीर साहू है) ने आलोक को पकड़कर खींच दिया तब (टीप–न्यायालय का अवलोकन है कि काले जैकेट पहना दिख रहा आरोपी उसका नाम पूछने पर कुलेश्वर नेताम),** तीन आरोपीगण जो कि मानिटर पर दिखाई दे रहे हैं, ने आलोक को पकड़ लिया**(टीप–साक्षी मॉनीटर पर दिख रहे आरोपीगण को चिन्हित कर बताता है कि उनका नाम नहीं**

मालूम व्यक्त करता है जिन आरोपीगण के द्वारा आलोक सिंह को पकड़ना साक्षी ने बताया है उनका नाम क्रमशः कुलेश्वर नेताम, कमलेश, गौतम दीवान है) आलोक सिंह को पकड़ लिये तब आरोपी गोपी दीवान ने आलोक को उसके गर्दन पर चाकू से मारा। उसके बाद मेरा साथी सुरेश कार का दरवाजा खोलकर दाहिने तरफ भागा था लगभग 10 मिनट बाद मामला शांत हो गया समझ कर वापस आया, वह थक गया था, तब आरोपीगण तीन–चार लोग उसे दौड़ाए और पेट्रोल पंप के पास मेन रोड में ही चाकू से उसके सीने पर वार किये। थोड़ी दूर आगे जाकर पंचर दुकान के पास सुरेश गिर गया। इन सारी घटना को वह किसी व्यक्ति के काले रंग की कार से अंदर बैठकर देख रहा था उस कार को उसका मालिक डर के मारे छोड़कर भाग गया था। मृतक सुरेश को सीने में चोट आयी थी। वह जिस कार में बैठा था वह लॉक हो गया था वह बाहर नहीं निकल पा रहा था जब पुलिस गाड़ी आयी तब वह कार की खिड़की को खटखटाया तब कार मालिक ने अनलॉक किया तब वह कार से बाहर आया। उसी समय पुलिस वाले तीन आरोपी को घटना स्थल पर पकड़ लिये थे, तीनों आरोपी से पुलिस ने चाकू आदि को जप्त किया था। पुलिस ने उसे तीनों मृतकों के शव का पंचनामा करने के लिए नोटिस दिया था नोटिस क्रमशः **प्रदर्श पी 06, प्रदर्श पी 07, प्रदर्श पी 08** है,

जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तीनों मृतकों के शव का पंचनामा **प्रदर्श पी 09, प्रदर्श पी 10, प्रदर्श पी 11** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

38. **रामकरण यादव (अ.सा.4)** का साक्ष्य है कि वह आरोपी गोपी दीवान, Z को तथा अन्य आरोपीगण को चेहरे से घटना दिनांक से सभी को पहचानता है। वह अन्नपूर्णा ढाबा में वेटर का काम करता था। वह घटना में मृत तीनों मृतकों को ढाबे में देखा था। उसके न्यायालयीन परीक्षण दिनांक 29/01/2026 से लगभग 4–6 माह पूर्व वह अन्नपूर्णा ढाबा में खाना सप्लाई का काम करता था जहां हिमांशु यादव, मुन्नू उर्फ राजा भी काम करते थे। रात्रि में लगभग 10.30 बजे आरोपीगण ढाबा में आये थे और खाना खाए और आपस में लड़ाई झगड़ा होकर तोड़ –फोड़ किये फिर लड़ाई झगड़ा करते हुए ढाबा से बाहर निकले तथा रास्ते में चल रहे लोगों एवं वाहनों को रोकने लगे। आरोपीगण के सामने जो भी व्यक्ति आता था उससे मारपीट कर रहे थे। उसके कुछ समय बाद लगभग 11 बजे के बाद एक कार अन्नपूर्णा ढाबा के सामने रूकी थी जिसमें चार–पांच लोग सवार थे एवं दो लोग बाईक से आए, जैसे ही कार से मृतकगण उतरे उसके बाद आरोपीगण मृतक लोगों से मारपीट करने लगे। गोपी दीवान एक व्यक्ति को चाकू से सीने मे मारा जिससे वह व्यक्ति वहीं जमीन

में गिर गया। फिर दूसरा व्यक्ति को भागने के दौरान आरोपी गोपी दीवान ने चाकू से मारा था जिससे वह व्यक्ति वहीं रोड किनारे जमीन में गिर गया। तीसरा व्यक्ति भागते हुए पेट्रोल पंप की ओर गया था जिसे आरोपीगण दौड़ाए और उसे भी चाकू मार दिये जिसे वह नहीं देख पाया। आरोपीगण अन्नपूर्णा ढाबा में रखे कुर्सी को तोड़ –फोड़ किये थे। आरोपीगण द्वारा किये गये घटना के संबंध में मिमांशु यादव ने ढाबा मालिक घोरपड़े को मोबाइल से सूचना दिया था तब घटना के समय उन लोग डरकर इधर–उधर छूप गये थे जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तब उन लोग भी ढाबा में पहुंचे थे। घटना स्थल का नजरी नक्शा पटवारी ने तैयार किया था, नजरी नक्शा **प्रदर्श पी 14** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा पंचनामा **प्रदर्श पी 15** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

39. **सिद्धू बाघ (अ.सा.28)** का साक्ष्य है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। वह मृतक आलोक सिंह, नितिन, सुरेश को जानता है तीनों उसके दोस्त थे। वह राहुल साहू को घटना के दिन से जानता है, वह आलोक सिंह का दोस्त है। दिनांक 11.08.2025 को वह अपने दोस्त मृतक आलोक सिंह, नितिन, सुरेश के साथ धमतरी घुमने के लिए आए थे। सभी सबसे पहले राहुल साहू के गांव भटगांव गये थे वहां राहुल

साहू के साथ मुलाकात किये फिर राहुल साहू ने कहा कि आप सभी रात्रि का भोजन करके जाना, तब वे चारों दोस्त अपने कार से तथा राहुल साहू, आलोक और राहुल का दोस्त बाईक से ढाबा खाना खाने के लिए गये थे। अन्नपूर्णा ढाबा ग्राम भोयना में पहुंचे तब राहुल, आलोक और राहुल का दोस्त ढाबा में पहले पहुंचे थे उसके पीछे वे लोग कार से पहुंचे थे। जैसे ही उनकी कार ढाबा के सामने रुकी तब आरोपीगण उन लोगों को गाली गलौच करने लगे, वे लोग गाली गलौच करने से मना किये थे। उसी समय नितिन तांडी कार से नीचे उतरा तो आरोपी गोपी दीवान ने अपने पास रखे चाकू से नितिन तांडी को उसके पेट में मार दिया जिससे नितिन तांडी घटनास्थल पर ही गिर गया। तब आलोक सिंह नितिन को छुडाने और बचाने के लिए वहां पर पहुंचा तो आरोपीगण तथा दो–तीन अन्य लडके आलोक सिंह को पकड लिये और आरोपी गोपी दीवान ने चाकू से उसके गले में वार किया तब आलोक अपने गला को पकडे–पकडे कार की ओर आया और जैसे ही कार का गेट खोलना चाहा वह जमीन में नीचे गिर पडा। उक्त घटना को वह अपने कार के अंदर में बैठे–बैठे देख रहा था। उसी बीच आरोपीगण सुरेश हियाल को दौडाने लगे तब सुरेश मुसाफिर ढाबा की ओर भागने लगा आरोपीगण उसके पीछे–पीछे भाग रहे थे। वह अपनी जान बचाने के लिए अन्नपूर्णा ढाबा के अंदर

घुसकर पीछे के रास्ते से खेत आदि को पार करते ग्राम मथुराडीह पहुंचा। वह रातभर मथुराडीह के जंगल में था, सुबह मेन रोड में आकर एक हाईवा से लिफ्ट लिया और धमतरी आ गया। धमतरी से वह रायपुर चला गया। रायपुर में पहुंचने पर उसे थाना अर्जुनी से फोन आया कि आपके दोस्त लोग का मर्डर हो गया है, आप ठीक ठाक हो कि नहीं, तब उसने बताया कि वह ठीक है, तब पुलिस वाले ने उसे कहा कि आपको घटना के संबंध में बयान देने थाना आना है, तब वह थाना अर्जुनी लगभग 12 बजे पहुंचा था पुलिस वालों के साथ वह घटनास्थल अन्नपूर्णा ढाबा के पास ग्राम भोयना पहुंचा था।

40. **चन्द्रप्रकाश बचेकर (अ.सा.6)** का साक्ष्य है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। वह गोपी दीवान को नाम से जानता है, शेष लोग का नाम उसे मालूम नहीं है। वह मुसाफिर ढाबा का संचालक है जो धमतरी नगरी रोड में ग्राम भोयना में स्थित है। घटना दिनांक 11.08.2025 के रात्रि 11–11.30 बजे की है। उस समय वह अपने ढाबा में अपने कर्मचारी कमलेश लहरे, सिद्धार्थ नामदेव के साथ था। उसके ढाबा के बगल में अन्नपूर्णा ढाबा है जिसके सामने 7–8 लड़के लोग हाईवा तथा आने जाने वाले वाहन को ईंट पत्थर से मार रहे थे। उसी समय एक हाईवा रूकी उसके ड्राइवर को मारने के लिए आरोपीगण

अन्नपूर्णा ढाबा तरफ से चाकू लेकर आया था। उसके बाद हाईवा ड्राइवर डरकर अपना हाईवा लेकर भाग गया। उसी समय धमतरी की ओर से एक मोटरसायकल और एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार आई जो अन्नपूर्णा ढाबा के सामने रूका था । उसके बाद एक मेहरुन कलर का शर्ट पहने हुए लड़के को दौड़ाते हुए उसके ढाबा तरफ दो लड़के आए। उसके बाद मेहरुन कलर शर्ट पहना हुआ लड़का उसके ढाबा से मुड़कर पेट्राल पंप की ओर भागा उसके पीछे उक्त दोनों लड़के भी भागे। उसके बाद वह अपने ढाबा से निकलकर बाहर देखा तो दो लड़कों का शव सड़क किनारे पड़ा था। उसके बाद वह अपने ढाबा अंदर आया तब एक लड़का दौड़ते हुए उसके ढाबा के अंदर बचाओ–बचाओ कहते हुए आया उसके पीछे–पीछे आरोपी रणवीर, कुलेश्वर, एक अन्य आरोपी आये जो चाकू पकड़े थे। उसके बाद वह डर के कारण अपने ढाबे के पीछे वाले रास्ते से भाग गया तथा उसके दोनों कर्मचारी भी ढाबा छोड़कर भाग गये थे। उसके कुछ देर पश्चात घटना स्थल पर पुलिस आई तब वह अपने ढाबा में वापस आया था। उसके बाद वह पुलिस के साथ दोनों शव के पास जाकर देखा था। उसके बाद उसे पता चला कि एक व्यक्ति का शव मथुराडीह मोड़ टायर दुकान के पास पड़ा है। उसके बाद उसे पता चला कि आरोपी गोपी दीवान ने चाकू से मारकर हत्या की है। न्यायालय में उपस्थित सभी

आरोपीगण घटना के समय मौजूद थे। उक्त घटना को अन्नपूर्णा ढाबा के कर्मचारी लोगों तथा अन्य लोगों ने देखा है।

41. **सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7)** का साक्ष्य है कि वह आरोपीगण में से गोपी दीवान और रणवीर को पहचानता है, शेष लोग को नहीं पहचानता है। वह मुसाफिर ढाबा में रसोईया का काम करता है जो धमतरी नगरी रोड में ग्राम भोयना में स्थित है। घटना दिनांक 11.08.2025 के रात्रि 11–11.30 बजे की है। उस समय वह ढाबा में अपने साथी कमलेश लहरे तथा ढाबा संचालक के साथ था। मुसाफिर ढाबा के बगल में अन्नपूर्णा ढाबा है। अन्नपूर्णा ढाबा के सामने 7–8 लड़के लोग हाईवा तथा आने जाने वाले वाहन को गाली–गलौच कर ईंट पत्थर से मार रहे थे। उसी समय आरोपीगण अन्नपूर्णा ढाबा तरफ से चाकू लेकर आया था उसको देखकर ट्रक व हाईवा ड्राइवर डरकर अपना हाईवा लेकर भाग गये थे। उसके बाद एक मेहरुन कलर का शर्ट पहना हुए लड़के को दौड़ाते हुए हमारे ढाबा तक दो लड़के आए उसके बाद मेहरुन कलर शर्ट पहना हुआ लड़का उसके ढाबा से मुड़कर पेट्राल पंप की ओर भागा उसके पीछे उक्त दोनों लड़के भी भागे। उसके बाद वह अपने ढाबा अंदर किचन में था तब एक लड़का दौड़ते हुए उनके ढाबा के अंदर बचाओ–बचाओ कहते हुए आया उसको उन लोग बोला कि जाकर छत

में छिप जाओ। उसके पीछे–पीछे तीन व्यक्ति आये जिसमें से एक के हाथ में चाकू था जो ढाबा संचालक चंद्रप्रकाश बचेकर के साथ बहस करने लगे। उसके बाद वह डर के कारण अपने ढाबे के पीछे वाले रास्ते से भाग गया तथा उसके दोनों कर्मचारी भी ढाबा छोड़कर भाग गये थे। वह और कमलेश लहरे तालाब की तरफ जाकर छिप गये थे। उसके कुछ देर पश्चात घटना स्थल पर पुलिस आई तब वह अपने ढाबा में वापस आया था। उसके बाद वह पुलिस के साथ दोनों शव के पास जाकर देखा था। उसके बाद उसे पता चला कि एक व्यक्ति का शव मथुराडीह मोड़ टायर दुकान के पास पड़ा है। उसके बाद उसे मिमांशु यादव ने बताया कि आरोपी गोपी दीवान, गौतम दीवान, Y, Z ने चाकू से मारकर हत्या की है। उक्त घटना को अन्नपूर्णा ढाबा के कर्मचारी लोगों तथा अन्य लोगों ने देखा है।

42. **दुष्यंत घोरपड़े (अ.सा.8)** का साक्ष्य है कि वह आरोपी गोपी दीवान को नाम से तथा शेष अन्य आरोपीगण को चेहरे से पहचानता है। आरोपीगण उसके ढाबा में आते–जाते रहते थे इसलिए उन्हें पहले से पहचानता है। वह एक वर्ष से अन्नपूर्णा ढाबा का संचालन कर रहा है। दिनांक 11.08.2025 के रात्रि 9 बजे राहुल साहू ग्राम सोरम निवासी का उसके पास फोन आया था कि रायपुर से उसके मित्र लोग आए हैं आपके

ढाबा में भोजन करेंगे। फिर 9.30 बजे उसने अपने कर्मचारी मिमांशु यादव को कहा कि रायपुर से एवं सोरम से कुछ लोग आयेंगे उनकों भोजन करा देना फिर वह रात्रि 9.30 बजे अपने घर चला गया। उसी रात 11 बजे मिमांशु यादव का उसे कॉल आया कि भैया मथुराडीह गांव के पांच युवक एवं तीन अन्य लड़के ढाबा में कुर्सी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसने कहा कि चुपचाप कैसे भी करके विडियो बनाओ किसी से विवाद में नहीं पड़ना है। फिर 11.23 बजे मिमांशु का कॉल आया कि भैया बाईक से एवं कार से जो आये हुए हैं उनसे मथुराडीह के युवक मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद मिमांशु यादव ने कॉल करके बताया कि दो युवक लहुलुहान की स्थिति में ढाबा के सामने पड़े हुए हैं तब उसने मिमांशु को कहा कि करण यादव, राजा नामदेव सबको वहां से हटने बोलो तब मिमांशु वहां से मुसाफिर ढाबा की तरफ भागा। उसने घटना की सूचना मोबाइल से पुलिस को दिया था। उसके बाद मिमांशु का उसे फिर कॉल आया कि दो युवकों का काफी ब्लड निकल रहा है और एक युवक को पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ाते ले गये हैं। फिर वह लगभग 12 बजे के दरमयान ढाबा पहुंचा तो पुलिस वाले घटनास्थल पहुंच गये थे। ढाबा के सामने आलोक ठाकुर, नितिन तांडी मृत अवस्था में पड़े हुए थे। फिर आगे जाकर देखा तो पेट्रोल पंप के पास पंचर दुकान के सामने तीसरा युवक भी मृत अवस्था में पड़ा

हुआ था जिन्हें आरोपीगण ने दौड़ाकर मारा था। उसके बाद सोरम निवासी राहुल साहू से फोन से संपर्क किया तो उसने बताया कि वह जिला अस्पताल पहुंच गया है उसके साथ रायपुर से आए हुए कुछ युवक भी थे। राहुल ने उसे बताया कि जैसे ही उन लोग ढाबा पहुंचे तो वहां से आठ युवक ढाबा से बाहर निकले तब मथुराडीह के युवक उनसे मारपीट चालू कर दिया और आरोपी गोपी दीवान ने चाकू निकालकर सीधा नितिन तांडी व आलोक ठाकुर पर वार करने लगा तो वह भी वहां से पेट्रोल पंप की ओर भागा। उसके बाद राहुल साहू ने बताया कि पेट्रोल पंप से छिपकर पंचर दुकान के पास तीसरे युवक को आरोपी गोपी दीवान ने चाकू से मारकर हत्या कर दिया है।

43. उपरोक्त समस्त साक्षीगण जिनमें कि **राहुल साहू (अ.सा.1), मिमांशु यादव (अ.सा.2), बबलू बाघ (अ.सा.3), रामकरण यादव (अ.सा.4), राजा नामेदव (अ.सा.5), चन्द्रप्रकाश बचेकर (अ.सा.6), सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7) एवं सिद्धू बाघ (अ.सा.28)** घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके साक्ष्य से घटनास्थल पर आरोपीगण की उपस्थिति स्थापित है। उक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह भी स्थापित है कि आरोपीगण ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मृतकगण के साथ घटना कारित किाय है। यद्यपि प्रत्येक आरोपी की भूमिका घटना के दौरान बदलती रही, परंतु

आरोपीगण ने ही मिलकर घटना कारित किया है। आरोपीगण का आशय मृतकगण की मृत्यु कारित करने का ही रहा था, यह चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य से समर्थित है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने मृतकगण के शरीर के जिन भागों पर चोटें आरोपीगण के द्वारा कारित किया जाना बताया है, वैसी ही चोटें चिकित्सक साक्षी ने मृतकगण के शरीर पर पाया जाना बताया है। जैसा कि चिकित्सक साक्षी ने बताया है कि मृतक आलोक सिंह ठाकुर के गर्दन के बांई तरफ स्टेब वुण्ड (stab wound) था जो कि 2 सेमी. लंबा, 1 सेमी चौड़ा और 12 सेमी आकार का था। मृतक सुरेश हियाल के सिर के पिछले हिस्से के मध्य भाग पर 2 सेमीX 0.5 सेमी X 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव था, छाती के दांई तरफ स्टेब वुण्ड (stab wound) जो कि 5 सेमी लंबा, 1 सेमी चौड़ा एवं 20 सेमी आकार का तथा मृतक नितिन तांडी के गर्दन के बांई तरफ स्टेब वुण्ड जो कि 2 सेमी लंबा, 1 सेमी चौडा एवं 10 सेमी आकार का एवं बांए हाथ के कोहनी के ऊपर के हिस्से के मध्य भाग पर स्टेब वुण्ड (stab wound), पेट के दांई तरफ ऊपरी हिस्से एवं बांयी तरफ के नीचले हिस्से पर स्टेब वुण्ड (stab wound) था। इस प्रकार मृतकगण के शरीर के मार्मिक भागों पर ऐसी चोटें कारित की गई थी जो कि प्रकृति के सामान्य अनुकम में मृतकगण की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं।

44. घटनास्थल नजरीनक्शा **प्र.पी.5** के अनुसार घटनास्थल पर अलग–अलग जगहों पर जहां मृतकगण के शव पाये गये थे, साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्थापित हुआ है कि मृतक सुरेश हियाल, आलोक सिंह ठाकुर को प्रारंभिक घटनासथल से दौड़ाकर, मारकर आरोपीगण के द्वारा मृत्यु की गई थी। प्रारंभिक घटनास्थल पर मृतक नितिन तांडी का शव था, वहां से लगभग 161 मीटर की दूरी पर मृतक सुरेश हियाल का शव था तथा 20 फीट की दूरी पर मृतक आलोक सिंह ठाकुर का शव था, यह घटनास्थल का google फोटो प्र.पी.91 से दर्शित है। इसके अलावा घटनास्थल के संबंध में फोटोग्राफ्स आर्टिकल–3 से आर्टिकल–12 के अवलोकन से दर्शित है कि विभिन्न जगहों पर वाहन, वाहन के भीतर, खून के धब्बे, Blood pool पाये गये हैं जो घटित घटना में आरोपीगण की हत्या करने संबंधी आशय को दर्शित करते हैं।

45. **हल्का पटवारी योगेन्द्र साहू (अ.सा.15)** का साक्ष्य है कि तहसीलदार धमतरी के द्वारा ग्राम भोयना रा०नि०मं०कोलियारी का नजरी नक्शा तैयार करने हेतु ज्ञापन दिया था, ज्ञापन उसे व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त हुआ था तहसीलदार के निर्देशानुसार उसने ग्राम भोयना जाकर गवाहों के समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था जो **प्रदर्श पी 14** है जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नजरी नक्शा

बनाने के पूर्व मैने गवाहों का पंचनामा तैयार किया था, पंचनामा **प्रदर्श पी 15** है जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नजरी नक्शा तथा पंचनामा तैयार करने के पश्चात प्रतिवेदन नायब तहसीलदार धमतरी(ग्रामीण)तहसील कार्यालय धमतरी को प्रेषित किया गया प्रतिवेदन **प्रदर्श पी 62** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

अन्य तथ्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य

46. घटनास्थल पर आरोपीगण की उपस्थिति के संबंध में डिजिटल/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य– साक्षी **गिरधर साहू (अ.सा.13)** का साक्ष्य है कि वह मेसर्स सखाराम जानकी फ्यूल्स भोयना का संचालक है। उपरोक्त पेट्रोल पंप में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आज से लगभग छः माह पूर्व थाना अर्जुनी के पुलिस वाले उसे पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज लेने हेतु सहमति देने के लिए नोटिस दिया था, नोटिस **प्रदर्श पी 59** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग पर सीसीटीवी फुटेज (cctv footage)लेने के लिए सहमति देकर उसने ब से ब भाग पर हस्ताक्षर किया है। **छत्रपाल साहू (अ.सा.14)** का साक्ष्य है कि वह आरोपी गोपी दीवान तथा आरोपी रामकरण को चेहरे से पहचानता है किन्तु नाम से नहीं जानता है, शेष आरोपीगण को नहीं जानता है। वह सखाराम जानकी फ्यूल्स ग्राम भोयना

के पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने का काम करता है। आज से 5–6 माह पूर्व थाना अर्जुनी के पुलिस वाले उनके पेट्रोल पंप में आए थे। पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज निकाले थे जिसका पेनड्राइव की जप्ती उसके समक्ष हुई थी। जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 60** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने अवलोकन कराया था। सीसीटीवी फुटेज अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी 61** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। **आर्टिकल A13** जो कि पेनड्राइव में है, को लैपटाप में चलाकर देखा गया एवं इससे संबंधित सी.सी.टी.वी फुटेज अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी.61** का अवलोकन किया गया।सी.सी.टी.वी फुटेज अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी.61** में उल्लेख अनुसार ही **आर्टिकल A13** में (लगभग 40 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है) भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अवलोकन पंचनामा में निम्नानुसार दृश्य उल्लेखित है–कैमरा का दिनाक 11.08.2025 के 23:20:00 बजे से 23:41:52 बजे तक का अवलोकन किया गया। समय 23:20:46 बजे – में अन्नपूर्णा ढाबा रोड तरफ से राहुल साहू के साथ तीन अन्य लोग मथुराडीह मोड तरफ भागते दिख रहे हैं उसके पीछे–पीछे X कुलेश्वर ध्रुव एवं गोपी दीवान आते है, राहुल साहू पेट्रोल पम्प के सामने खड़े एक आयसर वाहन के पीछे से पेट्रोल पम्प तरफ दौड़ते आता है फिर गोपी दीवान, कमलेश ध्रुव एवं X

दौड़ते वापस अन्नपूर्णा ढाबा रोड़ तरफ जाते है। **समय 23:21:41** बजे– यादव ढाबा तरफ से सुरेश हियाल को दौड़ते है और यादव ढाबा के पास रोड़ किनारे गोपी दीवान, कमलेश ध्रुव एवं X के द्वारा सुरेश हियाल को रोक लेते है इसी बीच गोपी दीवान 23:21:53 बजे– अपने पास रखे चाकू से सुरेश हियाल के छाती में वार करता है, सुरेश हियाल दौडते हुए मथुराडीह मोड़ तरफ भागता है उसके पीछे पीछ X एवं कमलेश ध्रुव दौड़ते जाते हैं गोपी दीवान यादव ढावा तरफ वापस लौटता है। **समय 23:30:18 बजे–** गौतम दीवान बजाज डिस्कवर मोटर सायकल को अकेला धक्का देते मथुराडीह मोड़ तरफ ले जा रहा है। समय 23:45:10 बजे X यादव ढाबा के पीछे तरफ से आता है और यादव ढाबा में जाता है फिर 23:46:36 बजे पुनः यादव ढाबा के पीछे तरफ भाग जाता है। समय 23:52:05 बजे राहुल साहू नियाज टायर दुकान तरफ जाता है और पुनः पेट्रोल पम्प तरफ आ जाता है।

47. **दानेश्वर प्रसाद नागवंशी (अ.सा.16)** का साक्ष्य है कि पेट्रोल पंप ग्राम भोयना चौक के पास उसका कुंजाम प्रिंटर्स एवं मोबाइल शॉप है। उक्त दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें दो कैमरा दुकान के अंदर की ओर है तथा दो कैमरे बाहर की ओर का दृश्य संरक्षित करता है। पुलिस ने उसे भोयना चौक में तीन लोग के हत्या के संबंध में

सीसीटीव फुटेज की मांग किये थे जिसके लिए पुलिस ने उसे नोटिस दिया था नोटिस **प्रदर्श पी 63** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग पर उसने अपना नाम पता लिखकर सीसीटीवी कैमरे सही एवं चालू हालत में होने तथा कैमरे से किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति से बैकअप लेने की सहमति उसने स्वयं लिखकर दिया था जिसके नीचे अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था ।

48. **प्रकाश मरकाम (अ.सा.17)** का साक्ष्य है कि वह आरोपीगण को चेहरे से पहचानता है तथा केवल आरोपी गोपी दीवान को नाम से जानता है। वह भोयना चौक के पास अपने दोस्त दानेश्वर प्रसाद नागवंशी के दुकान में बैठता है। साक्षी को सीसीटीवी फुटेज अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी 64** दिखाए जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी को जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 65** दिखाए जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना बताता है। अभियोजन द्वारा सूचक प्रकृति के प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 10.08.2025 के रात्रि को तीन लोगों की हत्या भोयना चौक में हुई थी। उक्त हत्या के संबंध में पुलिस ने कुंजाम प्रिंटर्स एवं मोबाइल शॉप भोयना से सीसीटीवी फुटेज लिया था। उक्त फुटेज में उसने लोगों को भागते हुए देखा था जिसमें से एक व्यक्ति के हाथ में छोटा सा तलवारनुमा हथियार

था । उक्त सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने पेनड्राइव तैयार कर पुलिस से उसके समक्ष जप्त किया था। सीसीटीवी फुटेज के पेनड्राइव के संबंध में उसने और त्रिभुवन ने हस्ताक्षर किया था। **आर्टिकल A14** जो कि पेनड्राइव में है, को लैपटाप में चलाकर देखा गया एवं इससे संबंधित सी.सी.टी.वी फुटेज अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी.64** का अवलोकन किया गया। सी.सी.टी.वी फुटेज अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी.64** के अनुसार ही **आर्टिकल A14** में (69 वीडियो क्लिपिंग हैं) भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अवलोकन पंचनामा में निम्नानुसार दृश्य उल्लेखित है– सी.सी.टी.वी. कैमरा वर्तमान समय से 33 घण्टा 15 मिनट पीछे चल रहा है जिसमें दिनांक 10.08.2025 के **13:50 बजे से 14:20** बजे तक का अवलोकन किया गया जिसमें समय **14:06:32** बजे कुछ लोग दौड़ते है जो दुकान के पास बैठे थे। समय **14:06:38** बजे राहुल साहू के साथ 03 लोग मथुराडीह मोड़ तरफ दौड़ते है जिसे यादव ढाबा का मालिक चन्द्रहाश यादव रोड़ किनारे खड़े होकर देख रहा है राहुल साहू लोगों के पीछे पीछे X कमलेश ध्रुव एवं गोपी दीवान आते है गोपी दीवान के हाथ में चाकू है यह चन्द्रहाश यादव के पास आता है और उसके ढाबा में खड़े एक लड़के के पास जाते रहता उसी समय X एवं कमलेश ध्रुव मथुराडीह मोड़ तरफ से वापस दौड़ते आता है और गोपी दीवान को X छुकर इशारा कर

तीनों अन्नपूर्णा ढाबा तरफ दौड़े और उधर से सुरेश हियाल को दौड़ाते हुए यादव ढाबा के पास से मथुराडीह मोड़ तरफ तीनों ले जाते है उस समय ढाबा के पास हुडई कम्पनी का ऐसेन्ट कार में आये लोग भी देखते रहते है। समय **14:08:04 बजे** गोपी दीवान चाकू पकड़ कर यादव ढाबा तरफ आता है उसी समय कार वाले वहां से कार सहित चले जाते है। गोपी दीवान यादव ढाबा के मालिक चन्द्रहाश यादव के पास आता है तब चन्द्रहाश यादव उसे इशारा कर वहां से जाने के लिए बोलता है तब गोपी दीवान फिर अन्नपूर्णा ढाबा तरफ चला जाता है।

49. **अमित कुमार पटेल (अ.सा.20)** का साक्ष्य है कि वह दिनांक 29.07.2024 से वर्तमान तक वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर जिला धमतरी में सीन ऑफ क्राईम यूनिट में पदस्थ है। उसकी पदस्थापना के दौरान दिनांक 12.08.2025 को रात्रि 0.40 बजे उसे फोन के माध्यम से घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, उसके पश्चात वह रात्रि 1.40 बजे से प्रातः 6.30 बजे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया था। उसने घटनास्थल का 10 फोटोग्राफ्स लिया है। उसके द्वारा घटनास्थल से लिया गया फोटो **आर्टिकल ए–3**, **आर्टिकल ए–4, आर्टिकल ए–5, आर्टिकल ए–6, आर्टिकल ए–7, आर्टिकल ए–8, आर्टिकल ए–9, आर्टिकल ए–10, आर्टिकल ए–11, आर्टिकल ए–12** है। उक्त

फोटोग्राफी में किसी प्रकार की कांटछांट या फेरबदल नहीं करने के संबंध में उसके द्वारा धारा 63(4)सी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया गया था जो **प्रदर्श पी 70ए** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल का निरीक्षण पश्चात विवेचना अधिकारी को घटनास्थल से प्राप्त खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी को सील पैक कर एफ.एस.एल. जांच हेतु रायपुर भेजने का निर्देश दिया था। उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट **प्रदर्श पी 71ए** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे थाना प्रभारी अर्जुनी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रदाय करने बाबत पत्र प्रेषित किया गया था, पत्र **प्रदर्श पी 72** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त संबंध में इस साक्षी का साक्ष्य अखंडित रहा है।

50. **प्रधान आरक्षक भुनेश्वर साहू (अ.सा.24)** का साक्ष्य है कि दिनांक 13/08/2025 को थाना अर्जुनी के अपराध क्रमांक 117/2025 में घटनास्थल अन्नपूर्णा होटल (ढाबा) भोयना में लगे सी.पी. प्लस कंपनी के डी.वी.आर. का अवलोकन किया गया जिसमें तीन कैमरा लगा हुआ था। कैमरा नंबर 01 ढाबा के काउंटर वाले कमरा में, दूसरा ढाबा के पीछे रोड तरफ, तीसरा ढाबा के किचन में लगा है, उक्त सी.सी.टी.वी कैमरा नंबर 01 एवं 02 का फुटेज दिनांक 11/08/2025

के रात्रि 10.10 बजे से रात्रि 11.47.35 बजे तक का अवलोकन किया गया। उक्त कैमरों का सी.सी.टी.वी फुटेज पेनड्राईव में उसके द्वारा बैकअप लिया गया था, जिसका अवलोकन उसके द्वारा गवाहों और थाना प्रभारी को दिनांक 13/08/2025 के 16.50 बजे कराया गया था। अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी 47** है जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 13/08/2025 के 18.10 बजे पंचनामा स्थल सखाराम जानकी फ्यूलस ग्राम–भोयना में लगे हुए सी.सी.टी.वी कैमरा नंबर 09 का फुटेज दिनांक 11/08/2025 के रात्रि 23.20 बजे से रात्रि 23.41.52 बजे तक का अवलोकन किया गया, उक्त कैमरों का सी.सी.टी.वी फुटेज पेनड्राईव में उसके द्वारा बैकअप लिया गया था, जिसका अवलोकन उसके द्वारा गवाहों और थाना प्रभारी को दिनांक 13.08.2025 के 18.10 बजे कराया गया था, अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी 61** है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 13/08/2025 के 20.00 बजे पंचनामा स्थल कुंजाम प्रिंटर्स एवं मोबाईल दुकान ग्राम–भोयना में लगे हुए सी.सी. टी.वी कैमरा नंबर 03 का फुटेज दिनांक 10/08/2025 के रात्रि 13.50 बजे से रात्रि 14.20 बजे तक का अवलोकन किया गया उक्त कैमरों का सी.सी.टी.वी कैमरा वर्तमान समय से 33 घंटा 15 मिनट पीछे चल रहा था, उक्त सी.सी..

टी.वी. कैमरा का फुटेज पेनड्राईव में उसके द्वारा बैकअप लिया गया था, जिसका अवलोकन उसके द्वारा गवाहों और थाना प्रभारी को दिनांक 13/08/2025 के 20.00 बजे कराया गया था। अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी 64** है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा अन्नपूर्णा ढाबा ग्राम भोयना के सी.सी. टी.वी. कैमरा से लिये गये बैकअप का पेनड्राईव में बैकअप करने के संबंध में धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिया गया था जो **प्रदर्श पी 76 ए** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा सखाराम जानकी फ्यूलस ग्राम भोयना के सी.सी. टी.वी. कैमरा से लिये गये बैकअप का पेनड्राईव में बैकअप करने के संबंध में धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी 77 ए** दिया गया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा कुंजाम प्रिंटर्स एवं मोबाईल दुकान ग्राम भोयना के सी.सी. टी.वी. कैमरा से लिये गये बैकअप का पेनड्राईव में बैकअप करने के संबंध में धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिया गया था । प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी 78 ए** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने रविशंकर विश्वविद्यालय से पी.जी. डी.सी.ए. का कोर्स किया है, जिसका प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है, जो **प्रदर्श पी 79 ए** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा

अन्नपूर्णा ढाबा में लगे सी.सी. टी.वी कैमरे का बैक अप पेनड्राईव में तैयार किया गया था, जिसे उसने गवाहों के समक्ष विवेचक को जप्त कराया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 41** है जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा सखाराम जानकी फ्यूलस में लगे सी.सी. टी.वी कैमरे का बैक अप पेनड्राईव में तैयार किया गया था, जिसे उसने गवाहों के समक्ष विवेचक को जप्त कराया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 60 है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा कुंजाम प्रिंटर्स एवं मोबाईल दुकान में लगे सी.सी. टी.वी कैमरे का बैक अप पेनड्राईव में तैयार किया गया था, जिसे उसने गवाहों के समक्ष विवेचक को जप्त कराया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 65 है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा एक मोबाईल Vivo–v2315 रंग काला IMEI 1. no. 863587073288377 IMEI 2. no. 863587073288369 में 14 विडियों क्लिप को पेन ड्राईव में बैक अप किया था ,जिसके संबंध में उसके द्वारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी 80ए** है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

51. **आर्टिकल A2** जो कि पेनड्राइव में है, को लैपटाप में चलाकर देखा गया एवं इससे संबंधित सी.सी.टी.वी फुटेज अवलोकन

पंचनामा **प्रदर्श पी.47** का अवलोकन किया गया। सी.सी.टी.वी फुटेज अवलोकन पंचनामा **प्रदर्श पी.47** में उल्लेख अनुसार ही **आर्टिकल A2** में **(दो फोल्डर में छोटी–छोटी अवधि के कई वीडियो जिसमें फोल्डर एक में 139 तथा दूसरे फोल्डर 276 वीडियो क्लिपिंगस हैं)** भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अवलोकन पंचनामा में निम्नानुसार दृश्य उल्लेखित हैं– दिनांक 11.08.2025 के रात्रि 10:10:00 बजे से रात्रि 11:47:35 बजे तक का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी कैमरा वर्तमान समय से 2 मिनट आगे है। रात्रि 10:22:53 बजे बजाज डिस्कवर मोटर सायकल में गौतम दीवान जो सफेद काला छीटदार फूल बांह का शर्ट एवं जीन्स फूलपेन्ट नीला रंग पहना है, Y जो हल्का हरा रंग का हाफ टीशर्ट एवं काले रंग का टाउजर पहना है तथा Z जो भूरा रंग का हाफ टीशर्ट एवं फूलपेन्ट काला रंग का पहना है, पहुंचे उसके बाद एक मोटर सायकल में 10:30:10 बजे ग्राम भोयना तरफ से 5 लड़के जिसमें गोपी दीवान सफेद नीला रंग लाईनिंग वाले फूल बाह का शर्ट एवं काला रंग का टाउजर पहना है, X फूल बांह का काला लाल सफेद रंग का छिटदार शर्ट एवं काला रंग का लोवर पहना है, रणवीर साहू जो सफेद रंग का फूलबांह का शर्ट एवं काला रंग का पेन्ट पहना है, कुलेश्वर साहू कत्था रंग का हाफ टीशर्ट एवं काला रंग का जीन्स पेन्ट पहना है एवं कमलेश ध्रुव संतरा सफेद रंग का

चेकदार फूलबांह का शर्ट एवं गाढ़ा हरा रंग का लोवर पहना है, आये दोनों मोटर सायकल को ढाबा के सामने खड़ी किये है। आने के बाद ढाबा के सामने उपद्रव करते हैं, ढाबा में मिमांशु यादव, राजा नामदेव एवं रामकरण यादव है। कैमरा नम्बर 02 में सभी लोग समय 10:41 बजे ढाबा के पीछे शेड के नीचे खाना खा रहे हैं। समय 11:07 बजे आपस में विवाद हो रहें हैं, रणवीर साहू ढाबा के कुर्सियों को पटकते दिख रहा है। कैमरा नम्बर 01 में **11:08 बजे** ढाबा के पीछे से ढाबा के सामने तरफ आ रहे है, रणवीर ढाबा के कुर्सियों को पटकते दिख रहा है, आपस में विवाद हो रहे है, गोपी अपने कमर के पीछे भाग में चाकू को दबा कर रखा दिख रहा है। ढाबा के कर्मचारी राजा नामदेव एवं रामकरण यादव कुर्सियों को व्यवस्थित कर रहे है उक्त घटना क्रम को मिमांशु यादव अपने मोबाईल में वीडियो बनाते तथा किसी को फोन लगाते दिख रहा है। समय **11:14:40** बजे मिमांशु ढाबा के कांउटर के पास खड़े हैं जो गोपी दीवान से बातचीत करते दिख रहा है उसी समय गोपी दीवान अपने पास रखे चाकू को निकालते हुए दिख रहा है, सभी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा होते दिख रहे है। समय 11:19:21 बजे गोपी दीवान ढाबा के सामने से पत्थर उठाकर सामने रोड़ में चल रहे हाईवा को फेंककर मारता है तथा उसके उसके पीछे दौड़ते गया फिर X ढाबा के खाट में रख लकड़ी के पाटा को

उठाकर गाड़ी के पीछे दौड़ते जा रहा है, उसके पीछे गौतम दीवान, Y, Z जाते दिख रहे है, गाड़ियां रूक जाती हैं, गोपी दीवान वापस ढाबा के पास आता है और चाकू रख कर दौड़ते गाड़ियों तरफ जा रहा है फिर गाड़ी वाले आगे बढ़ जाते हैं, रामकरण यादव और मिमांशु यादव दोनों बाहर की कुर्सियों एवं सामानों को अन्दर लाते है फिर सभी लोग वापस ढाबा तरफ आते है सामने खाट के पास खड़े रहते है। समय 11:22:18 बजे राहुल साहू अपनी मोटर सायकल से तीन लोग आते है, राहुल साहू कीचन दरवाजा पास खड़ा रहता है तथा कीचन अन्दर चला जाता है। समय 11:23:20 बजे राहुल के दोस्त नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल, बबलू बाघ, सिद्धू, मनहरण के साथ गोपी दीवान एवं उनके सभी साथी विवाद कर रहे है, विवाद को देखकर राहुल साहू उनके पास जाता है आपस में मारपीट होते रहते हैं, जिसे रामकरण यादव देख रहा है। समय **11:23:40 बजे** गोपी दीवान एक व्यक्ति को अपने पास रखे चाकू से मारते दिख रहा है। सुरेश हियाल को गौतम दीवान एवं कुलेश्वर नेताम मुसाफिर ढाबा तरफ मारते ले जाते हैं बाकी लोग पेट्रोल पम्प तरफ अन्य लोगों को दौड़ते है। समय **11:24:02** बजे सिद्धू बाघ ढाबा तरफ अन्दर भागता है, समय **11:24:28** बजे सुरेश हियाल को कुलेश्वर नेताम एवं गौतम दीवान दौड़ते हुए मथुराडीह मोड़ पेट्रोल पम्प

तरफ ले जाते है। समय 11:25:06 बजे मिमांशु यादव अपने ढाबा तरफ से सामने रोड तरफ निकलता है उसके पीछे–पीछे खूबलाल साहू को रणवीर साहू, गौतम दीवान एवं कुलेश्वर नेताम मारने के लिए दौडते हुए मुसाफिर ढाबा तरफ ले जाते है इसी बीच राजा नामदेव कीचन से सामान बाहर निकालता है तथा सामने खाट को अन्दर करता कुलेश्वर अपने बाये हाथ में चाकू लेकर ढाबा तरफ आता है, राजा नामदेव ढाबा अन्दर पीछे तरफ चला जाता है फिर रणवीर और गौतम दीवान मुसाफिर ढाबा तरफ से अन्नपूर्णा ढाबा के सामने आते है। **समय 11:29:11** बजे कुलेश्वर नेताम एक चाकू पकड़ कर अन्नपूर्णा ढाबा के अन्दर आता है और काउंटर के सामान को हाथों से गिराते हुए ढाबा के पीछे तरफ चला जाता है उसके पीछे गोपी दीवान आता है और रोड़ पर गिरे मोटर सायकल को उठाने के लिए जाता है कुलेश्वर नेताम ढाबा के पीछे से फिर सामने रोड़ तरफ जाता है उसी समय रणवीर साहू गौतम दीवान वहां पर आते है फिर गोपी दीवान नितिन तांडी के शव के पास जाता है और अपने कमर से चाकू निकाल कर फिर एक बार मारता है फिर **समय 11:32:15** बजे गौतम दीवान बजाज डिस्कवर मोटर सायकल को धक्का देते हुए ले मथुराडीह मोड तरफ ले जाता है। **समय 11:39:10** बजे कुलेश्वर नेताम एक स्प्लेंडर प्रो मोटर सायकल के उपर बैठ कर धक्का देते हुए दाबा के आगे मथुराडीह

मोड तरफ ले जाता है उनके साथ गोपी दीवान गौतम दीवान जाते हैं। समय समय **<u>11:44:15</u>** बजे 03 व्यक्ति अन्नपूर्णा ढाबा के पास आते हैं और फिर वहां से चले जाते है फिर 4 व्यक्ति **<u>समय 11:47:19</u>** बजे वापस ढाबा तरफ आते है, उसके पीछे रणवीर साहू एवं कुलेश्वर आता है उसी समय कैमरा बंद हो जाता है।

52. **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** का साक्ष्य है कि भुनेश्वर साहू से एक पेन ड्राइव जिसमें अन्नपूर्णा ढाबा के घटना का सीसीटीवी रिकार्ड को पेन ड्राइव में कॉपी कर पेन ड्राइव तैयार किया था। उक्त पेन ड्राइव को उसके समक्ष पुलिस ने जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 41** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्र क्रमशः **प्रदर्श पी 42, प्रदर्श पी 43, प्रदर्श पी 44, प्रदर्श पी 45 एवं प्रदर्श पी 46** है,जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष अन्नपूर्णा ढाबा के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर पंचनामा तैयार किया था,पंचनामा **प्रदर्श पी 47** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने तहसीलदार के माध्यम से आरोपी गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम, रणवीर साहू, कमलेश ध्रुव तथा गौतम दीवान का पहचान कार्यवाही जिला जेल धमतरी में किया था। जिसका शिनाख्तगी पंचनामा **प्रदर्श पी 48** है, जो

दो पन्नों में है, जिसके दोनों पन्नों में अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। **आर्टिकल A1** का अवलोकन किये जाने पर इसमें विभिन्न छोटे समयावधि के 14 वीडियो क्लिपिंग हैं, जिन्हें VLC प्लेयर से चलाकर देखे जाने पर किसी ढाबे जैसे स्थान पर जिसके सामने एक चूल्हा बना हुआ है, सामने भाग में खम्भों में नीली–सफेद रंग प्रकाशयुक्त बल्ब लडियां लपेटी गई है, सामने ही खाट लगा हुआ है जिस पर कुछ व्यक्ति जिन्हें आरोपीगण होना बताया गया है, सभी आपस में गुत्थम–गुत्थी हो रहे हैं, एक–दूसरे को पकड़कर धकेल रहे हैं। कुछ वीडियो में टूटी हुई कुर्सियां देखाई दे रहे हैं, बाद में इसी स्थान पर एक रक्त रंजित व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके शरीर के पास खून बहा हुआ है, पास में ही एक एंबुलेंस है जिसका पीछे भाग खुली हुई है और उसके सीट में एक व्यक्ति रक्त रंजित अवस्था में दिख रहा है।

53. **आर्टिकल ए–2, आर्टिकल ए–13, आर्टिकल ए–14** को चलाकर देखे जाने पर मॉनीटर पर अवलोकन पंचनामा क्रमशः **प्रदर्श पी 47, 61 एवं 64** में उल्लेख अनुसार ही समय एवं दृश्य तथा दृश्यों में व्यक्ति उपस्थित होते हैं, दिखाई देते हैं। यद्यपि एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे अन्नपूर्णा ढाबा से मुसाफिर ढाबा या अन्नपूर्णा ढाबा से सखाराम जानकी पेट्रोल या मथुराडीह या कुंजाम प्रिंटर्स एवं कंप्यूटर दुकान की

ओर जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है, परंतु प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण के बताये एवं उनके द्वारा किये गये पहचान के अनुसार उपरोक्त दृश्यों में दिखाई दे रहे व्यक्ति आहतगण व आरोपीगण हैं। साथ ही उन दृश्यों में घटनास्थल पर काम कर रहे प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी मिमांशु यादव, रामकरण यादव, राजा नामदेव आदि दिखाई दे रहे हैं और इन तथ्यों को बचाव पक्ष द्वारा खंडित नहीं किया जा सका है।

प्रकरण में प्रयुक्त धारदार/नुकीले साधन/कपड़ों की जप्ती

54. **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** का साक्ष्य है कि पुलिस उसके समक्ष आरोपीगणों से पूछताछ किया था। आरोपी गोपी दीवान ने घटना में प्रयुक्त चाकू को रोड किनारे फेक देना तथा मोटर सायकल को अपने घर में रखा होना बताया था। आरोपी गोपी दीवान द्वारा दिया गया मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 16** है,जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोपी दीवान द्वारा घटना में प्रयुक्त खून लगा हुआ चाकू को निकालकर पुलिस को जप्त कराया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 17** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी गोपी दीवान के पेश करने पर एक मोटर सायकल डिस्कवर को जप्त किया था, जप्ती पत्र **प्रदर्श पी 18** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोपी दीवान द्वारा पेश करने पर पुलिस ने उसके

समक्ष घटना के समय पहने हुए उसका कपड़ा शर्ट एवं पैन्ट को जप्त किया था जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 19** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोपी दीवान के पेश करने पर पुलिस ने उसके समक्ष एक मोबाइल को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 20** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी कुलेश्वर नेताम का बयान लिया था उसका मेमोरंडम बयान प्रदर्श पी **21** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुलेश्वर नेताम से पुलिस ने उसके समक्ष एक स्प्रिंगदार चाकू को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 22** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुलेश्वर नेताम द्वारा पेश करने पर पुलिस ने उसके समक्ष घटना के समय पहने हुए उसका कपड़ा शर्ट एवं पैन्ट को जप्त किया था जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 23** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुलेश्वर नेताम के पेश करने पर पुलिस ने उसके समक्ष एक मोबाइल को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 24** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी कुलेश्वर नेताम से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 25** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी रणवीर साहू

का बयान लिया था उसके द्वारा दिया गया मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 26** है,जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रणवीर साहू द्वारा पेश करने पर पुलिस ने उसके समक्ष घटना के समय पहने हुए उसका कपड़ा शर्ट एवं बनियान को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 27** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे, आरोपी रणवीर साहू के पेश करने पर पुलिस ने उसके समक्ष एक मोबाइल को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 28** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रणवीर साहू से पुलिस ने उसके समक्ष एक स्टील जैसे धातु का बंबू जिससे धान चावल का बोरी से सैम्पल लिया जाता है को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 29** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

55. **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** का आगे यह भी साक्ष्य है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी कमलेश ध्रुव का बयान लिया था उसके द्वारा दिया गया मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 30** है,जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कमलेश ध्रुव द्वारा पेश करने पर पुलिस ने उसके समक्ष घटना के समय पहने हुए उसका कपड़े को जप्त किया था,जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 31** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी

गौतम दीवान का बयान लिया था उसके द्वारा दिया गया मेमोरंडम कथन प्रदर्श पी 32 है,जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गौतम दीवान द्वारा पेश करने पर पुलिस ने उसके समक्ष घटना के समय पहने हुए उसका कपड़े को जप्त किया था, जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 33 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल से एक प्लास्टिक के डिब्बा में खून से सना हुआ मिट्टी एवं सादी मिट्टी अलग–अलग तीनों जगह से जप्त किया था, जिसका जप्ती पत्र क्रमशः **प्रदर्श पी 34, प्रदर्श पी 35 एवं प्रदर्श पी 36** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 26 में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण से पूछताछ थाने में हुआ है, स्वतः कथन कहा कि ढाबे में सुबह–सुबह पूछताछ की गई थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि सभी मेमोरंडम कथनों में अपना हस्ताक्षर पुलिस थाना में किया है, स्वतः कथन किया कि कुछ को वह अपने ढाबे में किया था और कुछ हस्ताक्षर को थाने में किया है। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मेमोरंडम कथन की लिखापढी उसके सामने नहीं हुई है। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मेमोरंडम कथन को वह पढकर हस्ताक्षर नहीं किया है। मेमोरंडम कथन दोपहर के समय लिया गया था। इस सुझाव से भी इंकार किया है

कि मेमोरंडम कथन के समय वहीं पर किसी चीज की जप्ती नहीं हुई है, स्वतः कथन है कि मेमोरंडम कथन के समय आरोपीगण से वहीं पर किसी वस्तु की जप्ती नहीं हुई थी। उपरोक्त चाकूओं की जप्ती ढाबा के किनारे से हुई । इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जप्तशुदा चाकूओं की विशेष पहचान नहीं बता सकता है, स्वतः कहा कि हरा रंग का हैण्डल था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्तशुदा चाकू को वह जप्ती के समय पहली बार देखा था। यह भी स्वीकार किया है कि चाकू नया था, पुराना था या जंग लगा था, नहीं बता सकता है, साक्षी स्वतः कहता है कि नया था अर्थात साक्षी ने चाकू अवश्य देखा था।

56. **बबलू बाघ (अ.सा.3)** का साक्ष्य है कि उसका साथी सुरेश कार का दरवाजा खोलकर दाहिने तरफ भागा था, लगभग 10 मिनट बाद मामला शांत हो गया समझ कर वापस आया, वह थक गया था। तब आरोपीगण तीन–चार लोग उसे दौड़ाए और पेट्रोल पंप के पास मेन रोड में ही चाकू से उसके सीने पर वार किये, थोड़े दूर आगे जाकर पंचर दुकान के पास सुरेश गिर गया। इन सारी घटना को वह किसी व्यक्ति के काले रंग की कार से अंदर बैठकर देख रहा था उस कार को उसका मालिक डर के कारण छोड़कर भाग गया था। मृतक सुरेश को सीने में चोंट आयी थी। वह जिस कार में बैठा था वह लॉक हो गया था,

वह बाहर नहीं निकल पा रहा था जब पुलिस गाड़ी आयी तब वह कार की खिड़की को खटखटाया तब कार मालिक ने अनलॉक किया तब वह कार से बाहर आया। उसी समय पुलिस वाले तीन आरोपी को घटना स्थल पर पकड़ लिये थे। तीनों आरोपी से पुलिस ने चाकू आदि को जप्त किया था। पुलिस ने उसे तीनों मृतकों के शव का पंचनामा करने के लिए नोटिस दिया था नोटिस क्रमशः **प्रदर्श पी 06**, **प्रदर्श पी 07**, **प्रदर्श पी 08** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तीनों मृतकों के शव का पंचनामा **प्रदर्श पी 09**, **प्रदर्श पी 10**, **प्रदर्श पी 11** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोपी दीवान ने उसके समक्ष पुलिस को बताया था कि घटना करने के पश्चात मोटरसायकल, मोबाइल और चाकू को रखा था तथा घटना के समय पहने हुए कपड़े को जिसे पुलिस ने उसके समक्ष जप्त किया था। आरोपी गोपी दीवान का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 16** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोपी दीवान से मोटरसायकल, मोबाइल और चाकू एवं घटना के समय पहने हुए कपड़े को जप्त किया था, जप्ती पत्र क्रमशः **प्रदर्श पी 17, प्रदर्श पी 18,प्रदर्श पी 19, प्रदर्श पी 20** है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुलेश्वर नेताम ने उसके समक्ष पुलिस को घटना करने के पश्चात मोटरसायकल, मोबाइल और चाकू को रखना बताया था तथा

घटना के समय पहने हुए कपड़े को पुलिस ने उसके समक्ष जप्त किया था। आरोपी कुलेश्वर नेताम का मेमोरंडम कथन प्रदर्श पी 21 है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुलेश्वर नेताम से मोटरसायकल, मोबाइल और चाकू एवं घटना के समय पहने हुए कपड़े को जप्त किया था, जप्ती पत्र क्रमशः **प्रदर्श पी 22, प्रदर्श पी 23,प्रदर्श पी 24 एवं प्रदर्श पी 25** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रणवीर साहू ने उसके समक्ष पुलिस को घटना करने के पश्चात मोबाइल और बम्बू को रखना बताया था तथा घटना के समय पहने हुए कपड़े को जिसे पुलिस ने उसके समक्ष जप्त किया था। आरोपी रणवीर साहू का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 26** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रणवीर साहू से मोबाइल,बम्बू, घटना के समय पहने हुए कपड़े को जप्त किया था जप्ती पत्र क्रमशः **प्रदर्श पी 27, प्रदर्श पी 28,प्रदर्श पी 29** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कमलेश ध्रुव ने उसके समक्ष को पुलिस को बताया था कि मोटरसायकल में बैठकर हम लोग अन्नपूर्णा ढाबा आये थे। घटना के समय पहने हुए कपड़े को उसके समक्ष जप्त कराया था। आरोपी कमलेश ध्रुव का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 30** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसके समक्ष कमलेश ध्रुव के पेश करने पर उसका घटना के समय पहने हुए

कपड़े पुलिस ने जप्त किया था जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी31** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गौतम दीवान ने उसके समक्ष को पुलिस को बताया था कि मोटरसायकल में बैठकर हम लोग अन्नपूर्णा ढाबा आये थे। घटना के समय पहने हुए कपड़े को मेरे समक्ष जप्त कराया था। आरोपी गौतम दीवान का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 32** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसके समक्ष गौतम दीवान के पेश करने पर उसका घटना के समय पहने हुए कपड़े पुलिस ने जप्त किया था जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 33 है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

57. आरोपी गोपी दीवान के निशानदेही पर एक चाकू, आरोपी कुलेश्वर नेताम के बतायेनुसार एक स्प्रिंगदार चाकू एवं आरोपी रणवीर साहू के बतायेनुसार स्टील धातु का बम्बे जिससे धान, चावल बोरी से सैंपल लिया जाता है, जप्त किये जाने के संबंध में उपरोक्त साक्षीगण का साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में भी पूर्णतः अखंडित रहा है। आरोपी गोपी दीवान, आरोपी कुलेश्वर नेताम, आरोपीगण रणवीर साहू, कमलेश ध्रुव एवं आरोपी गौतम दीवान से घटना के समय पहने हुए उनके कपड़े, मोबाईल फोन और घटनास्थल से एक वाहन कार पुलिस द्वारा जप्त किये जाने के संबंध में भी उक्त साक्षियों का साक्ष्य प्रतिपरीक्षण् में अखंडित रहा है।

58. उपरोक्तानुसार संपत्तियों की जप्ती आरोपीगण से किये जाने के संदर्भ में **विवेचनाधिकारी निरीक्षक चन्द्रकांत साहू (अ.सा.27)** का साक्ष्य है कि दिनांक 12.08.2025 के 12.30 बजे ग्राम भोयना में आरोपी गोपी दीवान का मेमोरंडम बयान गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष लेखबद्ध किया था। आरोपी ने बयान में बताया था कि जिस चाकू से मृतकों को मारा था उसे ढाबा के आगे रोड किनारे फेंक दिया है और मोटरसायकल को अपने घर में रखा है, घटना के समय पहुने हुए कपडे को अभी भी पहना है, जिसे बरामद कर देगा। आरोपी गोपी दीवान का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 16** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी गोपी दीवान के हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोपी दीवान के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 12.40 बजे एक नग लोहे जैसे धातु से बना हुआ चाकू जिसका मुठ काला एवं पीला रंग का है, जिसके फल एवं मुठ में खून जैसे दाग लगे हुए हैं, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 17** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी गोपी दीवान के हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोपी दीवान के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.15 बजे एक पुरानी इस्तेमाली स्लेटी रंग का मोटरसायकल क्रमांक

सीजी 05 एल––––5 लिखा है, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 18** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी गोपी दीवान के हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोपी दीवान के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.25 बजे एक नग फुल बांह वाला सफेद नीला लाइनिंग वाला शर्ट जिसमें जगह–जगह खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ तथा एक नग काले रंग का ट्राउजर 30 नंबर साइज का जिसमें बांए जांघ भाग में खून जैसे दाग धब्बे लगा हुआ है, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 19** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी गोपी दीवान के हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोपी दीवान के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.30 बजे एक नग आईटेल कंपनी का एण्ड्राइड मोबाइल मॉडल ए 25 नीला रंग का मोबाइल फोन जिसमें जियो कंपनी का सिम लगा हुआ, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 20** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी गोपी दीवान के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.08.2025 के 13.00 बजे ग्राम भोयना में आरोपी कुलेश्वर नेताम का मेमोरंडम बयान गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष लेखबद्ध किया था। आरोपी ने बयान में बताया था कि जिस चाकू

को मारने के लिए रखा था उसे ढाबा के आगे रोड किनारे फेंक दिया है, अपने मोटरसायकल को आरोपी गोपी दीवान के घर में रखा है और घटना के समय पहुने हुए कपडे को अभी भी पहना है, चलकर बरामद करा देगा, आरोपी कुलेश्वर नेताम का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 21** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी कुलेश्वर नेताम के हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुलेश्वर नेताम के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 13.30 बजे एक नग धारदार बटंची स्पिंगदार चाकू जिसमें कीचड लगा हुआ था, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 22** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी कुलेश्वर नेताम के हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुलेश्वर नेताम के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.20 बजे एक पुरानी इस्तेमाली हीरो होण्डा स्प्लेंडर क्रमांक सीजी 07 एएफ 2047, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 25** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी कुलेश्वर नेताम के हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुलेश्वर नेताम के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.35 बजे एक नग टी शर्ट हाफ बांह वाला कत्था रंग का जिसके सामने भाग में खून जैसा

दाग धब्बा लगा हुआ था एवं एक जींस पैन्ट काला रंग का 30 नंबर साईज का जिसके आगे पीछे मिट्टी लगा हुआ था, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 23** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी कुलेश्वर नेताम के हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुलेश्वर नेताम के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.40 बजे एक नग एण्ड्राइड मोबाइल विवो कंपनी का नीला रंग का मोबाइल फोन जिसमें जियो कंपनी का सिम लगा हुआ था, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 24** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी कुलेश्वर नेताम के हस्ताक्षर हैं।

59. **विवेचनाधिकारी निरीक्षक चन्द्रकांत साहू (अ.सा.27)** का आगे यह भी साक्ष्य है कि दिनांक 12.08.2025 के 14.00 बजे ग्राम भोयना में आरोपी रणवीर साहू का मेमोरंडम बयान गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष लेखबद्ध किया था। आरोपी ने बयान में बताया था कि जिस बम्बू को मारने के लिए रखा था उसे ढाबा के आगे रोड किनारे फेंक दिया है और घटना के समय पहुने हुए कपडे को अभी भी पहना है, चलो चलकर बरामद करा देता हूं, आरोपी रणवीर साहू का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 26** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा

द से द भाग पर आरोपी रणवीर साहू के हस्ताक्षर हैं।आरोपी रणवीर साहू के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.10 बजे एक नग स्टील धातु का बना धान, चावल सैम्पल निकालने वाला बम्बू को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 29** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी रणवीर साहू के हस्ताक्षर हैं। आरोपी रणवीर साहू के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.45 बजे एक नग शर्ट फुल बांह वाला सफेद रंग का जिसके जगह–जगह खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था, एक नग हाफ बनियान सफेद रंग का जिसके सामने भाग में खून जैसा दाग लगा हुआ, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 27** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी रणवीर साहू के हस्ताक्षर हैं। आरोपी रणवीर साहू के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.50 बजे एक नग एण्ड्राइड मोबाइल ओप्पो कंपनी का सफेद रंग का मोबाइल फोन जिसमें जियो कंपनी का सिम लगा हुआ था और डिस्प्ले टूटा हुआ था, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 28** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी रणवीर साहू के हस्ताक्षर हैं।

दिनांक 12.08.2025 के 15.10 बजे ग्राम भोयना में आरोपी कमलेश ध्रुव का मेमोरंडम बयान गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष लेखबद्ध किया था। आरोपी ने बयान में बताया था कि घटना के समय पहुने हुए कपडे को अभी भी पहना है, जिसे बरामद करा देगा। आरोपी कमलेश ध्रुव का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 30** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी कमलेश ध्रुव के हस्ताक्षर हैं। आरोपी कमलेश ध्रुव के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 15.15 बजे एक नग शर्ट फुल बांह वाला सफेद रंग का चेकदार जिसके सामने नीचे दाहिने भाग पर खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था, एक नग लोवर गाढा हरा रंग का, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 31** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी कमलेश ध्रुव के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.08.2025 के 15.35 बजे ग्राम भोयना में आरोपी गौतम दीवान का मेमोरंडम बयान गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष लेखबद्ध किया था। आरोपी ने बयान में बताया था कि घटना के समय पहुने हुए कपडे को अभी भी पहना है जिसे बरामद करा देगा। आरोपी गौतम दीवान का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी 32** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी गौतम

दीवान के हस्ताक्षर हैं।आरोपी गौतम दीवान के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 15.40 बजे एक नग शर्ट फुल बांह वाला काला सफेद रंग का छिंटदार जिसके दाहिने कंधा एवं बांए भुजा भाग पर खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था, एक नग जीन्स फुल पैन्ट नीले रंग का, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 33** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी गौतम दीवान के हस्ताक्षर हैं।

60. धारदार एवं नुकीले साधन की जप्ती आरोपी गोपी दीवान, आरोपी कुलेश्वर नेताम एवं आरोपी रणवीर साहू से जप्ती पत्रक क्रमशः **प्रदर्श पी 17, प्रदर्श पी 22 एवं प्रदर्श पी 29** के अनुसार जप्त किया जाना विवेचनाधिकारी ने बताया है। जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 17** के अनुसार आरोपी गोपी दीवान से जप्त, लोहे जैसे धातु से बना हुआ चाकू, उसके मूठ का भाग काले–पीले रंग का, एक भाग धारदार नुकीला, उपर भाग पर छेद बना हुआ तथा तीन जगह कोर बना हुआ है। चाकू की कुल लंबाई–32.5 से.मी. फल की लंबाई–20.2 से.मी., चाकू के फल का मध्य भाग 4 से.मी. चौड़ा, मूठ की लंबाई 12.5 से.मी.। **प्रदर्श पी 22** के अनुसार कुलेश्वर नेताम से जप्त धारदार बटनची स्प्रिंगदार चाकू की कुल लंबाई 23 से.मी. फल की लंबाई 10 से.मी., मूठ की लंबाई 14 से.मी. एवं फल

की चौड़ाई 2.5 से.मी.। इसी प्रकार **प्रदर्श पी.29** के माध्यम से आरोपी रणवीर साहू से जप्त स्टील जैसे धातु से बना धान–चावल निकालने का बम्बू जिसके मूठ का भाग गोल, सामने का भाग कटा हुआ, गड्ढा–नुकीला, कुल लंबाई 26 से.मी., मूठ की लंबाई 11 से.मी., फल की लंबाई 15 से.मी. एवं मूठ की गोलाई 6 से.मी. है।

61. उपरोक्तनुसार जप्त धारदार/नुकीले साधनों को चिकित्सक साक्षी **डॉ. आर.के. सोनी (अ.सा.19)** के समक्ष क्वेरी हेतु भेजे एक स्टेनलेस स्टील का चाकू जिसमें हरे एवं पीले रंग का प्लास्टिक का हैण्डल था जिसका वजन 218 ग्राम, जिसकी पूरी लंबाई 33 सेमी जिसमें धातु पार्ट की चौडाई 4.2 सेमी एवं हैण्डल की चौडाई 3 सेमी था, हैण्डल की मोटाई 1.2 सेमी, चाकू सामने के हिस्से पर नुकीला एवं चाकू का बाहरी सतह धारदार, एक धातु का बना हुआ चाकू जिसका वजन 150 ग्राम जिसकी लंबाई 23 सेमी., मध्य भाग की चौडाई 3.4 सेमी., धारदार नुकीला एवं स्टील का बना हुआ चाकू जिसका वजन 66 ग्राम जिसकी लंबाई 26 सेमी. था जो कि राउंड शेप में था एवं अगला हिस्सा धारदार एवं नुकीला था। चाकू के हैण्डल की गोलाई 7 सेमी. एवं चौडाई 3 सेमी होना चिकित्सक साक्षी ने बताया है। चिकित्सक साक्षी ने क्वेरी

रिपोर्ट क्रमशः **प्रदर्श पी 72, 73 एवं 74** में उपरोक्त धारदार नुकीले साधनों का माप एवं रेखाचित्र का उल्लेख भी किया है।

62. इस प्रकार आरोपी गोपी दीवान, आरोपी कुलेश्वर नेताम एवं आरोपी रणवीर साहू से धातु के धारदार एवं नुकीले साधनों को जप्त किये जाने का तथ्य स्थापित है। घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है, इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी है और न ही विवादित किया गया है। उपर में जप्तशुदा धारदार नुकीले साधनों की आकृति, आकार एवं परिमाप को जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, से स्पष्ट है कि आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त धारदार नुकीले साधनों को सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में रखा जाना, अवैध है और आयुध अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312–6552(2)(b)(1) दिनांक 22/11/1974 के स्पष्ट उल्लंघन में है।

जप्तशुदा संपत्तियों का परीक्षण/रासायनिक परीक्षण

63. उपरोक्त संपत्तियों के **परीक्षण/रासायनिक परीक्षण** के संबंध में विचार करें तो **आरक्षक प्रशांत पांडे (अ.सा.22)** का साक्ष्य है कि दिनांक 12/08/2025 को मृतक नितिन तांडी, सुरेश हियाल एवं आलोक सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल मृतक के परिजनों के साथ लेकर गया था। पोस्टमार्टम करने के पश्चात

चिकित्सक ने मृतक नितिन तांडी का घटना के समय पहने हुए शर्ट, जीन्स, पैन्ट व अंडरवियर को सीलबंद कर उसे दिया था जिसे उसने विवेचक को जप्त कराया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 73** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पोस्टमार्टम करने के पश्चात चिकित्सक ने मृतक आलोक सिंह का घटना के समय पहने हुए टीशर्ट, जीन्स, पैन्ट व अंडरवियर को सीलबंद कर उसे दिया था जिसे उसने विवेचक को जप्त कराया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 74** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पोस्टमार्टम करने के पश्चात चिकित्सक ने मृतक सुरेश हियाल का घटना के समय पहने हुए टीशर्ट, जीन्स, पैन्ट, बनियान व अंडरवियर को सीलबंद कर उसे दिया था जिसे उसने विवेचक को जप्त कराया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 75** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

64. **आरक्षक लुकेश ठाकुर (अ.सा.21)** का साक्ष्य है कि दिनांक 12.08.2025 के अपराध क्रमांक 117/25 धारा 103(1), 190, 191(1)(3) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में थाना परिसर अर्जुनी के आरक्षक प्रशांत पांडे के द्वारा तीन सीलबंद पैकेट में मृतक नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल के कपड़े लाकर निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर निरीक्षक द्वारा उसके समक्ष उक्त

सीलबंद पैकेट को जप्त किया गया था, जप्ती पत्रक क्रमशः **प्रदर्श पी 73 ए, प्रदर्श पी 74 ए, प्रदर्श पी 75 ए** है, जिसके अ से अ भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। **आरक्षक तरूण कोकिला (अ.सा.23)** का साक्ष्य है कि आरक्षक प्रशांत पांडे द्वारा जिला अस्पताल धमतरी से पोस्टमार्टम कराने के पश्चात सीलबंद पैकेट को जप्त कराया था, जप्ती पत्र क्रमशः **प्रदर्श पी 73 ए, प्रदर्श पी 74 ए, प्रदर्श पी 75 ए** है, जिसके स से स भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

65. **विवेचनाधिकारी निरीक्षक चन्द्रकांत साहू (अ.सा.27)** का साक्ष्य है कि उसने दिनांक 12.08.2025 के 20.00 बजे आरक्षक क्र० 665 प्रशांत पांडे के द्वारा पोस्टमार्टम पश्चात चिकित्सक द्वारा सीलबंद पैकेट में मृतक नितिन तांडी के शर्ट, पैन्ट व अंडरवियर को थाना लाकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जप्ती पत्र **प्रदर्श पी 73** है, जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 12.08.2025 के 20.05 बजे आरक्षक क्र० 665 प्रशांत पांडे के द्वारा पोस्टमार्टम पश्चात चिकित्सक द्वारा सीलबंद पैकेट में मृतक आलोक सिंह ठाकुर के शर्ट, पैन्ट व अंडरवियर को थाना लाकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जप्ती पत्र **प्रदर्श पी 74** है, जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.08.2025 के 20.10 बजे आरक्षक

क्र० 665 प्रशांत पांडे के द्वारा पोस्टमार्टम पश्चात चिकित्सक द्वारा सीलबंद पैकेट में मृतक सुरेश हियाल के टीशर्ट, पैन्ट, बनियान व अंडरवियर को थाना लाकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 75** है, जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 01.09.2025 के 11.30 बजे शासकीय जिला अस्पताल धमतरी के डॉक्टर आदित्य सिन्हा के पेश करने पर मृतकों के परिजन उसकी माताओं के सीलबंद तीन पैकेट ब्लड नमूना को गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 68** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 18.08.2025 को सिविल सर्जन जिला अस्पताल धमतरी को आरोपीगणों से जप्त कपड़ा एवं चाकू का परीक्षण कर क्यूरी रिपोर्ट प्रदाय करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया था, पत्र **प्रदर्श पी 72, प्रदर्श पी 73, प्रदर्श पी 74, प्रदर्श पी 75, प्रदर्श पी 76, प्रदर्श पी 77, प्रदर्श पी 78, प्रदर्श पी 79 एवं प्रदर्श पी 80** है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

66. **चिकित्सक डॉ. आर.के. सोनी (अ.सा.19)** का साक्ष्य है कि दिनांक 12/08/2025 को आरक्षक क्रमांक 665 के द्वारा उक्त अपराध से संबंधित जप्तशुदा प्रदर्शों के क्यूरी कर रिपोर्ट प्रदाय करने बाबत थाना अर्जुनी द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र दिनांक

21.08.2025 समय सुबह 10.30 बजे आरक्षक प्रशांत पांडे के द्वारा 665 थाना अर्जुनी के द्वारा एक सीलबंद चाकू जिसमें गोपी दीवान का नाम दर्शित था। सील खोलने पर एक स्टेनलेस स्टील का चाकू जिसमें हरे एवं पीले रंग का प्लास्टिक का हैण्डल था जिसका वजन 218 ग्राम, जिसकी पूरी लंबाई 33 सेमी जिसमें धातु पार्ट की चौडाई 4.2 सेमी एवं हैण्डल की चौडाई 3 सेमी था, हैण्डल की मोटाई 1.2 सेमी, चाकू सामने के हिस्से पर नुकीला एवं चाकू का बाहरी सतह धारदार था। चाकू पूरी तरह से खून जैसे दाग से सना हुआ था। उसके अभिमतानुसार–मृतक सुरेश हियाल पिता बिशेख हियाल, आलोक सिंह ठाकुर पिता संतोष सिंह एवं नितिन तांडी पिता गोपी तांडी को आई सभी चोंटे जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शित है, इस प्रकार के वस्तु से आना संभव है। परीक्षण उपरांत चाकू को रासायनिक जांच कराने की सलाह देते हुए सील पैक करके उसी आरक्षक को सौंपा गया। मेरे द्वारा दिये गये क्यूरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 72** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। एक सील पैक किया हुआ चाकू जिसमें कुलेश्वर नेताम दर्शित था। सील को खोलने पर एक धातु का बना हुआ चाकू जिसका वजन 150 ग्राम जिसकी लंबाई 23 सेमी., मध्य भाग की चौडाई 3.4 सेमी. था। चाकू का अगला हिस्सा धारदार और नुकीला था, चाकू का ऊपरी सतह धारदार था और

चाकू के निचली सतह जिग जैग था, चाकू पूरे हिस्से पर खून जैसे दाग से सना हुआ था। उसके **अभिमतानुसार**–मृतक सुरेश हियाल, आलोक सिंह ठाकुर एवं नितिन तांडी को आयी सभी चोंटे जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शित है, इस प्रकार के वस्तु से आना संभव है। परीक्षण उपरांत चाकू को रासायनिक जांच कराने की सलाह देते हुए सील पैक कर उसी आरक्षक को सौंपा गया। उक्त संबंध में उसके द्वारा दिया गया क्यूरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 73** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा एक सीलपैक किया हुआ चाकू जिसमें रणवीर साहू दर्शित था। सील को खोलने पर स्टील का बना हुआ चाकू जिसका वजन 66 ग्राम जिसकी लंबाई 26 सेमी. था जो कि राउंड शेप में था एवं अगला हिस्सा धारदार एवं नुकीला था। चाकू के हैण्डल की गोलाई 7 सेमी. एवं चौडाई 3 सेमी था। चाकू के पूरे हिस्से पर खून जैसा दाग था। उसके **अभिमतानुसार**–मृतक सुरेश हियाल, आलोक सिंह ठाकुर एवं नितिन तांडी को आई सभी चोंटे जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शित है, इस प्रकार के वस्तु से आना संभव है। परीक्षण उपरांत चाकू को रासायनिक जांच कराने की सलाह देते हुए सील पैक करके उसी आरक्षक को सौंपा गया। उक्त संबंधमें उसके द्वारा दिया गया क्यूरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी74** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

67. **चिकित्सक डॉ. आर.के. सोनी (अ.सा.19)** का आगे साक्ष्य है कि दिनांक 18.08.2025 समय दोपहर 12.30 बजे को एक सीलपैक किया हुआ कपडा हेड कांस्टेबल क्रमांक 326 भुनेश्वर साहू थाना अर्जुनी के द्वारा लाया गया था जिसमें गोपी दीवान दर्शित था। सील को खोलने पर एक सूती का बना हुआ सफेद नीले रंग का पट्टीदार फुल शर्ट जिसमें मार्का व्यू जार्डन एल साईज लिखा था जिसकी लंबाई 70 सेमी., चौडाई 55 सेमी. था, शर्ट का सामने का हिस्सा पूर्ण रुप से खून जैसे दाग से सना था। शर्ट के दोनों बांही खून जैसे दाग से सना था एवं शर्ट के पिछले हिस्से के बांई तरफ के ऊपरी हिस्से पर 11 सेमीX9 सेमी एवं 10 सेमीX10 सेमी एवं निचले हिस्से पर 1 सेमीX1 सेमी. का खून जैसा दाग था। उसके **अभिमतानुसार**– शर्ट के परीक्षण उपरांत शर्ट का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके शर्ट को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसके द्वारा दिया गया क्यूरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 75** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 18.08.2025 समय दोपहर 1 बजे एक सीलबंद कपडा आरक्षक क्रमांक 665 प्रशांत पाण्डेय थाना अर्जुनी के द्वारा लाया गया था। शर्ट में गोपी दीवान नाम दर्शित था। सील को खोलने पर एक काले रंग का सूती का बना हुआ फुल पैन्ट जिसकी लंबाई 82 सेमी., चौडाई 40 सेमी.

जिसमें 30 इंच का साईज था, पैन्ट के दांई तरफ के निचले हिस्से में 5 सेमी का फटा हुआ था, पैन्ट के सामने और पिछले हिस्से के पूरे भाग पर बहुत सारे विभिन्न आकार के खून जैसे दाग थे। उसके **अभिमतानुसार**– पैन्ट के परीक्षण उपरांत पैन्ट का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके पैन्ट को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसके द्वारा दिया गया क्यूरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 76** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 18.08.2025 समय दोपहर 1.15 बजे एक सीलबंद कपडा आरक्षक क्रमांक 665 प्रशांत पाण्डेय थाना अर्जुनी के द्वारा लाया गया था। कपडे में कुलेश्वर नेताम नाम दर्शित था। सील को खोलने पर एक सिन्थेटिक कपडे का बना हुआ कत्थे रंग का टी शर्ट जिसमें मार्का ओके फैशन एम साईज लिखा था जिसके ऊपरी हिस्से पर चैन लगा था जिसकी लंबाई 68 सेमी., चौडाई 50 सेमी. था। टीशर्ट की सामने के हिस्से को बांई तरफ 19X6 सेमी का खून जैसा दाग था। उसके **अभिमतानुसार**– टीशर्ट के परीक्षण उपरांत टीशर्ट का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके टीशर्ट को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा एक सीलबंद कपडा जिसमें कुलेश्वर नेताम नाम दर्शित था । सील को खोलने पर एक काले रंग का जीन्स जिसमें मार्का ए टू जेड काजमा साईज 30 इंच लिखा था

जिसकी कुल लंबाई 82 सेमी. एवं चौडाई 40 सेमी. था। जीन्स के पिछले हिस्से पर 7X4 सेमी. धूल जैसा दाग था। उसके **अभिमतानुसार**– जीन्स पैन्ट के परीक्षण उपरांत जीन्स पैन्ट का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके जीन्स पैन्ट को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसके द्वारा दिया गया क्यूरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 77** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

68. **चिकित्सक डॉ. आर.के. सोनी (अ.सा.19)** का आगे यह भी साक्ष्य है कि दिनांक 18/08/2025 को उसी आरक्षक के द्वारा एक सीलबंद कपडा जिसमें रणवीर साहू नाम दर्शित था। सील को खोलने पर एक सफेद रंग का फुल शर्ट जिसकी लंबाई 65 सेमी., चौडाई 50 सेमी., साईज 38 इंच था। शर्ट के सामने एवं पीछे के पूरे हिस्से एवं शर्ट की दोनों बांही पूर्ण रुप से खून जैसे दाग से सना हुआ था। उसके **अभिमतानुसार**– शर्ट के परीक्षण उपरांत शर्ट का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके शर्ट को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा एक सीलबंद कपडा लाया गया था। सील को खोलने पर एक सफेद रंग का बनियान जिसमें 85 सेमी साईज लिखा था। बनियान के सामने के पूरे हिस्से पर खून जैसा दाग था। उसके **अभिमतानुसार**– कपडे के परीक्षण उपरांत कपडे का

रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके कपडे को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसके द्वारा दिया गया क्यूरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 78** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा एक सीलबंद कपडा लाया गया था। कपडे में कमलेश कुमार ध्रुव नाम दर्शित था। सील को खोलने पर एक सूती का बना हुआ सफेद एवं गुलाबी रंग के शर्ट जिसमें मार्का बॉक्स, साईज एक्स एल था। शर्ट की लंबाई 63 सेमी., चौडाई 52 सेमी. था। शर्ट के सामने के हिस्से पर दाई ओर नीचे के तरफ 14X6 सेमी. खून जैसा दाग था। उसके **अभिमतानुसार**– कपडे के परीक्षण उपरांत कपडे का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके कपडे को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा एक सीलबंद कपडा लाया गया था । कपडे में कमलेश कुमार ध्रुव नाम दर्शित था। सील को खोलने पर एक गहरे नीले रंग का पैन्ट जिसमें नाड़ा लगा हुआ था जिसकी लंबाई 102 सेमी. एवं चौडाई 37 सेमी. था। उसके **अभिमतानुसार**– कपडे के परीक्षण उपरांत कपडे का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके कपडे को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसके द्वारा दिया गया क्यूरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 79** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा एक

सीलबंद कपडा लाया गया था। कपडे में गौतम दीवान नाम दर्शित था। सील को खोलने पर एक सफेद रंग का फुल शर्ट जिसमें काले रंग का फुल बना हुआ था। शर्ट की लंबाई 68 सेमी, चौडाई 52 सेमी था जिसमें मार्का डेसिंग शर्ट एल साईज लिख था। शर्ट के बांए साईड के कंधे के हिस्से पर 32X15 सेमी एवं शर्ट के दांए साईड के कंधे के हिस्से पर 12X8 सेमी का खून जैसे दाग थे। उसके **अभिमतानुसार**–कपडे के परीक्षण उपरांत कपडे का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके कपडे को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा एक सीलबंद कपडा लाया गया था । कपडे में गौतम दीवान नाम दर्शित था। सील को खोलने पर काले रंग का जीन्स पैन्ट जिसमें मार्का सुपर ड्राई नंबर 28 लिखा था। उसके **अभिमत**–कपडे के परीक्षण उपरांत कपडे का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके कपडे को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसके द्वारा दिया गया क्यूरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 80** है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा एक सीलबंद कपडा लाया गया था। कपडे में X नाम दर्शित था। सील को खोलने पर एक सूती का बना हुआ काले रंग का शर्ट जिसमें सफेद रंग का फुल बना हुआ था। जिसमे मार्का बिन्दास क्लासिक एल साईज लिखा हुआ था। शर्ट की

लंबाई 69 सेमी एवं चौडाई 60 सेमी था।शर्ट के सामने के हिस्से पर दांई ओर 10X7 सेमी का एवं पिछले हिस्से के दांई तरफ 13X11 सेमी के खून जैसे दाग थे। उसके **अभिमतानुसार**–कपडे के परीक्षण उपरांत कपडे का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके कपडे को उसी आरक्षक को सौंपा गया था। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा एक सीलबंद कपडा लाया गया था। कपडे में X नाम दर्शित था। सील को खोलने पर ब्लैक कलर का लोवर पैन्ट जिसकी लंबाई 86 सेमी., चौडाई 40 सेमी. था। उसके **अभिमतानुसार**–कपडे के परीक्षण उपरांत कपडे का रासायनिक परीक्षण की सलाह देते हुए सीलपैक करके कपडे को उसी आरक्षक को सौंपा गया था।

69. **आदित्य सिन्हा (अ.सा.18)** का साक्ष्य है कि वह वर्ष 2023 से वर्तमान तक जिला अस्पताल धमतरी में पैथोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ है। थाना प्रभारी अर्जुनी के द्वारा दिनांक 31.08.2025 को थाना अर्जुनी जिला धमतरी के अपराध क्रमांक 117/25 धारा 103(1), 190, 191(1)(3) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट में डीएनए परीक्षण हेतु ब्लड सैम्पल लिये जाने हेतु डॉक्टर की टीम गठित किये जाने के संबंध में सिविल सर्जन शासकीय जिला अस्पताल धमतरी को पत्र लिखा गया था जिसे सिविल सर्जन द्वारा उसे आदेशित किया गया था।

आदेशानुसार जप्त एक नग चाकू में खून जैसा दाग लगा हुआ है उक्त खून का मृतक नितिन तांडी की जैविक माता निरी तांडी उम्र 48 वर्ष, मृतक आलोक सिंह ठाकुर की जैविक माता करुणा सिंह ठाकुर उम्र 45 वर्ष, मृतक सुरेश हियाल की जैविक माता आशा हियाल उम्र 55 वर्ष का डीएनए परीक्षण हेतु ब्लड सैम्पल लिया गया था जिसमें निरी तांडी पति गोपी तांडी उम्र 48 वर्ष का ब्लड सैम्पल, श्रीमती करुणा सिंह ठाकुर पति संतोष सिंह ठाकुर उम्र 45 वर्ष का ब्लड सैम्पल, श्रीमती आशा हियाल पति अभिषेक हियाल उम्र 55 साल का ब्लड सैम्पल 3ml – 3ml EDTA VIAL में लिया गया था। ब्लड सैम्पल क्रमशः **प्रदर्श पी 65 ए**, **प्रदर्श पी 66** एवं **प्रदर्श पी 67** है जिसके अ से अ भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त संबंध में उसके पेश करने पर गवाहों के समक्ष विवेचक द्वारा सीलबंद तीनों ब्लड सैम्पल को जप्त किया गया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 68** है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

70. **विवेचनाधिकारी निरीक्षक चन्द्रकांत साहू (अ.सा.27)** का साक्ष्य है कि उसने प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों को एफ.एस.एल. जांच कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी को ड्राफ्ट नंबर प्रदाय करने बाबत पत्र प्रेषित किया था। पुलिस अधीक्षक धमतरी ने ड्राफ्ट नंबर प्रदाय कर सीलबंद जप्तशुदा प्रदर्शों को राज्य न्यायिक प्रयोगशाला रायपुर चार

पन्नों में प्रेषित किया था, पत्र **प्रदर्श पी 149** एवं उसकी पावती **प्रदर्श पी 150** है। पुलिस अधीक्षक धमतरी ने मृतकों के परिजन मृतक की माताओं से लिये गये रक्त नमूना एवं हत्या करने में उपयोग किये गये चाकू में लगे रक्त का डीएनए जांच कराए जाने के लिए सीलबंद जप्तशुदा प्रदर्शों को राज्य न्यायिक प्रयोगशाला रायपुर तीन पन्नों में प्रेषित किया था, पत्र **प्रदर्श पी 151** एवं उसकी पावती **प्रदर्श पी 152** है। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का दिनांक 29.09.2025 को थाना अर्जुनी के अपराध क्र. 117/25 धारा 103(1), 190, 191(1)(3)बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा प्रदर्शों का रासायनिक परीक्षण कर परीक्षण प्रतिवेदन चार पन्नों में प्रेषित किया गया है जो **प्रदर्श पी 153** है। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का दिनांक 29.09.2025 को थाना अर्जुनी के अपराध क्र. 117/25 धारा 103(1), 190, 191(1)(3)बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट में मृतक नितिन तांडी, आलोक सिंह, सुरेश हियाल की माताओं का डीएनए परीक्षण हेतु ब्लड सैम्पल का घटना में प्रयुक्त चाकू में लगे रक्त से मिलान कर रासायनिक परीक्षण कर परीक्षण प्रतिवेदन तीन पन्नों में प्रेषित किया गया था जो **प्रदर्श पी 154** है। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला

रायपुर द्वारा प्रदर्शों का परीक्षण करने के पश्चात प्रदर्शों को वापस किया गया था जिसकी प्रदर्श वापसी रसीद **प्रदर्श पी 155** है।

71. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी.153 के अनुसार परीक्षण परिणाम एवं अभिमत निम्नानुसार है–

1.अ. प्रदर्शो A, B, E, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, S, U, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG & AH पर रक्त पाया गया तथा इन प्रदर्शों पर रक्त की प्रजाति एवं समूह (ग्रुप) के परीक्षण किए गए।

ब. प्रदर्श C, D, F, N, R, T & V पर रक्त नहीं पाया गया।

2. **रक्त धब्बों की प्रजाति–** धब्बों की प्रजाति हेतु परीक्षण किए गए तथा निम्नलिखित परिणाम पाए गए–

अ. प्रदर्शो G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, S, U, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE & AF पर मानव रक्त है।

ब. निम्नलिखित कारणों से प्रजाति ज्ञात नहीं की जा सकी:

(1) प्रदर्श A, B, E, AG & AH के धब्बे विघटित (डिस्इंटीग्रेट) है।

3. **रक्त के धब्बों का वर्गीकरण–**धब्बों के रक्त वर्गीकरण हेतु परीक्षण किए गए तथा निम्नलिखित परिणाम पाए गए।

अ. प्रदर्शो I, J, L, M,Q, S, W, X, Y पर "A" समूह (ग्रुप) का मानव रक्त है।

ब. प्रदर्शो O, P & AD पर "B" समूह (ग्रुप) का मानव रक्त है।

स. प्रदर्शो U, AA, AB & AD पर "AB" समूह (ग्रुप) का मानव रक्त है।

ब. निम्नलिखित कारणों से प्रदर्शों पर रक्त समूह वर्गीकरण नहीं दिया जा सका:

(i) प्रदर्श G, H, K, Z, AC, AE & AF को सादा (कंट्रोल) नमूना प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समूहीकरण नहीं किया जा सका ।

72. **प्रदर्श पी 153** में संलग्न प्रदर्शों के विवरण का अवलोकन करें तो प्रदर्श G–आरोपी गोपी दीवान से जप्त शर्ट, H–आरोपी गोपी दीवान से जप्त ट्राउजर, I–आरोपी कुलेश्वर नेताम से जप्त टीशर्ट, J–आरोपी कुलेश्वर नेताम से जप्त फुलपैंट, K–आरोपी रणवीर साहू से जप्त शर्ट, L–आरोपी रणवीर साहू से जप्त बनियान, M–आरोपी कमलेश कुमार ध्रुव से जप्त शर्ट, O–आरोपी गौतम दीवान से जप्त शर्ट, P–आरोपी गौतम दीवान से जप्त पैंट, Q–विधि से संघर्षरत बालक से जप्त शर्ट, S–विधि से संघर्षरत बालक से जप्त टीशर्ट, U–विधि से संघर्षरत बालक से जप्त टीशर्ट, W–मृतक नितिन तांडी से जप्त शर्ट, X–मृतक नितिन तांडी से जप्त जिंस पैंट, Y–मृतक नितिन तांडी से जप्त अंडरवियर, Z–मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त टीशर्ट, AA–मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त जिंस पैंट, AB–मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त अंडरवियर, AC–मृतक सुरेश हियाल से जप्त टीशर्ट, AD–मृतक सुरेश हियाल से

जप्त जिंस पैंट, AE–मृतक सुरेश हियाल से जप्त बनियार, AF–मृतक सुरेश हियाल से जप्त अंडरवियर है।

73. प्रदर्श I–आरोपी कुलेश्वर नेताम से जप्त टीशर्ट, J–आरोपी कुलेश्वर नेताम से जप्त फुलपैंट, L–आरोपी रणवीर साहू से जप्त बनियान, M–आरोपी कमलेश कुमार ध्रुव से जप्त शर्ट, Q–विधि से संघर्षरत बालक से जप्त शर्ट, S–विधि से संघर्षरत बालक से जप्त टीशर्ट, W–मृतक नितिन तांडी से जप्त शर्ट, X–मृतक नितिन तांडी से जप्त जिंस पैंट, Y–मृतक नितिन तांडी से जप्त अंडरवियर में ''A'' समूह का मानव रक्त पाया गया है। प्रदर्श O–आरोपी गौतम दीवान से जप्त शर्ट, P–आरोपी गौतम दीवान से जप्त पैंट, प्रदर्श AD–मृतक सुरेश हियाल से जप्त जिंस पैंट में ''बी'' समूह का मानव रक्त है। प्रदर्श U–विधि से संघर्षरत बालक से जप्त टीशर्ट, AA–मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त जिंस पैंट, AB–मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त अंडरवियर में ''AB'' मानव रक्त समूह पाया गया है।

74. **इस प्रकार स्पष्ट है कि** प्रदर्श I–आरोपी कुलेश्वर नेताम से जप्त टीशर्ट, J–आरोपी कुलेश्वर नेताम से जप्त फुलपैंट, L–आरोपी रणवीर साहू से जप्त बनियान, M–आरोपी कमलेश कुमार ध्रुव से जप्त शर्ट, Q–विधि से संघर्षरत बालक से जप्त शर्ट, S–विधि से संघर्षरत

बालक से जप्त टीशर्ट, W–मृतक नितिन तांडी से जप्त शर्ट, X–मृतक नितिन तांडी से जप्त जिंस पैंट, Y–मृतक नितिन तांडी से जप्त अंडरवियर में समान रूप से रक्त समूह ''A'' पाया गया है। इसी प्रकार प्रदर्श O–आरोपी गौतम दीवान से जप्त शर्ट, P–आरोपी गौतम दीवान से जप्त पैंट, प्रदर्श AD–मृतक सुरेश हियाल से जप्त जिंस पैंट में ''B'' समूह का मानव रक्त है। प्रदर्श U–विधि से संघर्षरत बालक से जप्त टीशर्ट, AA–मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त जिंस पैंट, AB–मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त अंडरवियर में समान रक्त समूह''AB'' पाया गया है। बचाव पक्ष का ऐसा सुझाव या तर्क नहीं है कि उक्त रक्त समूह आरोपीगण का ही है या उनके कपड़ों में पाया गया रक्त उन्हीं का है। आरोपी गोपी दीवान से जप्त ट्राउजर प्रदर्श H, टीशर्ट प्रदर्श I, में मानव रक्त पाया गया। आरोपीगण के कपड़े रक्त रंजित होने का कोई स्पष्टीकरण आरोपीगण का नहीं है।

75. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.154 के अनुसार–

- प्रदर्श A (1230/25) आरोपी गोपी दीवान से प्राप्त चाकू से मिश्रित डीएनए प्रोफाईल प्राप्त हुआ।
- प्रदर्श B (1231/25) मृतक नितिन तांडी की मां श्रीमती नीरी, प्रदर्श C (1232/25) मृतक आलोक सिंह ठाकुर की मां करूणा सिंह ठाकुर एवं प्रदर्श D (1233/25) मृतक सुरेश हियाल की मां श्रीमती आशा हियाल के ब्लड से प्राप्त

ऑटोसोमल डीएनए प्रोफाईल में प्रत्येक मार्कर पर पाए गए एक एलिल प्रदर्श A (1230/25) आरोपी गोपी दीवान से प्राप्त चाकू के मिश्रित डीएनए प्रोफाईल में उपस्थित पाए गए।

- **2. अभिमतः –**
- डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग हेतु प्राप्त प्रदर्शो पर किये गये परीक्षण एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित निश्चयात्मक परिणाम प्राप्त हुये है :–
- प्रदर्श B (1231/25), प्रदर्श C (1232/25) एवं प्रदर्श D (1233/25) से प्राप्त डीएनए प्रोफाईल का प्रदर्श A (1230/25) से प्राप्त मिश्रित डीएनए प्रोफाईल से जैविक संबंधता होने की संभावना है।

76. प्रदर्श B, C एवं D क्रमशः मृतक नितिन तांडी की माता श्रीमती नीरी, मृतक आलोक सिंह ठाकुर की मां श्रीमती करूणा सिंह ठाकुर एवं मृतक सुरेश हियाल की मां श्रीमती आशा हियाल का डी.एन.ए. मिश्रित डी.एन. एन. प्रोफाईल है, से प्रदर्श ए जो कि आरोपी गोपी दीवान से प्राप्त चाकू से प्राप्त मिश्रित डी.एन.ए. प्रोफाईल है, जैविक संबद्धता होने की संभावना दर्शित की गयी है। प्रकरण में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग शाला की रिपोर्ट **प्रदर्श पी.153 एवं 154** के आधार पर उल्लेखनीय तथ्य यह प्रकट हुआ है कि मृतक सुरेश हियाल से जप्त जींस पैंट प्रदर्श 'AD' में ''B" समूह का रक्त और साथ ही "AB" समूह का मानव रक्त पाया गया है अर्थात् मृतक सुरेश हियाल के कपड़ो में **दो समूह** के रक्त

पाए गए । उक्त दोनों रक्त समूह के पाये जाने के संबंध में विचार करें तो दर्शित है कि रिपोर्ट के अनुसार मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त जींस पैंट प्रदर्श 'AA'एवं मृतक आलोक सिंह ठाकुर से ही जप्त अंडरवियर प्रदर्श 'AB 'में भी "AB" समूह का रक्त होना पाया गया है। साथ ही आरोपी गौतम दीवान से जप्त शर्ट प्रदर्श 'O' एवं फुलपैंट प्रदर्श 'P' में "B" समूह का रक्त होना पाया गया है। अभियोजन के तथ्य अनुसार आरोपीगण ने पहले नितिन तांडी एवं मृतक आलोक सिंह ठाकुर को चाकू मारा, उसके बाद घटनास्थल से दूर भाग रहे सुरेश हियाल को चाकू मारा, संभव है कि मृतक आलोक सिंह ठाकुर का रक्त समूह आरोपीगण द्वारा प्रयुक्त चाकू के माध्यम से या आरोपीगण के शरीर के माध्यम से मृतक सुरेश हियाल के कपड़ों में आया हो, ऐसा होने की प्रबल संभावना भी दर्शित है, क्योंकि आरोपी गौतम दीवान से जप्त चाकू में पाये गये रक्त का डी.एन.ए. प्रोफाईल एवं मृतकगण की जैविक माताओं से प्राप्त रक्त सैंपल का डी.एन.ए. प्रोफाईल में जैविक संबंद्धता होने संबंधी रिपोर्ट न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग शाला द्वारा दी गई है। इसी प्रकार आरोपी गौतम दीवान के शर्ट एवं पैंट में जो "B" समूह का रक्त पाया गया है, वह मृतक सुरेश हियाल या मृतक आलोक सिंह ठाकुर का हो सकता है जो उक्त आरोपी द्वारा उपरोक्त मृतकगण को चोटग्रस्त करते समय उसके

कपड़ो में लग गया हो, क्योंकि बचाव पक्ष का ऐसा सुझाव या तर्क नहीं है कि उक्त रक्त स्वयं आरोपी गौतम दीवान का हो । उक्त स्थिति के संबंध में संबंधित साक्षी से कोई प्रतिप्रश्न बचाव पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है ।

77. **भूषण साहू (अ.सा.9)** का साक्ष्य है कि वह आरोपी गोपी दीवान को जानता है। दिनांक 11.08.2025 के सुबह लगभग 9 बजे आरोपी गोपी दीवान अपने अन्य दो साथी के साथ नहर नाली चौक कोलियारी के पास आये और उसे बोले कि शराब कहां मिलेगा तब उसने कहा था कि शराब मिल जाएगा लेकिन खोजना पड़ेगा। उसके बाद आरोपी गोपी दीवान ने उसे 300 रु० शराब लाने के लिये दिया था। उसके बाद गोपी दीवान व उसके साथी लोग वहां से चले गये। उसके बाद वह दवाई लेने धमतरी चला गया था। उसके बाद तीन–चार बार उसके पास फोन आया तब वह अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण एक बार कॉल रिसिव किया था तब आरोपी गोपी दीवान ने उसे कहा था कि कोलियारी में मिलना और पैसा वापस कर देना तब उसने फोन पे से बाद में पैसा डाल देने की बात बोला था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रकृति के प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पास मोबाइल नंबर 9244392033 एवं 8305304711 से अलग–अलग व्यक्ति 10–

12 बार फोन लगाए थे। उक्त फोन से उसे कोलियारी में मिलने के लिए बोल रहे थे। फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम कुलेश्वर नेताम बताया था। उसके घरवाले बताये थे कि 6–7 लड़के लोग दो से तीन बार उसे पूछने के लिए उसके घर आये थे। घरवाले उसे बताये थे कि लड़को ने बोला था कि गोपी दीवान आया था, बता देना। उसके दूसरे दिन वह अपने काम से कांकेर चला गया था। उसके बाद उसे पता चला कि जो लड़के लोग उसे शराब के लिए पैसा दिये थे वही लड़के अन्नपूर्णा ढाबा के पास तीन लोगों का चाकू मारकर हत्या कर दिया। बचाव पक्ष के द्वारा इस साक्षी को सुझाव दिया गया है कि उसने गोपी दीवान को 300 रूपये वापस नहीं किया और न ही शराब खरीदकर दिया। इस साक्षी के साक्ष्य अनुसार घटना के पूर्व उसे गोपी दीवान एवं उसके साथी जो कि संख्या में 6–7 थे जो उसे ढूंढ रहे थे। आरोपी गोपी दीवान ने उसे कई बार मोबाईल फोन के माध्यम से फोन किया था। साक्षी का साक्ष्य घटना के पूर्व घटनास्थल के आसपास आरोपी गोपी दीवान एवं उसके अन्य साथी, जो कि इस साक्षी को ढूंढने जाने वाले दिवस में ही बाद में प्रश्नगत घटना कारित किये, यह उपधारणा बनती है कि वे गोपी दीवान के साथ अन्य व्यक्ति या लड़के शेष आरोपीगण ही थे। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से

घटना दिनांक को सभी आरोपीगण के एक साथ होने तथा घटनास्थल के आसपास ही होने का अभियोजन का तथ्य स्थापित होता है।

78. **मरहरण नेताम (अ.सा.12)** का साक्ष्य है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। आरोपी कुलेश्वर नेताम उसका छोटा भाई है। उसने हिरो होण्डा स्प्लेण्डर प्रो वाहन खरीदा था उसका नंबर सीजी 07 एएफ 2047 है। उक्त वाहन को उसके घर के लोग चलाते हैं। घटना दिनांक को उक्त वाहन को आरोपी कुलेश्वर नेताम चलाने के लिए लेकर गया था। उसका उक्त वाहन पुलिस ने जप्त कर लिया है। अभियोजन के तथ्य अनुसार यह साक्षी प्रकरण में आरोपी कुलेश्वर नेताम का बड़ा भाई है, इसके स्वामित्व की मोटर सायकल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो क्रमांक सी.जी.07/ए एफ/2047 को आरोपी कुलेश्वर नेताम के बताए अनुसार प्रकरण में आरोपी गोपी दीवान के घर के सामने दिनांक 12/08/2025 को जप्ती पत्र **प्र.पी.12** के अनुसार जप्त किया गया है। सी.सी.टी.वी. फुटेज पंचनामा **प्र.पी.47** के अनुसार घटना के दौरान 11:39:10 बजे आरोपी कुलेश्वर नेताम इसी मोटर सायकल में बैठकर मोटर सायकल को धक्का दे रहा था। यह दृश्य घटनास्थल अन्नपूर्णा ढाबा के सी.सी.टी.वी. फुटेज से संबंधित पेनड्राइव **आर्टिकल ए–2** को चलाकर देखे जाने पर भी दिखायी

दे रहा है। इस संबंध में आरोपी कुलेश्वर नेताम का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

79. उपरोक्तानुसार प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तावित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में विचार करें तो न्यायदृष्टांत **Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra 1984 AIR 1622** से मार्गदर्शन लें तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं :–

> Onus was on the prosecution to prove that the chain is complete and the infirmity of lacuna in prosecution cannot be cured by false defence or plea. The conditions precedent in the words of this Court, before conviction could be based on circumstantial evidence, must be fully established. They are :
>
> (1) the circumstances from which the conclusion of guilt is-to be drawn should be fully established. The circumstances concerned 'must' or 'should' and not 'may be' established.
>
> (2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to. say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency;

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

80. उपरोक्त न्यायदृष्टांत (**Sharad Birdhichand Sarda**) में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्थापित परिस्थितियां निम्नानुसार है–

1. आरोपीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित है।
2. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दृश्य माध्यम/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण की घटनास्थल पर स्थिति प्रमाणित किया गया।
3. आरोपीगण से धारदार नुकीले साधनों की जप्ती की गयी है और चिकित्सक साक्षी ने ऐसे ही साधन से मृतकगण को आयी चोट कारित होना बताया है।
4. आरोपीगण के कपड़ों में खून के धब्बे पाये गये हैं।

5. आरोपीगण एवं मृतकगण के शरीर में/कपड़ों में एक ही समूह के रक्त होना पाया गया है जिसका स्पष्टीकरण आरोपीगण ने नहीं दिया है।

6. आरोपी गोपी दीवान से जप्त चाकू का डी.एन.ए. प्रोफाईल एवं मृतकगण की माताओं के खून से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल एक सामान है।

7. मृतक सुरेश हियाल से जप्त जींस(**Jean Pants**)पैंट प्रदर्श '**AD**' में ''**B**" समूह का रक्त और साथ ही "**AB**" समूह का मानव रक्त तथा मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त जींस पैंट प्रदर्श '**AA**'एवं मृतक आलोक सिंह ठाकुर से ही जप्त अंडरवियर प्रदर्श '**AB**' में भी "**AB**" समूह का रक्त होना पाया गया है। मृतक सुरेश हियाल के कपड़ो में दो समूह के रक्त पाए गए है । साथ ही आरोपी गौतम दीवान से जप्त शर्ट प्रदर्श **O** एवं फुलपैंट प्रदर्श **P** में "**B**" समूह का रक्त होना पाया गया है, जिसके संबंध में प्रबल संभावना यह है कि मृतक आलोक सिंह ठाकुर को जिस चाकू से वार किया गया था उसका उपयोग मृतक सुरेश हियाल को चोटग्रस्त करने में किया गया, चाकू के माध्यम से आलोक सिंह ठाकुर का रक्त

सुरेश हियाल के कपड़ों में पहुंचा हो , साथ ही संभावना यह भी है कि आरोपी गौतम दीवान के शारीरिक भाग या पहने कपड़ों के माध्यम से मृतक आलोक सिंह ठाकुर का खून, मृतक सुरेश हियाल के कपड़ों में आया हो।

8. मोटर सायकल जो कि साक्षी मनहरण जो कि आरोपी कुलेश्वर नेताम का भाई है, की मोटर सायकल को आरोपी कुलेश्वर नेताम मांगकर ले गया था जिसे घटना के पश्चात कुलेश्वर नेताम के बतायेनुसार जप्त की गयी है।

9. अभियोजन के तथ्य अनुसार घटना दिनांक को प्रातः शराब खरीदने के लिए भूषण साहू को आरोपी गोपी दीवान और उसके जीजा ने रकम दिया था, किन्तु भूषण साहू ने न रकम वापस किया और न ही शराब दिया, इसे ही मारपीट करने के लिए आरोपीगण तलाश कर रहे थे।

81. विवेचनाधिकारी निरीक्षक चंद्रकांत साहू (अ.सा.27) ने अपने विस्तृत न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 11/08/2025 को थाना अर्जुनी में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापना के दौरान पुलिस कंट्रोल रूप से सूचना मिलने पर ग्राम भोयना नगरी रोड स्थित अन्नपूर्णा ढाबा पहुंया जहां सूचक राहुल कुमार साहू की मौखिक

रिपोर्ट के आधार पर उसने मृतकगण आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल एवं नितिन तांडी को आठ लड़कों के द्वारा मिलकर चाकू से मारने के संबंध में देहाती मर्ग इंटीमेशन **प्र.पी.1, 2, 3** दर्ज किया था। मृतकगण के शव पंचनामा के संबंध में नोटिस जारी कर नक्शा पंचनामा **प्र.पी.9, 10, 11** पंचों के समक्ष तैयार किया और पंचों की राय के आधार पर मृतकगण के शव को परीक्षण हेतु जिला अस्पताल धमतरी भेजा गया। शव परीक्षण फार्म **प्रदर्श पी 83, 84, 85** के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मर्ग जांच के दौरान दिनांक 12.08.2025 के सुबह 5 बजे घटनास्थल पर गवाहों के समक्ष मृतक नितिन तांडी के शव के पास से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी जप्ती पत्र **प्रदर्श पी 34** के अनुसार जप्त किया था। इसी प्रकार दिनांक 12.08.2025 को ही गवाहों के समक्ष मृतक आलोक सिंह एवं सुरेश हियाल के शव के पास से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी जप्ती पत्र क्रमशः **प्रदर्श पी 35 एवं 36** के अनुसार जप्त किया था। घटनास्थल से गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग का मारुति सुजूकी स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 13 बीबी 1062 जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 37** के अनुसार जप्त किया था। दिनांक 12/08/2025 को ही राहुल कुमार साहू के पेश करने पर एक पुरानी इस्तेमाली हीरो होण्डा स्प्लेन्डर मोटरसायकल क्रमांक सीजी 05 एन 2264 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 12 के

अनुसार जप्त किया था। दिनांक 12.08.2025 को ही घटनास्थल अन्नपूर्णा ढाबा के पास से गवाहों के समक्ष प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सी जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 38** के अनुसार जप्त किया था। मर्ग जांच के पश्चात प्रार्थी राहुल साहू के बताये अनुसार 0/25 धारा 103(1), 190, 191(1)(3) बी.एन.एस. के तहत देहाती नालिसी प्रदर्श पी 04 दर्ज किया था। मर्ग जांच पश्चात दिनांक 12.08.2025 थाना पहुंचकर नंबरी मर्ग क्रमांक 70/25, 71/25, 72/25 दर्ज किया था जो क्रमशः **प्रदर्श पी 87, प्रदर्श पी 88 एवं प्रदर्श पी 89** है। उसके बाद बिना नंबरी नालिशी के आधार पर नंबरी अपराध क्रमांक 117/25 **प्र.पी.90** के रूप में दर्ज किया था। विवेचनाधिकारी का आगे यह भी कथन है कि गवाहों के बताये नुसार घटनास्थल का नजरीनक्शा **प्र.पी.5** तैयार किया था। उसने घटनास्थल का गूगल मैप के माध्यम से नजरीनक्शा तैयार किया था जो **प्र.पी.91** है। हल्का पटवारी से नक्शा तैयार करवाये जाने बाबत **प्र.पी.92** का पत्र तहसीलदार धमतरी को प्रेषित किया था। घटनास्थल पर उपस्थिति होने वैज्ञानिक अधिकारी सीन ऑफ क्राइम यूनिट धमतरी को **प्रदर्श पी 72** का पत्र प्रेषित किया था। दिनांक 12/08/2025 को आरोपी गोपी दीवान का मेमोरेंडम कथन दर्ज कर मेमोरेंडम कथन के आधार पर गवाहें के समक्ष लोहे के जैसे धातू से बना हुआ चाकू एवं

पुरानी इस्तेमाली स्लेटी रंग का मोटरसायकल क्रमांक सीजी 05 एल––––5 लिखा है,जप्त किया था। आरोपी गोपी दीवान के पेश करने पर गवाहों के समक्ष एक फुल बांह वाला सफेद नीला लाइनिंग वाला शर्ट, एक काले रंग का ट्राउजर 30 नंबर साइज का जिसमें बांए जांघ भाग में खून जैसे दाग धब्बे लगा हुआ है, को जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 19** के अनुसार जप्त किया था। मेमोंरेंडम कथन **प्र.पी.16 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 17, 18 एवं 19** के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

82. **विवेचनाधिकारी निरीक्षक चंद्रकांत साहू (अ.सा.27)** का आगे यह भी कथन है कि आरोपी गोपी दीवान के पेश करने पर गवाह बबलू बाघ व मिमांशु यादव के समक्ष दिनांक 12.08.2025 के 14.30 बजे एक नग आईटेल कंपनी का एण्ड्राइड मोबाइल मॉडल ए 25 नीला रंग का मोबाइल फोन जिसमें जियो कंपनी का सिम लगा हुआ, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 20** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा द से द भाग पर आरोपी गोपी दीवान के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.08.2025 के 13.00 बजे ग्राम भोयना में आरोपी कुलेश्वर नेताम के मेमोरंडम कथन दर्ज कर गवाहों के समक्ष मोटरसायकल एवं घटना के समय पहने हुए उसके कपड़ों को जप्त किया था। इसी प्रकार आरोपी कुलेश्वर नेताम के पेश करने पर गवाहों के समक्ष धारदार

बटंची स्पिंगदार चाकू जिसमें कीचड लगा हुआ था, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 22** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी कुलेश्वर नेताम के पेश करने पर एक पुरानी इस्तेमाली हीरो होण्डा स्प्लेंडर क्रमांक सीजी 07 एएफ 2047, को जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 25** है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी आरोपी कुलेश्वर नेताम के पेश करने पर गवाहों के समक्ष एक नग टी शर्ट हाफ बांह वाला कत्था रंग का जिसके सामने भाग में खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था एवं एक जींस पैन्ट काला रंग का 30 नंबर साईज का जिसके आगे पीछे मिट्टी लगा हुआ था, को जप्त किया था। विवेचनाधिकारी ने आगे यह कथन किया है कि आरोपी गोपी दीवान गवाहों के समक्ष एक नग एण्ड्राइड मोबाइल विवो कंपनी का नीला रंग का मोबाइल फोन जिसमें जियो कंपनी का सिम लगा हुआ था, को जप्त किया था। दिनांक 12.08.2025 के 14.00 बजे ग्राम भोयना में आरोपी रणवीर साहू का मेमोरंडम बयान के आधार पर गवाहों के समक्ष धारदार नुकीला बम्बू, घटना के समय पहुने हुए कपडे एक नग शर्ट फुल बांह वाला सफेद रंग का जिसके जगह–जगह खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था, एक नग हाफ बनियान सफेद रंग का जिसके सामने भाग में खून जैसा दाग लगा हुआ, एक नग एण्ड्राइड मोबाइल ओप्पो कंपनी का सफेद रंग

का मोबाइल फोन जिसमें जियो कंपनी का सिम लगा हुआ था, को जप्त किया था। आरोपी कमलेश ध्रुव के मेमोरंडम बयान के आधार पर गवाहों के समक्ष एक नग शर्ट फुल बांह वाला सफेद रंग का चेकदार जिसके सामने नीचे दाहिने भाग पर खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था, एक नग लोवर गाढा हरा रंग का, को जप्त किया था। दिनांक 12.08.2025 के 15.35 बजे ग्राम भोयना में आरोपी गौतम दीवान के मेमोरंडम बयान के आधार पर एक नग शर्ट फुल बांह वाला काला सफेद रंग का छिंटदार जिसके दाहिने कंधा एवं बांए भुजा भाग पर खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था, एक नग जीन्स फुल पैन्ट नीले रंग का, को जप्त किया था। उपरोक्त आरोपीगण के अलावा उसने विधि से संघर्षरत तीन बालकों का मेमोरंडम कथन लिया था तथा उन विधि संघर्षरत बालकों के द्वारा पेश करने पर घटना से संबंधित वस्तुओं को जप्त किया था। विवेचनाधिकारी ने ने आगे कथन किया है कि मृतकगण के शव परीक्षण उपरांत चिकित्सक द्वारा मृतकगण के पहने हुए कपड़े उसने आरक्षक प्रशांत पांडे के पेश करने पर जप्त किया था। विवेचनाधिकारी ने ने आगे कथन किया है कि दिनांक 13.08.2025 के 16.10 बजे अन्नपूर्णा ढाबा के संचालक दुष्यंत घोरपडे को ढाबा में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज पेश करने पर नोटिस दिया था, नोटिस **प्रदर्श पी 56** है और दुष्यंत घोरपडे के पेश करने पर

अन्नपूर्णा ढाबा में लगा सीसीटीवी कैमरे का एक नग सी.पी. प्लस कंपनी का डी.वी.आर. को गवाहों के समक्ष जप्त किया था। इसी प्रकार गवाह मिमांशु यादव के द्वारा अपने मोबाईल से बनाए गए वीडियो क्लिप को पेश करने पर जप्त किया था। इसी अनुक्रम में उसने सखाराम जानकी फ्यूल्स के संचालक के पेश करने पर सी.सी.टीवी. फुटेज एवं कुंजाम प्रिंटर्स एवं मोबाइल दुकान के संचालक दानेश्वर प्रसाद नागवंशी के पेश करने पर सी.सी.टी.वी. फुटेज पेनड्राइव के माध्यम से जप्त किया था। विवेचना के दौरान उसने दिनांक 01.09.2025 के 11.30 बजे शासकीय जिला अस्पताल धमतरी के डॉक्टर आदित्य सिन्हा के पेश करने पर मृतकों के परिजन उसकी माताओं के सीलबंद तीन पैकेट ब्लड नमूना को गवाहों के समक्ष जप्त किया था। प्रकरण में जप्त चाकू आरोपीगण से जप्त कपड़े परीक्षण हेतु भेजा था। आरोपीगण की संलिप्तता पाये जाने पर उन्हें गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देकर गिरफ्तार कर सूचना परिजनों को दिया था। प्रकरण में जप्त सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन पंचनामा **प्र.पी.47, 61 एवं 64** तैयार किया था। प्रकरण में संकलित ई–साक्ष्य के संबंध में उसने धारा 64(4)(c) भा.सा.अधि. के तहत प्रमाण पत्र **प्र.पी.103, 104, 105** पेश किया है। मृतकगण की मातागण से रक्त नमूना लेने के लिए उसने जिला अस्पताल धमतरी को पत्र लिखा था।

मृतकगण के मातागण की सहमति उपरांत रक्त नमूना लिया गया। दिनांक 22/08/2025 को आरोपीगण के पहचान कार्यवाही के संबंध न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी के समक्ष अनुमति बाबत आवेदन पेश किया गया। तहसीलदार धमतरी के द्वारा आरोपीगण की पहचान कार्यवाही संपादित की गयी। प्रकरण में आरोपीगण का कॉल डिटेल निकलाकर संलग्न किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों की चैन ऑफ कस्टडी के संबंध में **प्र.पी.125** तैयार किया गया। प्रकरण में नोटिस देकर गवाहों को आहूत कर उनके कथन दर्ज किये गये। मृतकगण के मातओं से लिये रक्त नमूने के डी.एन.ए. जांच कराये जाने, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन डी.एन.ए. प्रोफाईल प्रतिवेदन क्रमशः **प्र.पी. 153, 154** प्राप्त हुए जिसे प्रकरण में पेश किया गया।

83. विवेचनाधिकारी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है जिससे उसके द्वारा की गयी विवेचना कार्यवाही को दूषित या संदेहास्पद कहा जा सके। इस प्रकार उक्त साक्षी निरीक्षक **चन्द्रकांत साहू (अ.सा.27)** का साक्ष्य प्रकरण में आरोपीगण के द्वारा प्रकरण में प्रश्नगत घटना कारित किये जाने के संबंध में व अन्य संपूर्ण कार्यवाही, जो कि उक्त विवेचनाधिकारी के द्वारा की गई है, के संदर्भ में सुसंगत होकर

अभियोजन के तथ्यों का पूर्णतः समर्थनकारी है। प्रकरण में उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में दर्शित है कि आरोपीगण ने ही एक साथ मिलकर मृतक नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर एवं सुरेश हियाल की मृत्यु कारित किया।

<u>बचाव पक्ष की ओर से किये गये आपत्तियों / तर्कों का निराकरण</u>

84. बचाव पक्ष द्वारा किये गये कुछ आपत्ति एवं तर्कों का निराकरण उपर निर्णय लेखन में हुआ है। शेष आपत्ति एवं तर्कों का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है–

- **प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण ने मुख्य रूप से आरोपी गोपी दीवान के संबंध में ही कथन किया है, प्रकरण में विधि के विरूद्ध संघर्षरत किशोरों को भी घटना में शामिल होना बताया गया है, परंतु उनके संबंध में किसी ने कथन नहीं किया है–** अभिलेख का अवलोकन करने पर दर्शित है कि प्रकरण में केवल आरोपी गोपी दीवान के संबंध में साक्षीगण ने कथन नहीं किया है, बल्कि सभी आरोपीगण के संबंध में साक्षीगण ने कथन किया है। प्रकरण में यह अवश्य है कि कई साक्षीगण ने आरोपी गोपी दीवान के संबंध में और उसकी पहचान के संबंध में घटना के समय

उसकी भूमिका के संबंध में ज्यादा कथन किया है। साक्षी **राहुल साहू (अ.सा.1), मिमांशु यादव (अ.सा.2), बबलू बाघ (अ.सा.3), राजा नामदेव (अ.सा.5), चन्द्रप्रकाश बचेकर(अ.सा.6), दुष्यंत घोरपड़े (अ.सा.8), ईश्वर प्रसाद (अ.सा.10), मनहरण नेताम (अ.सा.12), सिद्धू बाघ (अ.सा.28)** सभी ने गोपी दीवान के अलावा अन्य आरोपीगण के संबंध में कथन किया है। जहां तक विधि के विरूद्ध संघर्षरत किशोरों के संबंध में कथन न करने का प्रश्न है तो जिन साक्षीगण ने शेष आरोपीगण कहा है, उन्होंने अपने कथन में विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालकों को भी समाहित कर लिया है। **चन्द्रप्रकाश बचेकर (अ.सा.6) एवं सिद्धार्थ नामदेव (अ.सा.7)** ने घटना में सात–आठ लड़के शामिल होने का कथन किया है, उनमें वर्तमान प्रकरण में विचारित पांच आरोपीगण के अलावा शेष विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालकों से ही तात्पर्यित है। घटना के तुरंत पश्चात शीघ्र देहाती मर्ग इंटीमेशन सूचनाकर्ता राहुल कुमार साहू द्वारा दर्ज करायी गयी है उसमें भी घटना आठ लोगों के द्वारा कारित किये जाने का उल्लेख है, तब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रकरण में

किशोरों के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त तर्क का लाभ बचाव पक्ष को मिलना दर्शित नहीं है।

- **प्रकरण अचानक आवेशजनित झगड़ा/विवाद के कारण हुआ है, प्रकरण में आहतगण, मृतकगण एवं आरोपीगण आपस में पूर्व परिचित नहीं थे, उनके मध्य कोई पूर्व विवाद या रंजिश नहीं था, प्रकरण में हेतुक का अभाव है–**प्रकरण किसी गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का परिणाम थी, ऐसा दर्शित नहीं है। प्रकरण में आहतगण एवं मृतकगण के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाना दर्शित नहीं है जो कि अचानक ही आरोपीगण को आवेशित एवं आक्रोशित कर दें। घटनास्थल पर जिस तरह घातक साधनों से मृतकगण के उपर वार किया गया, उन्हें दौड़ाकर, घेरकर, पकड़कर घटना को अंजमा दिया गया। प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता कि घटना अचानक आवेशजनित झगड़े का परिणाम था। आरोपीगण पहले से ही धारदार साधनों से लैस थे, ऐसी स्थिति में भी यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपीगण ने आवेशजनित अचनाक विवाद के कारण घटना कारित किया है। प्रकरण में आहतगण/मृतकगण एवं आरोपीगण पूर्व परिचित नहीं थे, उनके मध्य कोई पूर्व रंजिश भी नहीं था, यही प्रकरण में गंभीर

एवं सोचनीय पहलू है कि बिना कोई पूर्व रंजिश, पूर्व विवाद, पूर्व परिचय के आरोपीगण जिस प्रकार मारपीट कर नृशंसतापूर्वक घटना कारित किया है, वह घटना की गंभीरता को बढ़ाता है, न कि यह आरोपीगण के पक्ष में कोई तथ्य प्रकट करता है और न ही उनके पक्ष में कोई बचाव की स्थिति को सृजित करता है।

प्रकरण में जहां तक हेतुक के अभाव का प्रश्न है तो न्यायदृष्टांत–**''निरंजन पंजा वि0 स्टेट ऑफ बंगाल'' 2010 (6) एस सी सी 525** का पैरा 10 एवं **''प्रदीप कुमार सिंह एवं अन्य वि0 स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश'' 2009 क्रि. लॉ जर्नल 770** का पैरा 21, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की स्थिति में ''हेतुक'' महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सही है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की स्थिति में ''हेतुक'' महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत **''नाथुनी यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार'' (1978) 9 एस सी सी 238** अवलोकनीय है, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने **''हेतुक''** के संबंध में निम्नानुसार अवलोकित किया है:–

Motive for doing a criminal act is generally a difficult area for prosecution. One cannot normally see into the mind of another. Motive is the emotion which impells a man to do a particular act. Such impelling cause need not necessarily he proportionally grave to do grave crimes. Many a murders have been committed without any known or prominent motive. It is quite possible that the aforesaid impelling factor would remain undiscoverable. Lord Chief Justice Champbell struck a note of caution in Reg v. Palmer (Shorthand Report at page 308 SCC May 1850; thus: "But if there be any motive which can be assigned, I am bound to tell you that the adequacy of that motive is of little importance. We know, from ex-perience of criminal courts that atrocious crimes of this sort have been committed from very slight motives; not merely from malice and revenge, but to gain a small pecuniary advantage, and to drive off for a time pressing difficulties". Though, it is a sound proposition that every criminal act is done with a motive, it is unsound to suggest that no such criminal act can be presumed unless motive is proved. After all motive is a psychological phenomenon. Mere fact that prosecution failed to translate that mental disposition of the accused into evidence does not mean that no

such mental Condition existed in She mind of the assailant.

अभियोजन यह प्रकरण केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही प्रमाणित नहीं किया है, बल्कि प्रकरण में अभियोजन के तथ्यों के संबंध में अभियोजन ने अपना मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य से भी प्रमाणित किया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 (सुसंगत धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के अनुसार–प्रत्यक्ष साक्ष्य के प्रकरण में हेतुक का अपना महत्व खो देता है और वैसे भी हेतुक आपराधिकता में एक सहायक मात्र है जो कि चोट की प्रकृति, प्रयुक्त हथियार के प्रयोग के प्रभावित शारीरिक अंग एवं अन्य समरूप परिस्थितियों से निष्कर्षित किया जा सकता है। न्यायदृष्टांत–**विपिन कुमार मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 12 SCC 91 के पैरा 24** में यह अवलोकित किया गया है –

"It is settled legal proposition that even if the absence of motive as alleged is accepted that is of no consequence and pales into insignificance when direct evidence establishes the crime. Therefore, in case there is direct trustworthy evidence of witnesses as to commission of an offence, the motive part loses its

significance. Therefore, if the genesis of the motive of the occurrence is not proved, the ocular testimony of the witnesses as to the occurrence could not be discarded only by the reason of the absence of motive, if otherwise the evidence is worthy of reliance."

अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य के आधार पर ही नहीं, बल्कि प्रथमतः तो प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है, अतः हेतुक के अभाव संबंधी तर्क का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं मिलना दर्शित है।

- **प्रकरण में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को विधि अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 (4)(c) के तहत प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है–** इलेक्ट्रानिक साक्ष्य/इलेक्ट्रानिक दस्तावेज के सही होने, उसमें संधारित संसूचना के सही होने के संबंध में प्रमाण पत्र का प्रश्न है, तो प्रकरण में घटनास्थल अन्नपुर्णा ढाबा एवं पास के दो स्थानों पेट्रोल पंप एवं प्रिंटर्स एवं मोबाईल दुकान में लगे सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं घटना के समय एक साक्षी द्वारा तैयार किये गये वीडियो/ऑडियो विज्यूवल दृश्य को पेनड्राइव के माध्यम से प्रकरण में पेश किया गया है। इस संबंध में साक्ष्य पर विचार करें तो **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** ने अन्नपूर्णा ढाबा के संचालक

दुष्यंत घोरपड़े के द्वारा **प्र.पी.56** में प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी प्रकार घटनास्थल के पास प्रिंटर्स एवं मोबाईल दुकान के संचालक/आधिपत्यधारी के द्वारा **प्र.पी.63** के पृष्ठ भाग में प्रमाण पत्र लिखकर दिया गया है। घटनास्थल के पास ही पेट्रोल पंप संचालक गिरधर साहू के द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी.59** के पृष्ठ भाग में अंकित है। प्रकरण में **प्रदर्श पी 56, 63 एवं 59** में संबंधित इलेक्ट्रानिक डिवाइस के आधिपत्यधारी द्वारा उल्लेखित किया गया है कि वे फुटेज किसी भी प्रशिक्षित/प्रशिक्षणरत व्यक्ति से लिये जाने की अनुमति लेते हैं। प्रकरण में **भुनेश्वर साहू (अ.सा.24)** प्रधान आरक्षक है और उसने पी.जी.डी.सी.ए. का कोर्स किया है जिसके संबंध में उसने प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी.79** पेश किया है, के द्वारा अन्नपूर्णा ढाबा, सखाराम जानकी, कुंजाम प्रिंटर्स एवं कंप्यूटर्स के सी.सी.टी.वी. कैमरा से बैकअप लेकर बिना काट–छाट के संरक्षित किये जाने के संबंध में धारा 63(4)(c) के तहत प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी. 76ए, 77ए, 78ए** दिया गया है। इस साक्षी के द्वारा प्रकरण में साक्षी **मिमांशु यादव (अ.सा.2)** के द्वारा मोबाईल से लिये गये वीडियो को भी पेनड्राइव में लेने के संबंध में

धारा 63(4)(c) के तहत प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी 80 ए** दिया गया है। इसी प्रकार घटनास्थल का फोटोग्राफ्स के संबंध में वैज्ञानिक अधिकारी **अमित कुमार पटेल (अ.सा.20)** के द्वारा फोटो सही होने के संबंध में दिया गया प्रमाण **प्रदर्श पी.70 ए** है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र किसी निर्धारित प्रारूप में नहीं है, किन्तु उपरोक्त प्रमाण पत्रों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023 की धारा 63(4) (c) के प्रावधान के अपेक्षा अनुरूप कंप्यूटर डिवाइस के सही होने, उनमें संधारित संसूचना सही होने एवं उसे उसी रूप में संकलित /प्रिंट किये जाने, संधारित किये जाने संबंधी तथ्यों का उल्लेख है। इस प्रकार पूर्ण रूप से धारा 63(4)(c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधान का पालन हुआ है। **विवेचनाधिकारी निरीक्षक चंद्रकांत साहू (अ.सा.27)** ने भी ई–साक्ष्य एक से फोटो एवं वीडियो तैयार कर पेनड्राइव में संरक्षित उसी रूप में पेश करने के संबंध में प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी.103, 104, 105** पेश किया है। इस प्रकार इलेक्ट्रानिक डिजीटल साक्ष्य के रूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रकरण में पेश किया गया है। अतः उक्त प्रमाण पत्र के अभाव संबंधी बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा किये गये आपत्तियों एवं तर्कों का कोई लाभ बचाव पक्ष को मिलना दर्शित नहीं है।

85. अब यह देखना है कि क्या नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर एवं सुरेश हियाल की मृत्यु, हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानववध हैं ?

86. यदि उक्त संबंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर परिशीलन करें तो आरोपीगण के द्वारा घटनास्थल पर एक साथ मिलकर, एक साथ उपस्थिंत रहकर धारदार साधनों से मृतकगण के गर्दन, छाती, पेट आदि भागों पर वार किया गया। धारदार साधनों से वार करते समय मृतकगण को पकड़कर रखा गया। प्रारंभिक घटनास्थल अन्नपूर्णा ढाबा से कुछ दूरी तक दौड़ाकर मृतक आलोक सिंह ठाकुर को पकड़कर वार कर उसकी मृत्यु कारित की गयी। नितिन तांडी एवं सुरेश हियाल को एक से अधिक चोटें कारित कर उनकी मृत्यु कारित की गयी है। प्रकरण में प्रमाणित साक्ष्य एवं प्रकट परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि आरोपीगण प्रकरण के मृतकगण के जीवित रह पाने की कोई संभावना छोड़ना नहीं चाहते थे। अतः आरोपीगण के द्वारा उपरोक्तानुसार किये गये कृत्य से उनकी हत्या का आशय स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। उसी प्रकार आरोपीगण का कृत्य ऐसे किसी अपवाद के

अंतर्गत नहीं आता है जो **धारा–101 भारतीय न्याय संहिता, 2023** के अंतर्गत उनके मामले को अपवाद के अंतर्गत लाता हो। उपरोक्त विवेचना पश्चात् निष्कर्ष है कि **आरोपीगण द्वारा कारित किया गया नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर एवं सुरेश हियाल का आपराधिक मानव–वध, हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव–वध है।**

आरोपीगण के द्वारा बलवा कारित किया जाना–धारदार साधन/ आक्रामक साधन चाकू से सज्जित होकर बलवा कारित किया जाना–

87. न्यायदृष्टांत–**गंगाधर बहेरा वि. उड़ीसा राज्य, 2003(1) C.GL.J. 27 (SC) 1** में यह प्रतिपादित किया गया है कि– **''धारा 149– विधिविरुद्ध जमाव आरोपी की भाषा और उनके कृत्य से विनिश्चित किया जा सकता है, किसी भी समय निर्मित हो सकता है, स्वरूप परिवर्तित हो सकता है और अभिव्यक्त हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि एक बार विधिविरुद्ध जमाव स्थापित हो जाये, तो वह निरंतर उसी रूप में बना रहे। कोई जमाव जो कि पूर्व में किसी विधिक प्रयोजन के लिए बना था, वह किसी भी समय अथवा पश्चात्वर्ती क्षणों में विधिविरुद्ध हो सकता है।''** इसी प्रकार न्यायदृष्टांत–**चंदा एवं अन्य वि. उ.प्र. राज्य, (2004) (2) C.GL.J. 147 (SC) 1** में यह प्रतिपादित किया गया है कि– **''धारा 149– विधिविरुद्ध जमाव का संबंध किसी अपराध कारित**

घटनाक्रम से होना अपेक्षित है और यदि उससे संबंधित न भी हो, तो उस स्थिति में प्रत्येक विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य को इस बात का ज्ञान होना अपेक्षित है कि कोई आपराधिक कार्य किया जाना संभावित है।'' इसी प्रकार न्यायदृष्टांत–**बिशना उर्फ विश्वदेव मेहतो एवं अन्य वि. पं. बंगाल राज्य, A.I.R. 2006 SC 3021** में यह प्रतिपादित किया गया है कि– ''**धारा 149– विधिविरुद्ध जमाव जमाव के सदस्यों में सामान्य उद्देश्य के लिये मानसिक मिलन आवश्यक नहीं है, यदि वे उक्त आपराधिक कृत्य के लिये अग्रसर हुए और अपराध में भाग लिया, तो यह माना गया कि उक्त प्रावधान के अधीन आपराधिक कृत्य किया गया।''** इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **सुखा सिंह एवं एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य AIR 1956 SC 513** में यह प्रतिपादित किया गया है कि–'' **एक विधि विरूद्ध उद्देश्य तुरंत विकसित हो सकता है– यह पर्याप्त है कि प्रत्येक का एक ही उद्देश्य है तथा उनकी संख्या पांच या उससे अधिक है तथा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे एक समूह की तरह कार्य करते हैं।''**

88. प्रकरण धारा 189(1) BNSS,2023 के अपेक्षा अनुरूप आरोपीगण की संख्या पांच या उससे अधिक (प्रकरण में विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक भी सम्मिलित रहे हैं) है। प्रकरण में सभी आरोपीगण सामान्य प्रज्ञावान हैं, घटना के प्रारंभ से अंत तक सभी ने घटना कारित

किये जाने में सक्रिय सहभागिता निभाया है, प्रकरण में प्रकट परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि सभी आरोपीगण प्रारंभ से ही इस बात का ज्ञान रखते थे कि उनके समूह के द्वारा आपराधिक कार्य किया जाना संभावित है तथा सभी आरोपीगण इस बात से भी पूर्णतः भिज्ञ थे कि उनके द्वारा किये जा रहे आपराधिक कृत्य का परिणाम क्या होगा। प्रकरण में उपर किये गये साक्ष्य विवेचना के आलोक में यह दर्शित है कि आरोपीगण ने न केवल बल या हिंया का प्रयोग किया, बल्कि मानव शरीर के प्रति किये जाने वाले अपराध में बल या हिंसा के स्वरूप की अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस प्रकार प्रकरण में अरोपीगण के द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए बलवा कारित किया जाना प्रमाणित है।

89. प्रकरण में जहां तक धारदार साधन/आक्रामक साधन का प्रयोग किये जाने का प्रश्न है तो आरोपीगण ने न केवल ऐसे साधन जिनका आक्रामक आयुध का प्रयोग किया जाये तो मृत्यु कारित होना संभव है, बल्कि वास्तव में ऐसे साधन का प्रयोग कर प्रकरण में तीन व्यक्तियों की मृत्यु कारित किया है। यद्यपि प्रकरण में धारदार नुकीले साधन आरोपीगण गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम एवं रणवीर साहू से ही जप्त किये जाने का तथ्य प्रमाणित हुआ है, परंतु चूंकि प्रकरण में संपूर्ण घटना विधि

विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए कारित किया जाना प्रकट हुआ है, तब ऐसी स्थिति में घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा किये जाने के संबंध में तीन धारदार साधनों का अवैध आधिपत्य का विस्तारण शेष आरोपीगण (जिनके आत्यंतिक आधिपत्य से धारदार साधन जप्त किया जाना दर्शित नहीं है) के आधिपत्य की सीमा तक भी होगा। शेष आरोपीगण द्वारा घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया जाना प्रमाणित माना जायेगा, क्योंकि जिस समय धारदार साधनों के धारणकर्ता आरोपीगण मृतकगण के उपर धारदार साधन से वार कर रहे थे तो इसी समय शेष आरोपीगण उन्हें पकड़कर रखे थे, हाथ–मुक्के से मारपीट कर रहे थे, यह साक्ष्य से प्रकट हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में घटना के समय शेष आरोपीगण जिनके पास धारदार साधन नहीं भी था, वे घटना प्रारंभ होने पर घटनास्थल छोड़कर चले नहीं गये थे, बल्कि शुरू से अंत तक प्रश्नगत घटना कारित करने में दुराशय पूर्वक और सक्रिय रूप से बने रहे थे। इस प्रकार प्रकरण में आरोपीगण द्वारा धारादार साधन, घातक आक्रामक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित किये जाने का तथ्य भी प्रमाणित है। इसके आगे घटना यहां तक भी जाती है कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आरोपीगण ने मृतकगण की हत्या भी कारित कर दिया।

सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए आहतगण राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया जाना–

90. प्रकरण में आहतगण राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को मारपीट किये जाने के संबंध में स्पष्टतः कथन राहुल कुमार साहू (अ.सा.1) ने किया है। मिमांशु यादव (अ.सा.2) ने भी कथन किया है कि आहतगण के आने पर आरोपीगण उनके साथ धर–पकड़कर मारपीट चालू कर दिया। प्रकरण में आहत मनहरण यादव उर्फ सोनू का परीक्षण नहीं कराया गया है, परंतु प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपीगण ने उपरोक्त आहतगण के साथ मारपीट किया था। यह प्रकरण में प्रस्तुत घटनास्थल के सी.सी.टी.वी. फुटेज आर्टिकल ए–2 से भी स्पष्ट हो रहा है। आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 (सुसंगत धारा 139 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023)के प्रावधान अनुसार– किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **वादी वेलू थेवर बनाम मद्रास राज्य, 1957 AIR 614** में प्रतिपादित सिद्धांत भी अवलोकनीय है। प्रकरण में

चिकित्सक साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है, किन्तु आहतगण के साथ आरोपीगण जो कि संख्या में पांच से भी अधिक थे, ने आहतगण के साथ हाथ–मुक्के से मारपीट किया। यह स्वाभाविक है कि उन्हें शारीरिक पीड़ा होगी और शारीरिक पीड़ा कारित किया जाना धारा 114 भारतीय न्याय संहिता, 2023 में उपहति है जो कि इसी संहिता की धारा 115 के तहत दंडनीय अपराध है। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए आहतगण को स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने का तथ्य भी प्रमाणित है।

91. प्रकरण में उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य विवेचना में यह प्रकट है कि घटना दिनांक 11/08/2025 की रात्रि लगभग 11:20 बजे की है। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंचकर यथाशीघ्र संबंधित पुलिस थाना के द्वारा देहाती मर्ग सूचना उपरांत देहाती नालिशी दर्ज किया जाना दर्शित है। वैज्ञानिक अधिकारी, प्रभारी सीन ऑफ क्राईम **अमित पटेल (अ.सा.20)** के साक्ष्य अनुसार घटना की सूचना रात्रि 12:40 बजे मिलने पर उसके द्वारा घटनास्थल पर उक्त दिनांक को ही रात्रि 1:40 बजे पहुचकर प्रातः 6:00 बजे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल का फोटोग्राफ्स आर्टिकल–1 से 12 तक खींचकर विवेचनाधिकारी को प्रदाय किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण

परांतु खून आलूदा एवं सादी मिट्टी को परीक्षण हेतु भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया। घटनास्थल अन्नपूर्णा ढाबा एवं पास के पेट्रोल पंप, प्रिंटर एवं कम्प्युटर दुकान में लगे सी.सी.टी.वी. से फुटेज संकलित कर प्रकरण में पेश किया गया है। सी.सी.टी.वी. फुटेज में आरोपीगण तथा गवाह जो कि घटनास्थल पर उपस्थित थे ,दिखायी दे रहे हैं। आरोपीगण के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त साधनों को जप्त किया गया है। घटनास्थल पर पहुंचने के लिए आरोपीगण द्वारा प्रयुक्त वाहनों, मोटर सायकलों को जप्त किया गया है। जिन साधनों से आहतगण एवं मृतकगण घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन साधनों/वाहनों की भी जप्ती की गई है। आरोपीगण की पहचान कार्यवाही कार्य पालक मजिस्ट्रेट से करवायी गयी है। आरोपीगण, मृतकगण के कपड़ों को पृथक–पृथक जप्त कर रासायनिक परीक्षण करवाया जाकर आरोपीगण तथा मृतकगण के कपड़ों में लगे खून के धब्बों के संबंध में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट संलग्न की गयी है। आरोपीगण से जप्त घटना में प्रयुक्त साधन में मृतकगण के रक्त की संभावनाओं को पुष्ट करने के लिए मृतकगण के जैविक माताओं से रक्त सैंपल लेकर घटना में प्रयुक्त धारदार साधन एवं मृतकगण के जैविक माताओं के डी.एन.ए. प्रोफाईल का तुलनात्मक अध्ययन संबंधी रिपोर्ट प्रकरण में पेश किया गया है। इस तरह आरोपीगण

के द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य को प्रमाणित करने के लिए यथाशीघ्र घटनास्थल पर जाकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में इलेक्ट्रानिक श्रव्य–दृश्य माध्यम (Audio–Video electronic means) का प्रयोग करते हुए की गई कार्यवाही के संबंध में वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर पेश किया गया है और घटना के संबंध में कार्यवाही किये जाने के संबंध में Real Time एवं Location(स्थान) Hash value को प्रमाणित करने के लिए **आर्टिकल A–15** पेश किया गया है जिसमें विवेचनाधिकारी घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल पर ही कार्यवाही करते, साक्ष्य एकत्रित करते तथा घटनास्थल पर ही कार्यवाही करने के संबंध में दस्तावेज तैयार करते स्पष्ट दिखायी दे रहे हैं। google map इस प्रकार अभियोजन द्वारा विवेचना में विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए उपलब्ध वैज्ञानिक, इलेक्ट्रानिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, scientific approach अपनाते हुए विवेचना कार्यवाही संपादित करते हुए , उसी अनुरूप न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपीगण के आपराधिक कृत्य को प्रमाणित किया है।

92. प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तावित एवं प्रमाणित परिस्थितिजन्य साक्ष्य–आरोपीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति, आरोपीगण से धारदार– नुकीले साधनों की जप्ती और ऐसे ही साधनों से

मृतकगण को आयी चोटें कारित होना, प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताये अनुसार ही मृतकगण के शरीर पर चोटें और जप्तशुदा साधनों के अनुरूप साधनों से चोटें आना चिकित्सक साक्षी ने पाया है। आरोपीगण के कपड़ों में खून के धब्बे पाया जाना, आरोपीगण एवं मृतकगण के शरीर में/कपड़ों में एक ही समूह के रक्त होना पाया गया है जिसका स्पष्टीकरण आरोपीगण ने नहीं दिया है, आरोपी गोपी दीवान से जप्त चाकू का डी.एन.ए. प्रोफाईल एवं मृतकगण की माताओं के खून से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल एक समान होना, मृतक सुरेश हियाल से जप्त जींस (Jean) पैंट प्रदर्श AD में ''B" समूह का रक्त और साथ ही "AB" समूह का मानव रक्त पाया गया , मृतक सुरेश हियाल के कपड़ों में दो समूह के रक्त पाए गए तथा मृतक आलोक सिंह ठाकुर से जप्त जींस (Jean)पैंट प्रदर्श 'AA' एवं मृतक आलोक सिंह ठाकुर से ही जप्त अंडरवियर प्रदर्श AB में भी "AB" समूह का रक्त होना पाया गया है। साथ ही आरोपी गौतम दीवान से जप्त शर्ट प्रदर्श 'O' एवं फुलपैंट प्रदर्श 'P' में "B" समूह का रक्त होना पाया गया है, जिसके संबंध में प्रबल संभावना यह है कि मृतक आलोक सिंह ठाकुर को जिस चाकू से वार किया गया था उसका उपयोग मृतक सुरेश हियाल को चोटग्रस्त करने में किया गया, साथ ही संभावना यह भी है कि आरोपी गौतम दीवान के शारीरिक भाग या पहने कपड़ों के माध्यम से

मृतक आलोक सिंह ठाकुर का खून, मृतक सुरेश हियाल के कपड़ों में आया हो, मोटर सायकल जो कि साक्षी मनहरण जो कि आरोपी कुलेश्वर नेताम का भाई है, की मोटर सायकल को आरोपी कुलेश्वर नेताम मांगकर ले गया था, जिसे घटना के पश्चात कुलेश्वर नेताम के बतायेनुसार जप्त किया जाना, घटना दिनांक को प्रातः शराब खरीदने के लिए भूषण साहू को आरोपी गोपी दीवान और उसके जीजा ने रकम दिया था, किन्तु भूषण साहू ने न रकम वापस किया और न ही शराब दिया, इसे ही (अर्थात भूषण साहू) मारपीट करने के लिए आरोपीगण तलाश कर रहे थे, आदि तथ्य एवं परिस्थितियां आरोपीगण के दोषिता (Guilt) के संगत हैं और अन्य किसी स्पष्टीकरण के योग्य नहीं है, जो परिस्थितियां प्रमाणित हुई हैं, वह सभी निश्चयात्मक प्रकृति की हैं और आरोपीगण की निर्दोषिता से पूर्णतः असंगत है। इसके अतिरिक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इस प्रकार प्रमाणित हुई हैं, कि वह ऐसे किसी भी संदेह को नहीं छोड़ती हैं, जो आरोपीगण को दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त हो। जो परिस्थितियां आरोपीगण के विरूद्ध प्रमाणित हुई हैं, वह सभी मानवीय संभावनाओं (All human probability) के तहत यही प्रमाणित करती है कि आरोपीगण ही वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने घटनास्थल पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, धारदार आक्रामक साधन चाकू से

सज्जित होकर बलवा कारित, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए आहतगण को स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए मृतकगण की हत्या कारित किया। प्रकरण में आरोपीगण गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम एवं रणवीर साहू ने धारदार साधनों को सार्वजनिक स्थान पर अपने अवैध आधिपत्य में रखा।

93. अतः उपर किये गये साक्ष्य विवेचना के प्रकाश में अभियोजन का संपूर्ण तथ्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य से भी प्रमाणित है। प्रकरण में यद्यपि आरोपीगण द्वारा लोकस्थान पर प्रार्थी एवं अन्य आहतगण को अश्लील गाली–गलौच कर उन्हें एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में आरोपी गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम एवं रणवीर साहू के द्वारा आयुध अधिनियम की धारा–4 के तहत राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के उल्लंघन में आयुध को अवैध आधिपत्य में रखा जाना तो प्रमाणित है, परंतु उक्त आरोपीगण को उक्त अधिनियम के तहत आरोपित धारा 27 के तहत दंडित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उक्त धारा में धारा–4 के प्रावधान के उल्लंघन से संबंधित कृत्य को दंडनीय उल्लेखित नहीं किया गया है। आयुधों के उपयोग के संदर्भ में सभी

आरोपीगण के लिए दंडादेश धारा 103 भा.न्या.सं. में समाहित होगा। **अतः सभी आरोपीगण को धारा 296 भारतीय न्याय संहिता तथा आरोपी गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम एवं रणवीर साहू को आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।**

94. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि सभी आरोपीगण ने दिनांक 11/08/2025 को समय लगभग 23:20 बजे स्थान ग्राम भोयना अन्नपूर्णा ढाबा के पास, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी छ.ग. में, सभी आरोपीगण एवं विधि से संघर्षरत बालकगण ने विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए धारदार साधन चाकू, जिसका आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, से सज्जित होकर बलवा कारित किया, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए हाथ–मुक्के से राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य

उद्देश्य को अग्रसर करते हुए नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर, सुरेश हियाल की हत्या कारित करने के आशय से हाथ–मुक्के व धारदार साधन चाकू से मारकर उनकी हत्या कारित किया तथा आरोपी गोपी दीवान ने धारदार चाकू जिसकी कुल लंबाई–32.5 से.मी. फल की लंबाई–20.2 से.मी., चाकू के फल का मध्य भाग 4 से.मी. चौड़ा, मूठ की लंबाई 12.5 से.मी., आरोपी कुलेश्वर नेताम ने धारदार बटनची स्प्रिंगदार चाकू जिसकी कुल लंबाई 23 से.मी. फल की लंबाई 10 से.मी., मूठ की लंबाई 14 से.मी. एवं फल की चौड़ाई 2.5 से.मी. एवं आरोपी रणवीर साहू ने स्टील जैसे धातु से बना धान–चावल निकालने का बम्बू जिसकी कुल लंबाई 26 से.मी., मूठ की लंबाई 11 से.मी., फल की लंबाई 15 से.मी. एवं मूठ की गोलाई 6 से.मी. को सार्वजनिक स्थान पर राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312–6552(2)(b)(1) दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में अपने अवैध आधिपत्य में रखा। **फलतः आरोपीगण गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम एवं रणवीर साहू को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2), 191(3), 115(2) सहपठित धारा 190(चार बार), 103 सहपठित धारा 190(तीन बार) एवं धारा 25(1–ख)(ख) आयुध अधिनियम** के तहत एवं **आरोपीगण गौतम दीवान एवं कमलेश कुमार ध्रुव** को **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2),**

191(3), 115(2) सहपठित धारा 190(चार बार), 103 सहपठित धारा 190(तीन बार) के दण्डनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

95. दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन तथा आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय अल्पकाल के लिए स्थगित किया जाता है।

सही/–

(मोहन सिंह कोर्राम)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश,
धमतरी (छ.ग.)

पुनश्चः–

96. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण व उनके अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक को सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोपीगण को पूर्व में किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया गया है, उनका प्रथम अपराध है, ग्रामीण परिवेश के कम पढ़े–लिखे एवं कम उम्र के युवक हैं, इसलिए दण्ड के बिंदु पर उदारतापूर्वक विचार किया जाये, जबकि विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है जो विरलतम का श्रेणी है, अतः आरोपीगण को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

97. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया।

98. आरोपीगण द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर व क्रूरतम् श्रेणी का है। आरोपीगण से आहतगण एवं मृतकगण पूर्व परीचित नहीं थे उसके बावजूद आरोपीगण द्वारा नृसंशतापूर्वक तीन व्यक्तियों की हत्या की गई है, शेष आहतगण से मारपीट की गई है, घटनास्थल एवं उसके आसपास आहतगण/मृतकगण को दौड़ाकर, घेरकर, पकड़कर मारपीट किया गया है। आरोपीगण, मृतकगण की हत्या कारित करने के बाद भी घटनास्थल पर बने रहे थे, लोगों को भयभीत करने का प्रयास किया था , जो आरोपीगण के पाशविक आचरण को दर्शित करता है। ऐसे व्यक्तियों को खुला छोड़ा जाना समाज के लिये खतरनाक हो सकता है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1980 SC 898** तथा न्यायदृष्टांत **माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1983 SC 957** में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार यह प्रकरण "Rarest of Rare" श्रेणी का दर्शित नहीं है। अतः आरोपीगण को निम्नानुसार दंडादिष्ट किया जाता है –

1– बलवा कारित करने के लिए प्रत्येक आरोपी को धारा 191(2) भा.न्या.सं. 2023,के अपराध हेतु 2 वर्ष (दो वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 200/–रूपये (दो सौ

रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह (एक माह) का सश्रम कारावास पृथक से भुगतायी जाये।

2– घातक/आक्रामक धारदार साधन से सज्जित होकर बलवा कारित करने के लिए प्रत्येक आरोपी को धारा 191(3) भा.न्या.सं. 2023, के अपराध हेतु 5 वर्ष (पांच वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 500/–रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 03 माह (तीन माह) का सश्रम कारावास पृथक से भुगतायी जाये।

3– सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए आहतगण राहुल कुमार साहू, मनहरण उर्फ सोनू यादव, बबलू बाघ एवं सिद्धू बाघ को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए प्रत्येक आरोपी को धारा 115(2) सहित धारा 190 (चार बार) भा.न्या.सं. के अपराध हेतु 6 माह (प्रत्येक आरोपी को चार बार, छः–छः माह (अर्थात प्रत्येक आहत के संदर्भ में छः माह) के सश्रम कारावास एवं 200–200/– रूपये (दो–दो सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में प्रत्येक आरोपी को प्रत्येक धारा के लिए 1–1 माह (एक–एक माह) का सश्रम कारावास पृथक से भुगतायी जाये।

4– सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए मृतकगण नितिन तांडी, आलोक सिंह ठाकुर एवं मृतक सुरेश हियाल की हत्या कारित करने के लिए प्रत्येक आरोपी को धारा 103 सहपठित धारा 190(तीन बार) भा. न्या. सं. 2023,के अपराध के लिए आजीवन कारावास (तीन बार) एवं 1,000–,1000/–रूपये (एक–एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में प्रत्येक आरोपी को प्रत्येक धारा के लिए 6–6 माह (छः–छः माह) का सश्रम कारावास पृथक से भुगतायी जाये।

5– आरोपीगण गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम एवं रणवीर साहू को धारदार साधन सार्वजनिक स्थान पर अवैध कब्जे में रखने के लिए धारा 25(1ख)(ख) आयुध अधिनियम, के अपराध के लिए 3–3 वर्ष (तीन–तीन वर्ष) सश्रम कारावास एवं 500–500/–रूपये (पांच–पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 3–3 माह (तीन–तीन माह) का सश्रम कारावास पृथक से भुगतायी जाये।

टीप–न्यायदृष्टांत–स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 13 **SCC** 768 के पैरा 68 का अवलंब लेते हुए यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक आरोपी की आजीवन कारावास की अवधि, प्रत्येक आरोपी के जैविक जीवन (**Biological–life**) के अंत

तक रहेगी जिसमें किसी भी प्रकार के दण्ड के लघुकरण या परिहार या अन्य किसी छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। सभी आरोपीगण को दी गई मूल कारावास की सजाएं साथ–साथ चलेंगी तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम पर दी गयी कारावास की सजाएं एक के बाद एक पृथक–पृथक भुगतायी जावे।

99. तदानुसार आरोपीगण का **सजा वारंट** तैयार किया जाकर उन्हें प्रदत्त दण्डादेश भुगताये जाने हेतु जिला जेल, धमतरी भेजा जाये।

100. आरोपीगण गिरफ्तारी दिनांक 12/08/2025 से निर्णय दिनांक 12/08/2026 तक **कुल 365–365 दिन,** न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। उक्त न्यायिक अभिरक्षा की अवधि उन्हें दी गयी सजा में धारा–**468 भा.ना.सु.सं.** के अंतर्गत मुजरा (set off) किया जाये। धारा–**468 भा.ना.सु.सं.** के तहत आरोपीगण की अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।

101. प्रकरण में जप्तशुदा **संपत्तियों** के संदर्भ में निराकरण / **व्ययन आदेश** निम्नानुसार किया जा रहा है–

भौतिक वस्तु (**M.O.**) क्र.	प्रदर्श का विवरण	निराकरण/व्ययन

आर्टिकल 1	मोबाईल डाटा पेनड्राईव	उपरोक्त संपत्तियों में प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्ष्य/वीडियो, फोटो है, अतः अभिलेख का भाग होगा
आर्टिकल 2	सी.सी.टी.वी. फुटेज पेनड्राईव	
आर्टिकल 3 से 12	फोटोग्राफ्स	
4	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक नितिन तांडी के शव के पास का खून आलूदा मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 4 से 9 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
5	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक नितिन तांडी के शव के पास का सादी मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	
6	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक आलोक सिंह ठाकुर के शव के पास का खून आलूदा मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	
7	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक आलोक सिंह ठाकुर के शव के पास का सादी मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	
8	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक सुरेश हियाल के शव के पास का खून आलूदा मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	
9	एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा में मृतक सुरेश हियाल के शव के पास का सादी मिट्टी करीब 100 ग्राम सीलबंद	
10	एक कार सफेद रंग का मारूति सुजुकी स्विप्ट डिजायर क्र. सी.जी.13/बी बी/1062	आवेदक/सुपुर्ददार स्वदेश कटियार को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, अतः अपील न होने पर उक्त सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त माना जावे।
11	हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर मोटर सायकल क्र. सी.जी.05/एन/2264	आवेदक/सुपुर्ददार राहुल साहू को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, अतः अपील न होने पर उक्त सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त माना जावे।
12	06 नग भूरा कलर का प्लास्टिक कुर्सी शिवनाथ कंपनी का	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 12 से 15 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
13	एक नग लोहे जैसे धातु का चाकू मूठ भाग काला एवं पीला रंग का एक भाग धादार नुकीला उपर भाग में छेद बना हुआ कुल लंबाई 32.5 सेमी. फल की लंबाई 20.2 सेमी., फल की चौड़ाई मध्य भाग 4 सेमी. जिसमें खून जैसा दाग लगा हुआ	
14	एक नग बटनची स्प्रींगदार चाकू जिसकी कुल लं. 23 सेमी. फल की लं. 10 सेमी., मूठ की लं. 13 सेमी., फल की चौ. 2.5 सेमी.	
15	एक नग स्टील जैसे धातु का बना बम्बू जिसकी कुल लं. 26 सेमी., मूठ की लं. 11 सेमी., फल की लं. 15 सेमी., मूठ की गोलाई 6 सेमी.	

16	एक नग बजाज डिस्कवर मोटरसायकल जिसका चेचिस नं. **MP**20**SPAZZUPD**01366	क्र. 16, 17 की संपत्ति, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश किये जाने पर विधि अनुसार प्रदाय किया जाये।
17	हीरो होण्डा स्प्लेण्डर मोटर सायकल क्र. सी.जी.07/एफ/2047	
18	एक नग शर्ट फूल बांह वाला सफेद नीला लायनिंग वाला **WIEW GORDEN** कंपनी का "**L**" साईज का जिसमें जगह-जगह खून जैसे दाग धब्बे लगा हुआ आरोपी गोपी दीवान का	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 18, 19 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
19	एक नग टाउजर काला रंग का 30 नंबर साईज का जिसके बांये जांघ भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी गोपी दीवान का।	
20	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल जिसमें जियो कंपनी का सिम नं. 9691556146 लगा हुआ	आरोपी गोपी दीवान से जप्त किया गया है, जिसे अभिलेख के साथ संलग्न रखा जाये।
21	एक नग टी-शर्ट कत्था रंग का हाफ बांह वाला **OK FASHION** कंपनी का "**M**" साईज का जिसके सामने बांये भाग में खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी कुलेश्वर नेताम का।	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 21 से 22 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
22	एक नग जीन्स फूलपेंट काला रंग का 30 नंबर का जिसके बांये जांघ के पास 2**Y is Right** जिसके घुटना के पास दोनों भाग में फटा हुआ जिसके आगे पीदे मिट्टी लगा हुआ आरोपी कुलेश्वर नेताम का।	
23	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल वीवो कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का सिम मोबाईल नं. 9244392033 लगा हुआ।	आरोपी कुलेश्वर नेताम से जप्त किया गया है, जिसे अभिलेख के साथ संलग्न रखा जाये।
24	एक नग शर्ट फूल बांह का सफेद रंग का 38 नंबर साईज का जिसमें जगह-जगह खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी रणवीर साहू का।	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 24 से 25 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
25	एक नग हाफ बनियान सफेद रंग का **BlACK** लिखा हुआ जिसके सामने भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी रणवीर सिंह का।	
26	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल ओप्पो कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का मोबाईल नं. 8305304711	आरोपी रणवीर साहू से जप्त किया गया है, जिसे अभिलेख के साथ संलग्न रखा जाये।
27	एक नग फूल बांह का संतरा सफेद रंग चेकदार जिसमें **Mark box** साईज "**L**" जिसके सामने नीचे दाहिने भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी कमलेश कुमार ध्रुव का ।	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 27 से 30 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
28	एक नग लोवर गाढ़ा हरा रंग का नाड़ा लगा हुआ अरोपी कमलेश ध्रुव का।	

29	एक नग शर्ट फूल बांह का काला सफेद छिटदार **Dashing Shirt** "**L**" साईज जिसके दाहिने कंधा एवं बांये भुजा भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ आरोपी गौतम दीवान का।	
30	एक नग जीन्स फूलपेंट नीला रं का 28 नंबर का **Super dry** कंपनी का जिसमें मिट्टी लगा हुआ आरोपी गौतम दीवान का।	
31	एक नग प्रगति पत्रक शासकीय माध्यमिक शाला मथुराडीह का **X** का।	जप्तशुदा संपत्ति क्र. 31 से 33 दस्तावेज के रूप में है, अतः अभिलेख का भाग होगा।
32	एक नग प्रगति पत्रक शासकीय माध्यमिक शाला मथुराडीह का **Y** का।	
33	एक नग प्रगति पत्रक शासकीय माध्यमिक शाला मथुराडीह का **Z** का।	
34	एक नग शर्ट फूल बांह का काला लाल सफेद रंग का छिंटदार **BINDAS** कंपनी का "**L**" साईज का जिसके सामने भाग दाहिने जेब के नीचे तथा पीठ भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **X** का।	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 34 से 35 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
35	एक नग लोवर काला रंग का जिसके नीचे भाग में मिट्टी लगा हुआ जे के दाहिने भाग में गुलाबी रंग का चैन लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **X** का।	
36	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल पोको कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का मोबाईल सिम नंबर 8770304826 लगा हुआ। (विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक **X** से जप्त किया जाना दर्शित किया गया है)	किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा प्रकरण में दिये गये आदेश के अनुसार निराकृत किया जाये।
37	एक नग हाफ टी–शर्ट "**L**" साईज का हल्का हरा रंग का जिसके समाने भाग में 2 काला पट्टी लगा हुआ, पीछे भाग में लिखा हुआ घड़ी वाला कार्टून बना हुआ जिसके सामने पीछे भाग में खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **Y** का।	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 37 से 38 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
38	एक नग काले रंग का टाउजर जिसके आगे पीछे मिट्टी लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **Y** का।	
39	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल ओप्पो कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का सिम मोबाईल नंबर 9244268722 लगा हुआ। (विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक **Y** से जप्त किया जाना दर्शित किया गया है)	किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा प्रकरण में दिये गये आदेश के अनुसार निराकृत किया जाये।
40	एक नग टीशर्ट हाफ बांह वाला भूरा रंग का जिसके सामने भाग में **The awakening** लिखा हुआ डैकी डक कार्टून बना हुआ जिसका साईज "**S**" सामने भाग में खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ विधि से संघर्षरत बालक **Z** का।	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 40 से 41 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
41	एक नग फूलपेंट काला रंग का **FASHION** कंपनी का "**M**" साईज का पुराना इस्तेमाली विधि से संघर्षरत बालक **Z** का।	

42	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल मोटोरोला कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का सिम मोबाईल नंबर 9244573473 लगा हुआ। (विधि के विरूद्व संघर्षरत बालक **Z** से जप्त किया जाना दर्शित किया गया है)	किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा प्रकरण में दिये गये आदेश के अनुसार निराकृत किया जाये।
43	एक नग मृतक नितिन तांडी का काला नीला रंग का चेकदार शर्ट	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 43 से 52 तक मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
44	एक नग मृतक नितिन तांडी का काला रंग का जीन्स पेंट	
45	एक नग मृतक नितिन तांडी का नीला रंग का अंडरवियर	
46	एक नग मृतक आलोक सिंह ठाकुर का **Yellow** कलर का टीशर्ट	
47	एक नग मृतक आलोक सिंह ठाकुर का **Black** कलर का जीन्स पेंट	
48	एक नग मृतक आलोक सिंह ठाकुर का **Blue** कलर का अंडरवियर	
49	एक नग मृतक सुरेश हियाल का **Orange** कलर का **Torn** टीशर्ट	
50	एक नग मृतक सुरेश हियाल का **Black** कलर का जीन्स पेंट	
51	एक नग मृतक सुरेश हियाल का **Black** कलर का बनियान	
52	एक नग मृतक सुरेश हियाल का **Black** कलर का अंडरवियर	
53 **Article A**–2	एक नग पेन ड्राईव **Sandisk** कंपनी का जिसमें अन्नपूर्णा होटल एवं फैमली रेस्टोरेंट (ढाबा) का दिनांक 11.08.25 का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज संग्रहित है	उपरोक्त संपत्ति क्र. 53, 54 में प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्ष्य/वीडियो, फोटो हैं, अतः अभिलेख का भाग होगा
54	एक नग सीपी प्लस कंपनी का डीवीआर अन्नपूर्णा होटल एवं फैमली रेस्टोरेंट (ढाबा) का।	
55	एक नग एन्ड्राईड मोबाईल वीवो कंपनी का जिसमें जियो कंपनी का सिम मोबाईल नंबर 7723914862 लगा हुआ।	वीडियो पेनड्राइव में ले लिया गया है जिसके संबंध में प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है, अतः उक्त संपत्ति स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश किये जाने पर विधि अनुसार प्रदाय किया जाये।
56 **Article A**–13	एक नग पेनड्राईव **Sandisk** कंपनी का जिसमें सखा राम जानकी फ्यूल्स का दिनांक 11.08.25 का 23:30 से 23:59 तक का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज संग्रहित।	उपरोक्त संपत्ति क्र. 56, 57 में प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्ष्य/ वीडियो, फोटो है, अतः अभिलेख का भाग होगा
57 **Article A**–14	एक नग पेनड्राईव **Sandisk** कंपनी का जिसमे कुंजाम प्रिंटर एंव मोबाईल दुकान का दिनांक 11.08.25 से 12.08.25 तक का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज संग्रहित है।	

58	शासकीय प्राथमिक शाला मथुराडीह का एक नग स्कूल दाखिल खारिज रजिस्टर	जप्तशुदा संपत्ति क्र. 58, 59 दस्तावेज के रूप में है, अतः अभिलेख का भाग होगा।
59	शासकीय प्राथमिक शाला मथुराडीह का एक नग हलफनामा रजिस्टर	
60	एक नग **EDTA VIAL** में **3ml** मृतक नितिन तांडी की मां श्रीमती नीरी तांडी का ब्लड।	उपरोक्त समस्त संपत्ति क्र. 60 से 62 मूल्यहीन/अल्पमूल्य की वस्तु होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये।
61	एक नग **EDTA VIAL** में **3ml** मृतक आलोक सिंह ठाकुर की मां श्रीमती करूणा सिंह ठाकुर का ब्लड।	
62	एक नग **EDTA VIAL** में **3ml** मृतक सुरेश हियाल की मां श्रीमती आशा हियाल का ब्लड।	
Article A–15	ई–साक्ष्य	अभिलेख का भाग होगा।

उपरोक्तानुसार जप्तशुदा संपत्तियों का निराकरण किया जाता है। अपील होने पर उपरोक्त समस्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

102. प्रकरण में मृतकगण की मृत्यु हुई है जिससे उनके आश्रितों को क्षति, हानि हुई है। अतः भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 396 (2)/ धारा 357–A द.प्र.सं. के तहत मृतकगण के आश्रितों के पुनर्वास बाबत प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा की जाती है। अतः उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी को प्रेषित किया जावे।

103. आरोपीगण को प्रकरण में उनके अपील के अधिकार से अवगत कराते हुए निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदाय किया जावे।

104. निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि, लोक अभियोजक के माध्यम से धारा 406 भा.ना.सु.सं. के अधीन जिला मजिस्ट्रेट धमतरी को भेजी जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया

सही/–
(मोहन सिंह कोर्राम)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला धमतरी (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–
(मोहन सिंह कोर्राम)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला धमतरी (छ.ग.)

आरोपीगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का
धारा 468 भा.ना.सु.सं. के तहत प्रमाण पत्र

आरोपी का नाम	पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने का दिनांक	न्यायालय में प्रस्तुति दिनांक	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	जमानत पर रिहाई का दिनांक	पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि
गोपी दीवान	12/08/25	12/08/25	निरंक	–	365 दिन
कुलेश्वर नेताम	12/08/25	12/08/25	निरंक	–	365 दिन
रणवीर साहू	12/08/25	12/08/25	निरंक	–	365 दिन
कमलेश कुमार ध्रुव	12/08/25	12/08/25	निरंक	–	365 दिन
गौतम दीवान	12/08/25	12/08/25	निरंक	–	365 दिन

स्थान–धमतरी
दिनांक– 12/08/2026

सही/-
(मोहन सिंह कोर्राम)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला धमतरी (छ.ग.)

The date when the judgment is reserved	The dage when the judgment is pronounced	The date when the judgment is uploaded on the website	
		Operative	Full
31-07-2026	12-08-2026	-	12-08-2026